नवम माला, खंड 6, अंक 45

सोमवार, 21 मई, 1990
31 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 26-11-91

(खण्ड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 45, सोमवार, 21 मई, 1990 /31 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के लिए मांग के बारे में	1-11, 13-14, 217
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या : 901	12-13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	14-216
तारांकित प्रश्न संख्या : 902 से 917, 919, 920 और 922	14-34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9549 से 9686, 9688 से 9694 और 9696 से 9743	34-216
जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में	218-222

* किसी सदस्य के नाम पर + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

लोक सभा

सोमवार, 21 मई, 1990 / 31 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के लिए मांग के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रश्न काल को पूरा करना चाहिए। आप इसे 12.00 बजे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया हमें अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश सिंह जी मैं नहीं सुन सकता। प्रश्न काल की कार्यवाही चलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम तथा दिनेश जी आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें प्रश्न काल पूरा करना चाहिए। तत्पश्चात् हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं……

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राव जी आप बैठ जायें। आप भी बैठ जायें।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप प्रश्न काल के बाद इस मामले को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि हरियाणा में होने वाली बर्बरतापूर्ण घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए हमारे लिए प्रश्न काल को जारी रखना असंभव होगा। यह मामला हमारे लिए इतना गंभीर है कि हम इस पर सामान्य रूप से चर्चा नहीं कर सकते। अतः यह हमारा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जो, जो यहां पर उपस्थित हैं······

अध्यक्ष महोदय : आप 12.00 बजे के बाद यह मामला उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : यह ऐसा मामला नहीं है जो 12.00 बजे तक के लिए भी रुक सके। महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर हैं। उन्होंने अपने निजी विमान में पहले ही कुछ विचार व्यक्त किए हैं। जब सदन की बैठक चल रही हो, तब यह उचित होता यदि प्रधान मंत्री ने उसी समय सदन में अपने विचार प्रकट कर दिये होते। यह एक गंभीर मसला है। यह कोई ऐसा आम मामला नहीं है जिस पर आप अपने विचार अलग-से व्यक्त कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि उन्होंने केवल अपने विचार व्यक्त किए हैं न कि सरकार की नीति। परन्तु इस पर भी प्रधान मंत्री का विचार सरकार की नीति बन जाती है। तथा इसीलिए हमें दुःख है कि प्रधान मंत्री ने इस संबंध में अपने विचार हवाई जहाज के केबिन में व्यक्त करना अधिक पसन्द किया बजाय इसके कि वह सदन में हमारे सामने अपने विचार व्यक्त करते। महोदय, हमारा निवेदन है कि राष्ट्रपति शासन तुरन्त ही लागू किया जाए। चौटाला सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।···व्यवधान···

महोदय, हम राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों कर रहे हैं, इसका भी कुछ अर्थ है। यह कोई अव्यावहारिक बात नहीं है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी यह बात मानकर प्रसन्न थे कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। इस पर हरियाणा सरकार द्वारा विवाद चल रहा है। इस पर भी, हरियाणा में जिस प्रकार का शासन इस समय है, क्या आज न्यायिक जांच को अर्थपूर्ण समझा जा सकता है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच भी अर्थ-पूर्ण नहीं है। यदि सरकार एक व्यक्ति को किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव जिताने के लिए दूसरे व्यक्ति की हत्या की योजना बना सकती है तब ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष न्यायिक जांच कैसे हो सकती है? अतः मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह घोषणा करें कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जायेगा तथा विधान सभा भंग की जाएगी तथा नये सिरे से चुनाव करायें जायेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न काल समाप्त कराना चाहते हैं ? मैं सरकार का मत जानना चाहता हूं ।

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : श्री दिनेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे का मैं उत्तर दे रहा हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन इस बात पर सहमत है कि प्रश्न काल नहीं होना चाहिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं प्रश्न काल समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार का मत जानना चाहूंगा । मैं प्रश्न काल समाप्त करने के बारे में विधि मंत्री के विचार सुनना चाहता हूं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब इसी प्रकार खड़े रहेंगे तो मैं कुछ नहीं सुन सकता ।

(**व्यवधान**)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : यदि यही स्थिति आन्ध्र में हो तब भी आप इसी की मांग करेंगे ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधान मंत्री की बात सुननी चाहिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : हम चाहते हैं कि विधान सभा भंग की जाए, न कि केवल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम तीन बातें चाहते हैं; चौटाला सरकार की बर्खास्तगी, विधान सभा को भंग किया जाए तथा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए । (**व्यवधान**)

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी जी, हमें प्रधान मंत्री को सुनना चाहिए । वह खड़े हुए हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं सोचता हूं कि अभी भी कुछ रोष रह गया है । उन्हें और भी कुछ कह लेने दीजिए तभी मैं उत्तर दूंगा । (**व्यवधान**)

एक बात और (**व्यवधान**)

श्री पुजारी जी, हम एक साथ थे । (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : इसी कारण मैं आपको पहचानता हूं । कृपया अपनी मूल्यों पर आधारित नीति पर अमल कीजिए । (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, सदन में पिछली बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा एक जांच की मांग की गई थी । माननीय श्री बसंत साठे ने इस मुद्दे को उठाया है । सरकार इस पर सहमत थी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह मत अभिव्यक्त किया था कि वह इस अनुरोध को स्वीकार कर लेंगे । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के सम्बन्ध में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वसंत साठे .....(व्यवधान) प्रधान मंत्री बैठ गए हैं। (व्यवधान) महोदय, स्थगन प्रस्ताव में भाग लेते हुए श्री वसंत साठे ... (व्यवधान) महोदय, उन्हें श्री वसंत साठे के नाम से चिढ़ क्यों हैं ? (व्यवधान) श्री वसंत साठे कहां हैं ? क्या आप उन्हें और अधिक नहीं चाहते ? (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : यह मुद्दा प्रश्नकाल समाप्त करने के सम्बन्ध में है। प्रश्न काल के समापन के संबंध में आपके आदेश के बिना प्रधान मंत्री अपनी बात नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री चौधरी जी, अपना स्थान ग्रहण करें। प्रधान मंत्री जी अपनी बात कहेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने अभी बताया था कि सरकार ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करायेगी तथा हम इससे सहमत हैं। मुझे विश्वास है कि आज गृह मंत्री जी भी इस संबंध में कुछ करेंगे। (व्यवधान)

आप मुझे इन युक्तिओं से परास्त नहीं कर सकते। आप यह जानते हैं। आप प्रयत्न करके देख लें। मैं आपको सहयोग देने का प्रयत्न करूंगा तथा मैं आपको बतलाऊंगा। (व्यवधान)

आज ही सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अनुरोध करेगी जिससे हमने जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जा सके। (व्यवधान)

यह आपकी ओर से प्रार्थना थी। माननीय वसंत साठे जी ने यह प्रार्थना की थी। विशेष रूप से उन्होंने इसका जिक्र किया था। हम इससे सहमत थे। हम इसे लागू कर रहे हैं। (व्यवधान)

जांच करने वाले न्यायाधीश की इच्छानुसार अन्य अभिकरणों की सेवायें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सेवायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी। गृह मंत्री महोदय भी मुख्यमंत्री से सम्पर्क करने का प्रयास कर रहे हैं; वे बाहर गए हुए हैं और राजधानी में नहीं हैं। (व्यवधान)

मैं सदन को बिल्कुल वही बता रहा हूं जो हमने किया है। मैं यह आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही उनके साथ सम्पर्क स्थापित होगा, इस बारे में भी अन्तिम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परन्तु जो कुछ हमने कहा है, हम उस पर अडिग हैं।

जैसे माननीय दिनेश सिंह जी ने कहा है, उसी प्रकार मेरा भी एक विचार है कि इसका एक उपाय नए चुनाव कराने का हो सकता है। अब यहां सदन में राष्ट्रपति शासन शीघ्र लागू करने की बात की जा रही है। एक दम से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें पूर्व उदाहरण स्थापित होने की बात भी है। मैं विश्वास करता हूं और अपने कहे का पालन भी करता हूं—सार्वजनिक जीवन में हमें विस्तृत सन्दर्भ में देखना होता है और सदन के विचारों को मैं मंत्रि-मंडल के समक्ष रखूंगा। केवल तभी हम इस पर सामूहिक रूप से विचार कर सकते हैं। अन्यथा, इस समय मैं इस बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं। (व्यवधान) परन्तु मंत्रिमंडल में हम इसके पूरे सन्दर्भ में विचार करेंगे।

श्रीमती उमा राजपति राजू : कब ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आज (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राजीव गांधी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं चाहूंगा कि वे बोलें। परन्तु मुझे आशा है कि विपक्ष द्वारा अपनी बात कहने के बाद आप मुझे उसके कानूनी पक्ष को प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने सही कहा है कि श्री साठे ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करवाने के लिए कहा था। मुझे बोलने दीजिए, मैं जानता हूं कि क्या हुआ था। समाचार पत्रों में मैंने जो पढ़ा है, उसके अनुसार सरकार ने एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में जांच कराई है। महोदय यह इस विषय का केवल एक भाग है। जबकि मेहम में हमारी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की हत्या हुई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना है, मैं चाहूंगा आप वैसे ही विरोधी दल के नेता को भी सुनें। उसके बाद ला मिनिस्टर को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, उनके बाद मैं बोलूंगा ···(व्यवधान)··· यहां आज हम प्रधानमंत्री से स्पष्ट रूप से वक्तव्य चाहते हैं ···(व्यवधान)··· यदि वे मेहम में जांच कराने के लिए अलग से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें समिति नियुक्त करने दीजिए। परन्तु यहां अन्य मुद्दे उठाकर हमें मेहम की घटनाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैं इस सदन में आज ही प्रधान मंत्री से वचन लेना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न केवल एक व्यक्ति की हत्या की बल्कि सारे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की भी जांच करेंगे। इससे केवल मेहम उपचुनाव में ही नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ह्रास हुआ है। ···(व्यवधान)···

महोदय, मैं यह स्पष्ट वचन चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सरकारी तन्त्र के दुरुपयोग और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की हत्या की भी जांच करेंगे। उन्हें केवल इस उप-चुनाव की ही नहीं बल्कि फरवरी में हुए चुनाव की भी जांच करनी चाहिए। उन्हें सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग के असफल रहने और केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त समय

अर्थात् फरवरी में कार्यवाही न करने की भी जांच करनी चाहिए। जब तक यह सरकार हरियाणा में है, तब तक इन सब पहलुओं की निष्पक्ष जांच करना सम्भव नहीं है। हम वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का वचन अभी चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो श्री शंकरानन्द को एक व्यक्ति जांच आयोग नियुक्त किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आपकी अनुमति से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री जी ने अभी कहा है कि वे शीघ्र कार्यवाही नहीं कर सकते। वे फरवरी से कार्यवाही करने की सोच रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे कम से कम अब कार्यवाही करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता की याद्दाश्त कमजोर है। वे यह भूल गए हैं कि फरवरी में जैसे ही यह मामला सामने आया मैंने प्रधान मन्त्री के रूप में नहीं बल्कि जनता दल के अध्यक्ष रूप में चुनाव आयोग से सम्पर्क किया और उन्हें मेहम में फिर से चुनाव करवाने का निवेदन किया।

ऐसा शीघ्र ही किया गया (व्यवधान)···

मेरी बात सुनिए, आपने कभी ऐसा नहीं किया···(व्यवधान)।

क्या आपने एक बार भी ऐसा किया है? क्या त्रिपुरा और अमेठी में आपने ऐसा नहीं किया? काफी हो चुका, हम अपने अधिकार का त्याग नहीं करना चाहते। हमने अर्थात् जनता दल ने स्वयं पुन: चुनाव करवाने के लिए कहा; शायद प्रथम बार किसी दल ने ऐसा किया है।

गृह मन्त्री महोदय ने भी शीघ्र कार्यवाही तथा जांच और केन्द्र सरकार को स्थिति बताने के लिए न्यूजट्रेक की एक कापी राज्य सरकार को भेजी।

वर्तमान में हमने शीघ्र ही इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच के लिए कहा है और जैसा कि यहां मन्त्रिमण्डल का प्रश्न है और हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है, अत: सभी प्रकार के संसाधनों अर्थात् संवैधानिक उपायों, कानूनी उपायों और राजनैतिक उपायों की आवश्यकता है और इस सब का जायजा लेकर संसद के सामने रखने की आवश्यकता है। साथ ही एक बार विचारणीय विषय तय कर हम संसद के समक्ष आएंगे। हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच के साथ-साथ सी० बी० आई० द्वारा जांच की बात को मान लिया है।

श्री राजीव गांधी : जैसा कि मैं समझता हूं प्रधान मन्त्री ने अभी उस विनाशकारी कार्यवाही से मेरी याद को ताजा किया है, जो इनकी सरकार ने फरवरी के बाद की। हरियाणा में प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिए कौन सी विनाशकारी कार्यवाही की गई थी? प्रधान मन्त्री महोदय ने स्वयं चुनाव आयोग को पुन: चुनाव कराने के लिए फोन किया। इस लोकतान्त्रिक देश के इतिहास में कितनी बार प्रधान मन्त्री ने चुनाव आयोग पर अपने प्रभाव का उपयोग किया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने आपको बताया है कि मैंने प्रधान मन्त्री के रूप में नहीं बल्कि जनता दल अध्यक्ष के रूप में चुनाव आयोग से बात की। आपने इसे सुना नहीं। आप संकट में हैं, अत: इसे आप सुनते नहीं। मैंने कहा कि जनता दल अध्यक्ष की हैसियत से मैंने उनसे बात की। मैंने यह स्पष्ट किया है, परन्तु आप सुनते ही नहीं। मैंने कहा कि जनता दल अध्यक्ष की हैसियत से।

श्री राजीव गांधी : मैं अपने प्रधान मन्त्री की इस मूल्य पर आधारित राजनीति से अत्यन्त प्रभावित हुआ हूं। वे सोचते हैं कि अपनी टोपी उतार लेने से वे जनता दल अध्यक्ष बन जाते हैं और प्रधान मन्त्री नहीं रहते। क्या चुनाव आयोग यह नहीं जानता कि उन्हें फोन करने वाला व्यक्ति प्रधान मन्त्री है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक बार भी चुनाव आयोग को किसी चुनाव के बारे में प्रभावित करने के लिए फोन किया? इस मामले में सच्चाई तो यह है कि प्रधान मन्त्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और प्रधान मन्त्री के चुनाव आयोग को टेलीफोन करने से पूरे चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव हुआ जबकि उसने यह चुनाव रद्द कर दिया था। यदि प्रधान मन्त्री ने फोन नहीं किया होता, तो मुख्य मन्त्री चुनाव हार गए होते। प्रधान मन्त्री ने चुनाव आयोग को फोन करके हरियाणा के मुख्य मन्त्री को हारने से बचा लिया। महोदय, यदि यह सही नहीं है तो प्रधान मन्त्री महोदय को चुनाव आयोग के साथ हुई बातचीत का टेप सदन के पटल पर रखने दें। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, यदि चुनाव आयुक्त सदन के समक्ष अपनी बात रखने को तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूं। (व्यवधान)

अब एक मिनट के लिए रुकिए। आप बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं नहीं मानता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कोई समस्या नहीं है। मेरा विचार है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। विपक्ष के नेता के बोलने के पश्चात प्रधान मन्त्री खड़े हुए हैं। अब प्रधान मंत्री जी को बोलने दें। यदि वे मानते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दे सकता हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब, प्रधान मंत्री।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, विपक्ष के नेता ने मुझ पर चुनाव आयुक्त को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वास्तविकता यह है कि मैंने उन्हें टेलीफोन किया, यह बात समाचार पत्रों में आई थी और मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि जनता दल के अध्यक्ष के रूप में मैंने उन्हें टेलीफोन किया और उनसे चुनाव को स्थगित करने के लिए पुनर्मतदान के लिए अनुरोध किया था। यह बात छुपी हुई नहीं थी। इसे सार्वजनिक रूप से बताया गया था। (व्यवधान)

इसके बाद पार्टी सचिव ने पुनर्मतदान के लिए अनुरोध किया था तथा पत्र भी लिखा था। मेरे पास उन तक बात पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। मैंने सीधे ही अनुरोध किया था और इसका सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया गया था क्योंकि मैंने इसे सही समझा। इसके बाद पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से अनुरोध किया गया था। अतः हमने लोकतंत्र के बेहतर हित में काम किया।

श्री विनेश गोस्वामी : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : हमें विपक्ष के नेता की बात सुननी चाहिए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे प्रधान मंत्री द्वारा 'बैठ जाइये' शब्दों का प्रयोग किये जाने पर कड़ी आपत्ति है। बैठ जाइये कहने का केवल आपको अधिकार है। प्रधान मंत्री को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मेरी मांग है कि इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, यदि आप इसकी जांच करेंगे, तो जो कुछ आप कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। **(व्यवधान)**

महोदय, मुझे उन दो वास्तविक मुद्दों पर कहना है जोकि प्रधान मंत्री ने उठाएं हैं। मैंने प्रधान मंत्री पर फरवरी से अब तक निष्क्रियता का आरोप लगाया है मैंने प्रधान मंत्री तथा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि अब मेहम में जो कुछ हुआ है उसके लिए वह उत्तरदायी हैं। यदि उन्होंने फरवरी में कार्यवाही की होती, तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उनकी सरकार ने नाटकीय कार्यवाही की है। वे दो कार्यवाही मुद्दे क्या हैं जिसका उन्होंने अभी-अभी उल्लेख किया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या प्रश्न-उत्तर चल रहा है ? **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदय, प्रधान मंत्री ने केवल दो कार्यों का उल्लेख किया है जोकि उनके दल और सरकार ने किए हैं। मेरे विचार में एक कार्य जोकि बहुत ही अनियमित है। वह प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव आयुक्त को टेलीफोन करने का था। वह यह दावे कर सकते हैं वह किसी और पद से बोलने का बहाना कर रहे हैं जबकि असलियत कुछ और ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रभावशाली कार्य सरकार ने क्या किया। गृह मंत्री ने म्यूजट्रेक रिपोर्ट की एक प्रति हरियाणा सरकार को भेज दी। क्या सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की यही सीमा है ? केवल ये दो मुद्दे थे। वास्तव में यही मुद्दा है जोकि मैं उठा रहा हूं। इस सरकार की नीति ढुलमुल और टाल-मटोल है और शायद बी०पी० इसका समर्थन भी करते हैं **(व्यवधान)** मेहम में मौत का कारण भी यही है। अब समय आ गया है कि सरकार जागे और कार्यवाही करें, और यह विपक्ष इसका समर्थन नहीं करेगा और न ही यह देखेगा कि इस सरकार की ढुलमुल और टाल-मटोल नीति की वजह से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिगाड़ा जाए और समाप्त हो जाए। **(व्यवधान)**

श्री विनेश गोस्वामी : मैं दो बार मौका दे चुका हूं ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विप्लव बाबू, मंत्री महोदय की बात सुनिए।

श्री विनेश गोस्वामी : जब विपक्ष के नेता खड़े हुए थे तो मैं दो बार बैठ गया था और मुझे आशा है कि वह भी मेरे साथ इसी प्रकार का शिष्टाचार निभाएंगे और मुझे अपनी बात बिना किसी व्यवधान के कहने की अनुमति दी जायेगी। विपक्ष के नेता ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने चुनाव आयोग पर प्रभाव डाला है। दुर्भाग्यवश, चुनाव आयोग विधि-मंत्रालय के अन्तर्गत है और विपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ···**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया मेरी बात

सुनिए। दुर्भाग्यवश, अब तक, उनकी सरकार में निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता देने का साहस नहीं है। हम निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए संशोधन ला रहे हैं।

महोदय, भारतीय लोकतंत्र में यह एक महान बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि उनकी सरकार ने निर्वाचन आयोग को अपने नियंत्रणाधीन, सिर्फ मंत्रालय के अन्तर्गत रखने का प्रमाण किया, परन्तु निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्रता से कार्य किया और इतने समय तक देश में लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखा। (व्यवधान) विपक्ष के नेता ने यह कहकर कि प्रधान मंत्री ने निर्वाचन आयोग पर प्रभाव डाला है, इसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आक्षेप लगाया है और इससे निर्वाचन आयोग की साख पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निन्दा करके जो महान क्षति की है उसको अनुभव नहीं किया है, इस देश में निर्वाचन आयोग ने, विपक्ष के नेता और उनकी पार्टी के लोगों सहित उनके सदस्यों द्वारा डाले गए दबावों के बावजूद भी स्वतंत्रता से कार्य किया है और मैं निर्वाचन आयोग को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें मुबारक-बाद देता हूं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : इस देश में निर्वाचन आयोग ने भारी दबाव और खींचतान के बावजूद स्वतंत्ररूप से कार्य किया है। अब मैं जनता दल को मुबारकबाद देता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बिप्लव दास गुप्त और श्री अग्रवाल कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम मंत्री महोदय की बात सुनेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे आशा है कि जब नया निर्वाचन सुधार विधेयक आएगा, जिसे मैं पुन: स्थापित कर रहा हूं, जोकि निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता देगा—उसे इन सदस्यों का समर्थन मिलेगा। (व्यवधान) बैठक में श्री भगत में इसे समर्थन देने का साहस नहीं था। मैं जनता दल को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम उसमें इसकी रिपोर्ट को मांगने का साहस है (व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता में भी उसी प्रकार का साहस हो, गत निर्वाचन में हमने चुनाव केन्द्रों पर जबरदस्ती कब्जा होते देखा। गत निर्वाचन में दोष सिद्ध का साहस कहां था ? (व्यवधान) यही हमारे और आपके दृष्टिकोण में अन्तर है। कानून के अन्तर्गत, निर्वाचन आयोग के पास इसे स्थगित करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। (व्यवधान) कानून के अन्तर्गत रिपोर्ट आने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में, हम एक संशोधन करने जा रहे हैं कि बूथ पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने के मामले में रिपोर्ट की जानी चाहिए। (व्यवधान) ये कानून में कमियां हैं जिनका उत्तरदायित्व आपको लेना चाहिए क्योंकि आपने उन्हें ठीक नहीं किया।

राष्ट्रपति के शासन की मांग की गई है (व्यवधान) मुझे राष्ट्रपति के शासन की कानूनी स्थिति की व्याख्या करने दीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के अधिकार का प्रयोग किए जाने का क्षेत्राधिकार कार्यपालिका के पास है और किसी अन्य के पास नहीं। राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा कार्यपालिका की इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिए। विधान मण्डल इसमें काफी बाद में आती है। एक बार राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने का आदेश दे दिया जाए, तब उस उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखना होगा, और तब विधायकों को उस उद्घोषणा को देखने का अवसर मिलेगा। जब कार्यपालिका यह निर्णय कर ले कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू

किया जाना चाहिए अथवा नहीं तो कोई भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। सन्तुष्टि के प्रश्न पर विधायिका अथवा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर किसी प्रकार का प्रभाव डालना पूरी तरह से असंगत होगा। यदि कार्यपालिका अपने आप से नहीं बल्कि विधायिका सहित किसी की मांग पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अधिकार का उपयोग करती है तो वह उस अधिकार का दुर्भावपूर्वक उपयोग होगा। ···(**व्यवधान**)··· कार्यपालिका के अधिकार और विधायिका के अधिकार पूरी तरह भिन्न हैं। एक विधायिका एक कार्यपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कोई भी सदन बहुमत होने के बावजूद भी यह नहीं कह सकता कि कार्यपालिका राष्ट्रपति शासन अवश्य लागू करे। वह अधिकार का गैर-कानूनी उपयोग होगा। कोई भी उच्च न्यायालय यह नहीं कह सकता कि सरकार को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अधिकार का अवश्य उपभोग करना चाहिए। कार्यपालिका को राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य सामग्री से सन्तुष्ट होना होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे निर्णय दिए जा चुके हैं अन्य न्यायालयों द्वारा ऐसे निर्णय दिये जा चुके हैं कि कार्यपालिका द्वारा सन्तुष्ट होने की प्रक्रिया यह उसकी अपनी स्वयं की सन्तुष्टि होनी चाहिए, इस सन्तुष्टि की एक सीमा तक ही न्यायालय द्वारा जांच कराई जा सकती है कि क्या यह दुर्भावपूर्ण है अथवा नहीं। अत: मेरा निवेदन है कि संसद का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह यह मांग करे कि कार्यपालिका अवश्य राष्ट्रपति शासन लागू करे। सदस्यों को यह मांग करने का अधिकार है। मैं एक क्षण के लिए भी यह नहीं कह रहा हूं कि सदस्य यह मांग नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिए। लेकिन, अन्तत यह केवल कार्यपालिका का निर्णय होना चाहिए; और कोई प्रस्ताव नहीं ···(**व्यवधान**) मैं यह कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि दुर्भाग्यवश विपक्ष के सदस्यों के लिए, संविधान का कोई महत्व नहीं। उन्होंने संविधान की जानबूझकर अनेकों बार अवहेलना की है। अतः संविधान की बारीकियों का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिनकी स्वयं संविधान में अनुमति नहीं दी गई है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम नियम 189 के अन्तर्गत नागालैंड पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में क्योंकि हमने प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया है, तो मुझे प्रश्न काल की कार्यवाही चलाने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : माननीय विधि मंत्री राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में संवैधानिक स्थितियों को सदन में स्पष्ट करना चहते थे। वह एक विद्वान वकील हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनसे कम नहीं है।

श्री विनेश सिंह : मैं नहीं हूं। न तो सदन के अध्यक्ष महोदय और न ही मैं दोनों में से कोई भी वकील नहीं है और इसलिए हम अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन पर चर्चा करने के सदस्यों के अधिकार को मान लिया है।

श्री विनेश सिंह : मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 356 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उनके पास यह पुस्तक भी होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस अनुच्छेद का अत्यधिक दुरुपयोग आपके द्वारा किया गया है।

श्री दिनेश सिंह : राजा से भी अधिक देशभक्त लोग हैं। लेकिन हमें उन्हें सहन करना होगा **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : पीड़ित तो हम ही हैं।

श्री दिनेश सिंह : अनुच्छेद 356 (1) के अंतर्गत कहा गया है :

"यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ... ।"

अतः राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सरकार की अनुशंसा के बिना भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अतः मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें और इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे खुशी है कि श्री दिनेश सिंह ने मेरी स्थिति को मान लिया है। **(व्यवधान)** मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह ने मेरी राय को स्वीकार कर लिया है। मेरा यह कहना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, यह निर्णय ले सकते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था ठप्प हो चुकी है और वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट से बंधी है। संसद को यह मांग करने का अधिकार नहीं है कि वह कार्यपालिका को ऐसा कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य करे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आडवाणी को बोलने की अनुमति दी है। हम उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदय यद्यपि देर हो चुकी है, परन्तु मैं समझता हूं कि यदि अब भी प्रश्नकाल शुरू नहीं किया जाता है तो यह एक गलत परम्परा स्थापित हो जाएगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी, मैं आप से सहमत हूं। अब हमें प्रश्नकाल शुरू करना चाहिये। मै आप से पूरी तरह सहमत हूं। अब मुझे प्रश्न काल शुरू करने दें।

श्री पी० चिदम्बरम : हम नागालैंड पर चर्चा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय . आप इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। डा० बंगाली सिंह।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.52 म० पू०

धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

+

*901. डा० बंगाली सिंह :

श्री पी० एम० सईद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धूम्रपान पर सीमित प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्देश कब से प्रभावी होंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख). सरकार ने अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयानों, वातानुकूलित शयन यानों, उपनगरीय रेलगाड़ियों तथा वातानुकूलित बसों जैसे कुछ चुनिन्दा स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 7 मई, 1990 को आदेश जारी कर दिए हैं। यह प्रतिबंध इस आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिन बाद लागू हो जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के सानिध्य में रहने वाले व्यक्तियों को भी धूम्रपान से होने वाली बीमारियां उसी तरह हो सकती हैं जैसे धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को होती हैं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

डा० बंगाली सिंह : अध्यक्ष जी, धूम्रपान पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसे न मानने वालों पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या उसको दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी व इसको कैसे लागू किया जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : यद्यपि धूम्रमान की आदत के प्रभावों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में हमने कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं करवाया है, फिर भी कभी-कभी जो नमूने के तौर पर सर्वेक्षण

विभिन्न संगठनों द्वारा किए गये हैं उनसे धूम्रपान के गंभीर, चिंताजनक और घातक परिणामों का पता चलता है। भारत, चीन और अमरीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक देश है और इससे हर वर्ष 2,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त होती है। हमारे नेशनल कैंसर रजिस्ट्री आंकड़ों के अनुसार भारत में अमरीका की तुलना में कैंसर के रोगी अधिक हैं और करीब दस लाख लोग प्रतिवर्ष तम्बाकूजनित रोगों से भारत में मरते हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० बंगाली सिंह : परिवार कल्याण की तरह धूम्रपान से होने वाली हानि के विषय में टी०वी० पर प्रचार किया जायेगा ? झुग्गी झोंपड़ियों में बीड़ी व माचिस के कारण कितनी बार आग लगी है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : जन स्वास्थ्य के हित में इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से धूम्रपान न करने वाले लोगों को यातायात के दौरान रेस्तराओं और काम करने तथा मनोरंजन स्थलों पर न चाहते हुए भी यह धुआं उनके शरीर में चला जाता है, इससे बचाव के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने जेनेवा स्थित कार्यालय में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है और विश्व में अपने अन्य सभी कार्यालयों से यह अनुरोध किया है कि वह भी ऐसा करें।…(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० बंगाली सिंह : धूम्रपान के विज्ञापनों पर, प्रचार प्रसार पर क्या आप प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : विश्व स्वास्थ्य संगठन के निवेदन को हमने स्वीकार कर लिया है और तदनुसार मंत्रिमण्डल सचिवालय ने केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को 7.5.90 को कुछ चुने हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने की आज्ञा संबंधी प्रशासकीय निर्देश जारी कर दिये हैं जो 6 जून, 1990 से प्रभावी होंगे। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक व्यापक कानून लाने का विचार कर रहे हैं ताकि धूम्रपान एवं अन्य प्रकार से तम्बाकू का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर वर्जित किया जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अभी जारी है।

(व्यवधान)

हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के लिए मांग के बारे में—जारी

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं। कृपया आप सब बैठ जाएं। श्री कुमारमंगलम क्या आप कृपया बैठेंगे ?

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं कि हम इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभा की कल की बैठक से पूर्व। **(व्यवधान)**

कृपया आप मेरी बात सुनें। मैंने पहले ही कहा है कि कल संसद की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व हम इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करेंगे चूंकि उससे संबंधित अन्य कारणों का पता करना है। संविधान में उल्लिखित एक शर्त संवैधानिक तंत्र का विफल होना है। अन्य संवैधानिक प्रावधान भी उसमें हैं। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में सभी अपने विचार व्यक्त करेंगे, हम उनसे उनके संवैधानिक विचार, राजनीतिक विचार प्राप्त करके किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। यह मैंने पहले ही कह दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यावसायिक शिक्षा

***902. श्री ए० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अब तक उठाए गए कदमों और उनके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों की वर्तमान सरकार ने कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो ये क्या उपलब्धियां संतोषजनक हैं;

(ग) यदि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस बारे में क्या विशेष कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या वर्तमान सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा देने के बारे में राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिसम्बर, 1989 में आयोजित सेमीनार में की गयी थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने दिसम्बर, 1989 में कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम का "तत्काल मूल्यांकन" भी आरंभ किया है। इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी, 1990 में आयोजित शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में भी की गयी थी।

(ख) उपरोक्त संदर्भित योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को फरवरी, 1988 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें उपलब्धियां एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाली संस्थाओं को शामिल किए जाने और पाठ्यक्रमों का जहां तक संबंध है, संतोषजनक है और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अध्यापकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्रियों के विकास की पर्याप्त प्रबंध प्रणाली के कुछ पहलुओं में कुछ कमियां व्याप्त हैं।

(ग) की गयी समीक्षा को ध्यान में रखते हुए, योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि इसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को कम-से-कम किया जा सके।

(घ) स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। तथापि, उपरोक्त संदर्भित योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को कार्यक्रमों की कोटि में सुधार करने और उनका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना को अधिक दक्षता से कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर हिदायतें/मार्गदर्शी रूप रेखाएं प्रदान की जाती हैं ?

यमुना का प्रदूषण

[हिन्दी]

***903. श्री रामसिंह यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी के किनारे पर बसे सभी नगरों का मल-निकास नालों का पानी, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और मल यमुना नदी में बहा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आगरा और मथुरा में स्थापित उद्योग वहां पानी और हवा, दोनों को ही प्रदूषित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा किए गए निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) नदी के विभिन्न भागों के लिए जल गुणवत्ता के मापदंड तैयार किए गए हैं जिनमें उसका सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में बताया गया है।

(2) नदी के किनारों पर स्थित जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को सशर्त सहमति दी जाती है जिसमें निर्धारित समय में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाए जाने की शर्त रखी जाती है।

(4) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं।

(5) अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी देने के बाद औद्योगिक लाइसेंस दिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आगरा और मथुरा में वायु और जल प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) आगरा के चारों ओर एक समलम्बी (ट्रेपीजोडियल) सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचित किया गया है ताकि इस क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की श्रेणियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।

(2) आगरा में कोयले पर आधारित दो ताप विद्युत संयंत्रों को बंद कर दिया गया है।

(3) रेलवे मार्शलिंग यार्ड में कोयले के इंजनों के स्थान पर डीजल के इंजन लगाए गए हैं।

(4) कुछ फाउन्ड्रियों को ताजमहल के नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। सभी फाउन्ड्रियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे सर्दियों में दिन के समय ही काम करें। फाउन्ड्रियों को अपनी भट्टियों में बिजली से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(5) डीजल से चलने वाले जैनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(6) मथुरा में इंडियन आयल कार्पोरेशन ने रिफाइनरी में फ्ल्यू गैसों की बहाली के लिए सल्फर रिकवरी यूनिटों की स्थापना की है। रिफाइनरी ने प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के बेहतर तरीके से छितराव के लिए 80-116 मीटर ऊंची चिमनियां भी लगाई हैं।

(7) यूनिटों को कम सल्फर इंधन का प्रयोग करने की सलाह दी गयी है ताकि उनकी गैसीय उत्सर्जन में सल्फर के समग्र स्तरों में कमी हो।

(8) वायु और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

(9) उत्तर प्रदेश सरकार ने नदी में बहिस्रावों के विसर्जन को रोकने के लिए मथुरा और आगरा सहित शहरों के लिए मलजल स्कीमों की मरम्मत और उन्हें स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है।

(10) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को निर्धारित समय में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा अपने बहिस्रावों को नदी में गिराए जाने से पहले उनकी सफाई करने के निर्देश दिए हैं।

(11) दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

[अनुवाद]

*904. श्री चांद राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के एककों की संख्या क्या है;

(ख) क्या हरदोई जिले में ऐसे और एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरदोई जिला एक पिछड़ा जिला घोषित किया जा चुका है अथवा इस आशय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पंजीकृत कार्यालय सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी नए उद्यम को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ). हरदोई जिले को 1971 में लागू की गयी केन्द्रीय निवेश सहायता योजना के तहत "ग" श्रेणी का पिछड़ा जिला घोषित किया गया है।

वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी

[हिन्दी]

*905. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नौवीं और दसवीं कक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का बारहवीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब से; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). जी हां। वर्तमान योजना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के अधीन विद्यालयों की कक्षा IX तथा X में हिंदी ऐच्छिक विषय है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिपादित अध्ययन की नई योजना के अनुसार, इन विद्यालयों की कक्षा IX में 1991-92 तथा इससे आगे तथा कक्षा X में 1992-93 तथा इससे आगे हिंदी सीखना अनिवार्य होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भाषाओं से भिन्न विषयों पर लगने वाले समय सहित शैक्षणिक विचारधाराओं पर हिंदी को सीनियर माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य करना उचित नहीं समझा जाता।

छत्तीसगढ़ जिले में स्मारकों का संरक्षण

*906. श्री रमेश बैस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के बारे में अब यह घोषणा कर दी गयी है कि उन पर से केन्द्रीय सरकार का संरक्षण समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्मारकों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है;

(ग) क्या संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में इस कार्य का दायित्व संभालने हेतु कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कब तक प्रबंध करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा किसी नए स्मारक का संरक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों के उपयुक्त अनुरक्षण और परीक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भुवनेश्वर मंडल के अधीन बिलासपुर, जगदालपुर और रायपुर स्थित तीन उप-मंडल कार्यालय हैं, जिनमें तकनीकी कार्मिक तैनात हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना

[अनुवाद]

*907. श्री अरविन्द नेताम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरदार सरोवर परियोजना को मंजूरी देते समय निर्धारित शर्तों के पालन किये जाने पर निगरानी रखी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). जहां तक योजना आयोग का संबंध है निम्नलिखित दो स्थितियों की मानिटरिंग की जाती है :

(1) "इस परियोजना के आकार और महत्व को देखते हुए राज्य सरकार इसे आठवीं योजना में पर्याप्त प्राथमिकता देगी, इसके लिए निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप पर्याप्त वित्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जैसा कि राज्य आयोजना और वित्त विभाग की सहमति में दर्शाया

गया है। राज्य अन्तिम अवस्था में पहुंच चुकी अन्य चालू परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरदार सरोवर परियोजना के लिए सर्वाधिक आवश्यक वित्त व्यवस्था में कोई कठिनाई न रह जाए।"

(2) "माही-नर्मदा दोआब के लिए जल निकासी और भूमिगत जल संतुलन संबंधी अध्ययन कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। माही से आगे के इलाकों के लिए भी ऐसा ही कार्यक्रम पूरा किया जाना चाहिए। मल, सौराष्ट्र, कच्छ, सामी-हरीज और अन्य इलाकों के लिए यह पूर्वशर्त के रूप में आवश्यक है। राज्य को योजना आयोग के पास विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अध्ययन का विस्तृत कार्यक्रम केन्द्रीय जल आयोग से पुनरीक्षित कराकर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि योजना आयोग इसकी मानिटरिंग कर सके।"

उपर्युक्त स्थिति (1) के संदर्भ में मानिटरिंग की प्रक्रिया गुजरात राज्य के लिए आठवीं योजना, जो अभी तैयार की जानी है, को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही प्रारम्भ होगी।

उपर्युक्त स्थिति (2) के संदर्भ में, राज्य सरकार ने माही से आगे के इलाके में जल निकासी और भूमिगत जल संतुलन के अध्ययन का कार्यक्रम तैयार किया है। तथापि, यह अभी योजना आयोग में प्राप्त होना है।

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

*908, **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को समुचित वित्तीय सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन-पत्र सहायता हेतु विचाराधीन हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संबंधित खेल संघों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से परामर्श करके सम्बन्धित खिलाड़ियों की उपलब्धियों तथा उनकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में दावों की जांच करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाता है।

विवरण

1. श्री टी०एस० शास्त्री	—	उड़ीसा का क्रिकेट खिलाड़ी
2. श्री भागीरथी सैनिनायक	—	उड़ीसा का पहलवान
3. मोहम्मद उस्मान अली खान	—	उड़ीसा का एथलीट
4. श्री कृष्ण कुमार	—	हरियाणा का मुक्केबाज
5. श्री एच०एस० प्रभाकर	—	कर्नाटक का बास्केटबाल खिलाड़ी

6. श्री राजासाब चांदासाब चप्परबंद	—	कर्नाटक का बाडी बिल्डर
7. श्री भीमराव के० देशमुख	—	महाराष्ट्र का फुटबाल खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों/अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लिया।
8. श्रीमती जमुना देवी	—	पत्नी (स्व०) श्री रूप सिंह, मध्य प्रदेश का हाकी खिलाड़ी
9. श्री सतीश मोहन	—	उत्तर प्रदेश का बिलियर्ड्स और स्कूनर का खिलाड़ी
10. श्री माधो सिंह	—	पंजाब का पहलवान
11. श्री बी०एम० एयान्ना	—	कर्नाटक का फुटबाल खिलाड़ी
12. श्री प्रताप कुमार चिन्ता	—	आंध्र प्रदेश का एथलीट
13. श्री बुची उर्फ अंकर कृष्ण राव	—	आंध्र प्रदेश का फुटबाल खिलाड़ी
14. सुश्री बारबरा जैकब्स फांसिस	—	मध्य प्रदेश की हाकी खिलाड़ी
15. श्री एल०पी० रंगादेव	—	कर्नाटक का कबड्डी खिलाड़ी
16. श्री बी० आर० विजय कुमार	—	कर्नाटक का कबड्डी खिलाड़ी
17. श्री श्रीनिवास राव	—	कर्नाटक का कबड्डी खिलाड़ी
18. श्री एन० कृष्णन	—	कर्नाटक का कबड्डी रैफरी
19. श्री एस०ए० नाइम	—	उत्तर प्रदेश का निशानेबाज
20. श्री रजय्या बोसी	—	उड़ीसा का क्रिकेट खिलाड़ी
21. श्री के०पी० ज्ञानराज	—	आंध्र प्रदेश का फुटबाल खिलाड़ी
22. श्री राजीव नम्यर	—	पंजाब का शतरंज खिलाड़ी
23. श्री सोहन सिंह	—	पंजाब का भूतपूर्व खिलाड़ी
24. श्री सत्येन दास	—	पश्चिम बंगाल का बाडी बिल्डर
25. श्री बी०बी० पिल्ले	—	केरल का जिम्नाटिक्स खिलाड़ी
26. श्रीमती एलीसाबा प्रधान	—	पत्नी (स्व०) श्री रजनी कांत प्रधान, उड़ीसा का फुटबाल खिलाड़ी।

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को ऋणों के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन

*909. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1987 की याचिका सं० 1219 के संबंध में अपने निर्णय में यह आदेश दिया था कि सैनिक स्कूल सोसायटी, नई दिल्ली को, अपने कर्मचारियों को कार, स्कूटर आदि खरीदने और मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण देने के प्रयोजनार्थ मार्च, 1989 तक एक उपयुक्त निधि की व्यवस्था करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सैनिक स्कूलों में इस निदेश का पालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ). माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिए कि एक उपयुक्त निधि स्थापित की जाए जिसका संचालन या तो प्रत्येक संस्था द्वारा किया जाए या ऐसी पद्धति से किया जाए जिसके अन्तर्गत गृह निर्माण, स्कूटर, कार खरीदने के लिए ऋणों के दावों को योजना में तय की गई शर्तों के अनुसार निपटाने में सुविधा हो।

2. सैनिक स्कूल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार—दोनों के संयुक्त संस्थान हैं। इन स्कूलों के लिए अपेक्षित भूमि, भवनों, फर्नीचर और शैक्षिक उपस्करों पर होने वाले सम्पूर्ण पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वहन करना होता है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्कूलों के भवनों, सड़कों के निर्माण, उनके रखरखाव, भारी मरम्मत आदि पर होने वाला खर्च भी वहन करना होता है। सैनिक स्कूल की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए "सहायता अनुदान" भी देना होता है।

3. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार ऋण देने वाली इस निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्कूलों को विशेष सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएं।

उत्तर प्रदेश में कुछ और इंजीनियरिंग कालेज खोलना

[हिन्दी]

*910. **श्री शिवशरण वर्मा :**

श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में कुछ और इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्वाराहट तथा पौड़ी-गढ़वाल स्थित पर्वतीय क्षेत्रों में दो नए इंजीनियरी कालेज स्थापित किए जा रहे हैं। मेरठ में एक इंजीनियरी कालेज खोले जाने का एक और प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालयों से प्रेषित पत्रों पर टेलीफोन नम्बर अंकित करना

[अनुवाद]

*911. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी हिदायतें हैं कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का टेलीफोन नम्बर लिखा होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन हिदायतों का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि इन हिदायतों का सख्ती से पालन हो ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुल मिलाकर, इनका अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) चूंकि यदा-कदा इनमें चूक देखने में आती है, इसलिए समय-समय पर इन हिदायतों को दोहराया जाता है।

वनरोपण की गति

*912. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें वनरोपण की गति वन काटे जाने की गति से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन राज्यों में वन काटे जाने की गति को नियंत्रित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) वर्ष 1981-83 और 1985-87 के सेटेलाइट मानचित्र का प्रयोग करते हुए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए वनाच्छादित क्षेत्रों के मूल्यांकन के अनुसार इस अवधि के दौरान राज्यवार वनाच्छादित क्षेत्र का अन्तर संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग). सरकार ने देश में वनों के विनाश को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(1) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। वनों को चराई, आग तथा अतिक्रमण से बचाने के लिए विशिष्ट प्रावधान रखे गए हैं।

(2) वन भूमि को गैर, वन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने से रोकने के लिए वर्ष 1988 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम को वर्ष 1988 में एक संशोधन द्वारा और अधिक कठोर बनाया गया है।

(3) वनों के बचाव के लिए अन्त: संरचना का विकास करने हेतु राज्यों की सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(4) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(5) सामान पैक करने, रेलवे स्लीपर, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि में लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है ।

(6) इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है ।

(7) झूम-खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(8) राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वनों के बचाव के संबंध में समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :

(क) प्राकृतिक वनों को कटने से बचाना और जहां फसल अथवा अन्य सिल्वी कृषि के लिए इन वनों का काटा जाना अनिवार्य हो वहां क्षेत्र को, पर्वतीय क्षेत्रों में 10 हैक्टेयर और मैदानी क्षेत्रों में 25 हैक्टेयर तक सीमित रखा जाए ।

(ख) कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ों में 1,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर वनों की कटाई के लिए रोक लगाने पर विचार करना ।

(ग) पर्वतों और पहाड़ियों में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जहां वनों की कटाई से बचाव किए जाने और तत्काल वनीकरण की आवश्यकता हो ।

(घ) भौगोलिक क्षेत्र का 4 प्रतिशत भाग वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जैवीय रिजर्व आदि जैसे संरक्षण क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाए ।

(ङ) वनों को आग लगने से बचाने के उपाय करना ।

(9) वनीकरण और वृक्षारोपण के व्यापक कार्यक्रम चलाने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए कार्यक्रम चलाए हैं :

* भू-निकृष्टीकरण रोकना ।

* परती भूमि को सतत् प्रयोग के लिए तैयार करना ।

* बायोमास की उपलब्धता में वृद्धि करना—विशेषतया ईंधन लकड़ी/चारा, और

* पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखना ।

देश भर में कार्यान्वित सामान्य वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्यों, जहां वनाच्छादित क्षेत्र के मूल्यांकन का अन्तर ऋणात्मक है, में चलाई जा रही परियोजनाएं और प्रयोजनाएं संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं ।

विवरण 1

वनाच्छादित क्षेत्र—तुलनात्मक स्थिति

(1987 और 1989)

(क्षेत्र वर्ग कि० मी० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वनाच्छादित क्षेत्र मूल्यांकन			
		1981-83 के मानचित्रण पर आधारित वर्ष 1987 का मूल्यांकन	1985-87 के मानचित्रण पर आधारित वर्ष 1989 का मूल्यांकन	अंतर वर्ग कि०मी० में	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	50194	47911	—2283	— 4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	60500	68763	+8263	+ 13.6
3.	असम	26386	26058	— 328	— 1.2
4.	बिहार	28748	26934	—1814	— 6.3
5.	गोआ (दमन और द्वीव सहित)	1285	1300	+ 15	+ 1.2
6.	गुजरात	13570	11670	— 1900	— 14.0
7.	हरियाणा	644	563	— 81	— 12.5
8.	हिमाचल प्रदेश	12882	13377	+ 495	+ 3.8
9.	जम्मू और कश्मीर	20880	20424	— 456	— 2.1
10.	कर्नाटक	32264	32100	— 164	— 0.5
11.	केरल	10402	10149	— 253	— 2.43
12.	मध्य प्रदेश	127749	133191	+ 5442	+ 4.25
13.	महाराष्ट्र	47416	44058	— 3358	— 7.02
14.	मणिपुर	17679	17885	+ 206	+ 1.16
15.	मेघालय	16511	15690	— 821	— 4.97
16.	मिजोरम	19092	18178	— 914	— 4.78
17.	नागालैंड	14351	14356	+ 5	+ 0.03
18.	उड़ीसा	53163	47137	— 6026	— 11.3

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	766	1151	+ 395	+ 51.5
20.	राजस्थान	12478	12966	+ 488	+ 3.9
21.	सिक्किम	2839	3124	+ 285	+ 10.0
22.	तमिलनाडु	18380	17715	— 665	— 3.6
23.	त्रिपुरा	5743	5325	— 418	— 7.2
24.	उत्तर प्रदेश	31443	33844	+ 2401	+ 7.63
25.	पश्चिम बंगाल	8811	8394	— 417	— 4.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7603	7624	+ 21	+ 0.27
27.	चंडीगढ़	2	8	+ 6	+ 30.0
28.	दादरा और नागर हवेली	237	205	— 32	— 13.5
29.	दमन और दीव	—	2	—	—
30.	दिल्ली	15	22	+ 7	+ 46.6
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	8	—	—	—
	योग	642041	640134	- 1907	0.29

विवरण—2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन राज्यों में चल रही प्रायोजनाएं/परियोजनाएं, जहां वनाच्छादित क्षेत्र के मूल्यांकन में अन्तर ऋणात्मक हैं

	राज्य	प्रायोजना/परियोजना
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सी० आई० डी० ए०) द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना ।
		(2) झूम खेती नियंत्रण हेतु परियोजना ।
2.	असम	झूम खेती नियंत्रण के लिए परियोजना ।
3.	बिहार	स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलमेंट एजेंसी (एस० आई० डी० ए०) द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना ।

1	2
4. गुजरात	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
5. हरियाणा	विश्व बैंक तथा डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
6. जम्मू और कश्मीर	विश्व बैंक तथा डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
7. कर्नाटक	विश्व बैंक तथा यूनाइटेड किंगडम ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
8. केरल	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
9. महाराष्ट्र	यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
10. मेघालय	झूम खेती नियंत्रण के लिए परियोजना।
11. मिजोरम	झूम खेती नियंत्रण के लिए परियोजना।
12. उड़ीसा	(1) झूम खेती नियंत्रण के लिए परियोजना। (2) स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
13. तमिलनाडु	स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।
14. त्रिपुरा	झूम खेती नियंत्रण के लिए परियोजना।
15. पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना।

पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध से प्रभावित आदिवासी

*913. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री आर० एम० राकेश :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध से जिन आदिवासी मजदूरों के प्रभावित होने की संभावना है उनके लिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की कोई वैकल्पिक योजना तैयार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का प्रभावित आदिवासियों का किस तरह से पुनर्वास करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कहा गया है कि देश की प्राकृतिक विरासत बचाए रखने के लिए शेष प्राकृतिक वनों की सुरक्षा की जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्कीमों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिनसे आदिवासियों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे :

(1) अवक्रमित वनों की बहाली

(2) अच्छा उत्पादन देने वाले वन क्षेत्रों का गहन प्रबन्ध

(3) परिपक्व पौध तथा प्राकृतिक वनों के काष्ठ उत्काष्ठन

(4) बांस के वनों का सुधार और पौद लगाना

(5) सहकारिताओं के जरिए लघु वन उत्पादों का विपणन

(6) महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास

(7) वन भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन

(8) वन ग्रामों के विकास के लिए कार्यक्रम

(9) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

(10) आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती पर नियंत्रण और भूमि का उपयुक्त उपयोग।

शिक्षा वृत्ति की राशि

*914. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा पी०एच०डी० के छात्रों के लिए शिक्षा वृत्ति की राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली शिक्षावृत्ति की राशि और उक्त प्रायोजक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षावृत्ति की राशि में अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी शैक्षिक शोध संस्थानों में कब से समान शिक्षावृत्ति दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). परिषदों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने क्रमशः 1.6.88 और 1.4.1989 से पी०एच०डी० अध्येताओं के लिए उनकी शिक्षावृत्ति की राशियों में संशोधन किया।

(ग) विगत की भांति, संशोधित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद डाक्ट्रोल शिक्षावृत्ति राशियां पी०एच०डी० अध्येताओं के लिए वि० अ० आ० की जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियों/सीनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियों की राशियों के बराबर हैं, अर्थात पहले और दूसरे वर्ष के लिए 1300/- रु० प्रतिमास और बाद के वर्षों के लिए 2100/- रु० प्रतिमास।

पी०एच०डी० अध्येताओं के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियों की संशोधित दर 1000/- रु० प्रतिमास है। पी०एच०डी० अध्येताओं के लिए विगत में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद शिक्षावृत्तियों की राशि वि० अ० आ० शिक्षावृत्तियों के समान नहीं थी और न ही उन्हें इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है।

(घ) इस विभाग द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कश्मीर छोड़कर आए व्यक्तियों के बच्चों का दाखिला

*915. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कश्मीर छोड़कर आए व्यक्तियों के बच्चों के लिए दाखिले के नियमों में छूट देने का विचार है ताकि वे देश के तकनीकी तथा अन्य संस्थाओं में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). शैक्षणिक संस्थाओं, जो उचित रूप से कार्य नहीं कर पा रही है, में बच्चों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा हैं, उससे उत्पन्न परिस्थिति की सरकार को जानकारी है। तथापि, मात्र किसी एक वर्ग के लिए नामांकन नियमावली में छूट से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार की कोई भी छूट सभी प्रभावित छात्रों के लिए उपलब्ध होगी।

उच्च अध्ययन केन्द्र, शिमला

*916. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च अध्ययन केन्द्र, शिमला में कुल कितने छात्र नामांकित किये गये;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस केन्द्र के शोध छात्रों द्वारा प्रकाशित किये गये शोध प्रकाशनों, थीसिस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्था में सरकार द्वारा कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं, और उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला 3 महीने से 2 वर्ष तक की एक अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष शिक्षावृत्ति प्रदान करता है। यह अवधि एक अन्य वर्ष तक के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान पहले से दी गई शिक्षावृत्तियों की संख्या तथा वर्ष के दौरान जिन अध्येताओं को शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई, उनकी संख्या के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	वर्ष के दौरान प्रदान की गई शिक्षा वृत्तियां	पहले से दी गई शिक्षा वृत्तियां	कुल
1987-88	12	26	38
1988-89	13	19	32
1989-90	9	22	31

(ख) संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अध्येताओं द्वारा अपनी शिक्षावृत्तियों की अवधियां पूरी करने के बाद संस्थान को प्रस्तुत की गई पांडुलिपियों, प्रासंगिक कागजात और शोध निबंधों और जो 1987-88 से 1989-90 तक के दौरान प्रकाशित किये गये, उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	संस्थान को प्रस्तुत किये गये कागजात की संख्या	संस्थान द्वारा प्रकाशित कागजात की संख्या	उन कागजात की संख्या जिसकी किसी दूसरी जगह प्रकाशित करने के लिए अनुमति दी गई	प्रकाशनाधीन कागजात की संख्या
1		2	3	4
पांडुलिपियां	38	8	9	21
प्रासंगिक कागजात	5	2	—	3
शोध-निबंध	2	1	—	1
कुल	45	11	9	25

(ग) संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, संस्थान में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 178 है, जिनमें से 150 कर्मचारी 1.4.1990 को कार्यरत थे। इनमें से अधिकांश कर्मचारी, परिसर जो पहले वाइसराय लाज थी, के अनुरक्षण और मरम्मत के कार्य में लगे हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान, संस्थान ने अपने कर्मचारियों पर 44.01 लाख रुपये का कुल व्यय वहन किया।

भूमि की ऊपरी परत का संरक्षण

*917. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि की ऊपरी परत के संरक्षण के बारे में पूरे देश के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या भूमि की ऊपरी परत के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक कानून बनाने का विचार किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए गम्भीर मृदा क्षरण और भूमि की उपरी परत के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करती आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए 1986 से एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान भी आयोजित किया जाता है।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा मृदा संरक्षण के सम्बन्ध में परिचालित किए गए एक माडल विधेयक के जवाब में 15 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने भूमि की ऊपरी परत के संरक्षण सहित मृदा और जल संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कानून बना लिया है।

"नेशनल लैक्चरशिप" योजना

*919. श्री प्रकाश बी० पाटिल :
श्री जी० एस० बासवराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आठवीं योजना से राष्ट्रीय लैक्चरशिप योजना समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई और इस योजना के प्रारम्भ से अब तक "नेशनल लैक्चरशिप" की कितनी उपाधियां प्रदान की गयी हैं;

(ग) इस योजना को समाप्त करने के मुख्य कारण क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया है; और

(ङ) क्या कोई नई योजना आरम्भ की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ऐसे अनेक संकाय सुधार कार्यक्रम हैं, जो शिक्षकों को उनके अध्ययन क्षेत्रों में आधुनिक विकास के साथ संपर्क स्थापित करने और विचारों के आदान-प्रदान तथा पारस्परिक रूप से कार्रवाई करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों का दौरा करने के अवसर प्रदान करते है। वि० अ० आ० ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय लेक्चरर कार्यक्रम की स्थापना 1970 में की गई थी और आयोग द्वारा 1970-71 से 1989-90 के बीच 756 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी।

आयोग के अनुसार, 7वी योजना के दौरान शिक्षण और अनुसंधान के स्तरों में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना,

शिक्षकों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम आदि। राष्ट्रीय लेक्चरर कार्यक्रम के साथ विजिटिंग एसोशिएटशिप, राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति और विजिटिंग प्रोफेसरशिप जैसी शिक्षकों की मौजूदा योजनाओं में भी परस्परव्यापी तत्व पाये गए थे। वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन सभी घटकों को देखते हुए आयोग द्वारा 8वीं योजना से राष्ट्रीय लेक्चरर कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय किया गया था।

दिल्ली छावनी बोर्ड में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का पैनल

*920. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड ने अपने अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य सुविधाएं देने हेतु एक पैनल तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे पैनल में योग्य कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड देने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों समेत सभी कर्मचारियों के लिए एक ही वरिष्ठता सूची बनाई जाती है। इन सूचियों का उपयोग अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों समेत सभी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नामावली (पैनल) तैयार करने के लिए किया जाता है।

छावनी बोर्ड, दिल्ली में प्रवरण ग्रेड केवल अध्यापकों को दिया जाता है। प्रवरण ग्रेड में पदोन्नतियां केवल ज्येष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर की जाती हैं और इस प्रकार इनमें आरक्षण कोटा लागू नहीं होता है।

आदिवासी लोक कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देना

*922. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी लोक कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नृत्य, नाटक तथा थियेटर ग्रुपों और व्यावसायिक ग्रुपों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो सहायता देने के लिए इन योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं अथवा ग्रुपों के नाम क्या हैं और कुल कितनी सहायता दी गई;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य के किसी ग्रुप अथवा संस्था ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) संस्कृति विभाग की आदिवासी और लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रसार की एक योजना है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, आदिवासी और गैर-आदिवासी, दोनों श्रेणियों के उन पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसके पास अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना संबंधी सुविधाएं हैं

तथा जो आदिवासी कला और शिल्प के परिरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। सहायता के लिए अलग-अलग परियोजनाओं का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि जहां तक हो सके, देश के सभी भागों के विभिन्न आदिवासी समूहों को शामिल किया जाये।

(ग) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) जी, हां। सामाजिक विकास केन्द्र, सिकन्दराबाद को 1989-90 के दौरान 41,600 रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	संस्था का नाम	कुल संस्वीकृत राशि
1	2	3
	1988-89	
1.	पालेकर, चित्रा गामदेवी, बम्बई-400 007	1,00,000/- रु०
	1989-90	
1.	सामाजिक विकास केन्द्र, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	41,600/- रु०
2.	नेताजी सुभाष चन्द्र दलित शोषित-पीड़ित मानव सेवा संघ, भागलपुर-बिहार	20,000/- रु०
3.	संजय गांधी पंच सूत्री अनाथ शिशु सामाजिक शिक्षा प्रतिष्ठान, बिहार	20,000/- रु०
4.	भागलपुर विकलांग सेवा केन्द्र, बिहार	20,000/- रु०
5.	कमला देवी स्मारक संस्थान, कमला भवन, बिहार	1,00,000/- रु०
6.	निर्मलकुमार वर्मा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बिहार	50,000/- रु०
7.	लोक साहित्य अकादमी, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
8.	व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्त्ता परिषद्, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
9.	उड़ीसा शिल्प परिषद्, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०

1	2	3
10.	मुतुआ संग्रहालय, इम्फ़ाल	50,000/- रु०
11.	वेत्तियार प्रेमनाथ स्मारक लोक साहित्य अकादमी, केरल	50,000/- रु०
12.	मैत्री कला संस्कृका, वेदी केरल	50,000/- रु०
13.	मोहन आर्केस्ट्रा, गोवा	14,000/- रु०
14.	वल्सद जिल्ल कुकन समाज विकास मंडल, गुजरात	75,000/- रु०
15.	श्रीनिवास मल्लीह स्मारक थिएटर शिल्प न्यास, नई दिल्ली	1,00,000/- रु०
16.	प्राच्य और उड़ीसी अध्ययन संस्थान, कटक	1,00,000/- रु०
17.	उड़ीसी संस्कृति संस्थान भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
18.	आदिवासी नृत्य केन्द्र, इम्फ़ाल	25,000/- रु०
19.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली	50,000/- रु०
20.	भारतीय राष्ट्रीय थिएटर, बम्बई	75,000/- रु०
21.	प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़	50,000/- रु०
22.	हरि श्री कला क्लब वभतकडे, पो० त्रिवेन्द्रम, केरल	15,000/- रु०
23.	नटना केरली, अम्मान्नुर चक्यार माधोम, त्रिशूर	50,000/- रु०
24.	जनपद नृत्य संगीत तराबेती कला केंद्र, उत्तर कन्नड, कर्नाटक	1,00,000/- रु०
25.	महात्मा गांधी स्मारक कालेज, क्षेत्रीय लोक प्रदर्शन-कला स्रोत केन्द्र, कर्नाटक	1,00,000/- रु०
26.	दलित सांस्कृतिक संगठन, हदरीपुर, कडोरनुर, बंगलौर	20,000/- रु०

1	2	3
27.	चिजामी युवा सोसायटी, पो०आ० चिजामी नागालैण्ड	25,000/- रु०
28.	पुलीबादज़े क्लब, जोत्सोमा, नागालैंड	25,000/- रु०
29.	हालेमी क्लब, पो० चजुबा, नागालैंड	25,000/- रु०
30.	कोंरसुन्यु ग्राम छात्र संघ, नागालैंड	25,000/- रु०
31.	मेरंगकोंग सांस्कृतिक क्लब, नागालैंड	25,000/- रु०
32.	सामाजिक प्रणाली एवं विकास संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	50,000/- रु०
33.	यू० हिन्नियु त्रेद सांस्कृतिक एवं कल्याण संगठन, महारी एंड संस, शिलांग, मेघालय	50,000/- रु०
34.	भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर, राजस्थान	50,000/- रु०
35.	वीणा पाणि कला मंदिर, राजस्थान	25,000/- रु०
36.	श्री जगन्नाथ अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	50,000/- रु०

दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में अनियमितताएं

[हिन्दी]

9549. **श्री राम लाल राही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों में अनियमितताएं बरतने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार, अध्यापकों की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के संगत कानूनों/अध्यादेश में किये गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। अभी हाल ही में न तो सरकार को और न ही विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का विस्तार

[अनुवाद]

9550. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री विद्याधर गोखले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थाणे स्थित नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के विस्तार का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार को इस विस्तार कार्य के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्तावित विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए आशय पत्र जारी किया है।

(ख) सरकार को कम्पनी से पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन विवरण प्राप्त होने के बाद ही परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पता चलेगा।

(ग) और (घ). परियोजना के प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामों के संबंध में उसके खिलाफ जनता, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य व्यक्तियों से अभयावेदन प्राप्त हुए हैं। परियोजना प्राधिकारियों से मांगे गये अन्य डाटा सहित इस क्षेत्र की समीकरण तथा वहन क्षमता रिपोर्ट उपलब्ध होने पर वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है।

पंजाब में अनुसंधान संस्थान

[हिन्दी]

9551. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में किन-किन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और जिन संस्थानों में अनुसंधान कार्य चल रहा है वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मूल अनुसंधान कार्य के लिए पंजाब को कोई सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पंजाब में कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग). विभिन्न क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और पंजाब में ऐसे स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये है।

पंजाब में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान निम्नलिखित संस्थानों में किया जा रहा है :—

थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, पटियाला, गुरुनानक कालेज आफ इंजीनियरिंग लुधियाना। इन संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के वर्तमान क्षेत्रों में पर्यावरण इंजीनियरिंग कम्प्यूटर एडेड डिजाइन/कम्प्यूटर एडेड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, लेसर और फाइबर आप्टिकस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जैव-प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण प्रौद्योगिकी, इर्गोनामिक्स, सूक्ष्म संसाधक अनुप्रयोग एवं कृषि इंजीनियरिंग शामिल हैं।

वातावरण अनुसंधान के क्षेत्र में पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में केन्द्र द्वारा विशिष्ट समय-बद्ध परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

ऊर्जा के नए और नवीकरण स्रोतों के पहलुओं पर मूल अनुसंधान कार्य पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में किया जा रहा है।

चिकित्सा अनुसन्धान के क्षेत्र में चंडीगढ़ में विशेष अनुसंधान सुविधायें दी गई हैं जो माता का प्रसव और शिशु स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, मानव प्रजनन अनुसन्धान केन्द्र, कैंसर रजिस्टरी अस्पताल और एड्स के लिए चौकसी संबंधी केन्द्र के क्षेत्र में हैं। इसके अलावा विभिन्न आई. सी. एम. आर. टास्क फोर्स प्रोजेक्टस और अन्य प्रोजेक्ट्स, पंजाब विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान चंडीगढ़ संबंधी स्नातकोतर संस्थान में चल रही है।

चिकित्सा अनुसन्धान के क्षेत्र में अनेक अनुसन्धान छात्रवृत्तियां गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला प्रदान की गई है।

औद्योगिक अनुसन्धान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के दोनों संगठन अर्थात इंस्टीट्यूट आफ माइक्रोवायल टेक्नालोजी और केन्द्रीय विज्ञान यंत्र संगठन, चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अतिरिक्त पंजाब में राज्य सरकार के कई संस्थान अनुसंधान और विकास कार्यों से संबद्ध है जो उच्च वोल्टेज अनुसन्धान सिंचाई और विद्युत अनुसन्धान, व्यापार उपशिष्ट और सहायक नदी एफ्लूएन्ट्स अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित है।

पंजाब में **कृषि अनुसन्धान** तथा वहां **उपलब्ध विशेषज्ञता से सम्बन्धित महत्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों के** बारे में कार्य कर रहे हैं। ये विश्व विद्यालय हैं : गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना आदि।

केन्द्रीय सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में एक क्षेत्रीय आधुनिक यंत्रीकरण केन्द्र भी स्थापित किया है ताकि इस क्षेत्र के वैज्ञानिक इस केन्द्र में उपलब्ध आधुनिक अनुसन्धान सुविधाओं का उपयोग करके अनुसन्धान कार्य कर सकें।

दी थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग टैक्नालोजी भी राज्य का एक संस्थान है जहां पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जाता है।

ऊपर दी गई सूची का आशय पंजाब में समस्त संस्थानों की व्यापक सूची से नहीं है, जो अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य करती हैं बल्कि कुछेक क्षेत्रों को दर्शाया गया है जहां पर पंजाब में विभिन्न संस्थानों मे अनुसंधान कार्य किया जाता है। उपर्युक्त संस्थानों में अनेक अनुसंधान सुविधायें उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) 1989-90 के दौरान जालंधर में एक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज शुरू किया गया है। सरकार ने लोगोंवाल में लोगोंवाल इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग और टैक्नालोजी स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

विवरण

पंजाब में आई० सी० ए० आर० संस्थानों/परियोजना केन्द्रों के नाम

		स्थल
1.	सैन्ट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट	जालन्धर
2.	सैन्ट्रल सॉयल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट	चंडीगढ़
3.	काटन टैक्नोलोजीकल रिसर्च लेबोरेट्री	लुधियाना
4.	सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च आन बोफैलोज	नाभा
5.	चावल	कपूरथला
6.	गेहूं	लुधियाना
7.	दालें (एन०टी०सी०सी० दालों सहित)	लुधियाना
8.	तिलहन (क) तोरिया सरसों	लुधियाना और भटिंडा
	(ख) अलसी और तिल	गुरदासपुर
9.	मक्का	लुधियाना
10.	बाजरा	लुधियाना
11.	चारा फसलें	लुधियाना
12.	ग्वार	भटिंडा
13.	गन्ना	जालंधर
14.	चुकन्दर	जीरा
15.	कपास	लुधियाना और फरीदकोट
16.	रोडैन्ट कन्ट्रोल	लुधियाना
17.	बायोलोजीकल कन्ट्रोल	लुधियाना
18.	मधुमक्खी अनुसंधान	लुधियाना
19.	इकोनोमिक ओरिएन्टथोलोजी	लुधियाना
20.	कीटनाशी अवशेष	लुधियाना
21.	एग्रीकल्चर एकोलोजी	लुधियाना
22.	हाइब्रिड सीड प्रोजेक्ट	लुधियाना
23.	ब्रीडर सीड प्रोजेक्ट आन आयल सीड	लुधियाना

24.	नेशनल सीड प्रोजेक्ट	लुधियाना और कपूरथला
25.	उष्णकटिबंधी फल	भटिंडा
26.	उप-उष्णकटिबंधी फल	लुधियाना
27.	शुष्क फल, हिसार	अबोहर
28.	आलू	जालंधर
29.	पुष्पोत्पादन	लुधियाना
30.	खुंमी अनुसन्धान	लुधियाना
31.	एग्रीकल्चरल ड्रेनेज एस्पैक्ट्स आन वाटरशेड बेसिस	लुधियाना
32.	आप्टिमाइजेशन आफ ग्राऊंडवाटर यूटिलाइजेशन थ्रू वैल्स एण्ड पम्प्स	लुधियाना
33.	फार्म इम्प्लीमेंट्स एण्ड मशीनरी प्रोटोटाइप मैन्यूफैक्चरिंग वर्कशाप एण्ड फिजीबिलिटी सैन्टर	लुधियाना
34.	एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन इन्सिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोग्राम	लुधियाना
35.	हार्वेस्ट एण्ड पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलोजी	लुधियाना
36.	रिनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	लुधियाना
37.	इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन आफ एनिमल एनर्जी थ्रू एन्हान्स्ड सिस्टम एफीशियन्सी	लुधियाना
38.	एप्लीकेशन आफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर	लुधियाना
39.	के०वी०के०/टी०ओ०टी०सी०	गुरदासपुर
40.	ओ०आर०पी० रिक्लेमेशन आफ अल्कलाइन सॉयल ओ०आर०पी०—काटन पैस्ट्स	फरीदकोट भटिंडा
	—पशुपालन तथा अन्य कृषि आधारित व्यवसाय के माध्यम से गरीबों का उत्थान	लुधियाना
42.	राष्ट्रीय डेमोन्स्ट्रेशन	रोपड़—भटिंडा
42.	अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों का सामाजिक— आर्थिक उत्थान	कपूरथला
43.	लैब टू लैंड प्रोग्राम	लुधियाना, अमृतसर

कम्प्यूटर कम्पनियों द्वारा दूरसंचार उपकरण

[अनुवाद]

9552. **श्री रामदास सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरसंचार विभाग के लिए कम्प्यूटरों और उपकरणों का निर्माण करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ कम्पनियों ने नये डिजाइन के कम्प्यूटरों के निर्माण के बारे में कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों के क्या नाम हैं और इस सम्बन्ध में उनके उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का दूरसंचार उपकरणों के निर्माण हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) देश में कम्प्यूटरों का उत्पादन करने वाली 98 कम्पनियां हैं। उन कम्पनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण—1 में दिए गए हैं।

दूर संचार विभाग के लिए दूर संचार वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 133 कम्पनियां हैं। उन कम्पनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण—2 में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) नए डिजाइन के कम्प्यूटर मूल रूप से वर्क स्टेशन हैं तथा नवीनतम चिपों पर आधारित मिनी कम्प्यूटर प्रणालियां हैं जैसे कि इन्टेल 80386, इन्टेल 80486 तथा मोटोरोला 68030। इन चिपों का प्रयोग करते हुए, देश में उच्च ब्लॉक गति की मल्टी प्रोसेसर प्रणालियों का डिजाइन तैयार किया गया है। निम्नलिखित विनिर्माताओं ने ऐसे नए डिजाइन के कम्प्यूटर बाजार में उपलब्ध कराए हैं :—

1. मैसर्स डी० सी० एम० डेटा प्रोडेक्ट्स, नई दिल्ली
2. मैसर्स वी० प्रो० इन्फोमशन टेक्नोलोजी लि०, बंगलौर
3. मैसर्स एच०सी०एल० लि० नई दिल्ली
4. मैसर्स ओ०एम०सी० कम्प्यूटर्स लि० हैदराबाद
5. मैसर्स जेनिथ कम्प्यूटर्स, बम्बई
6. मैसर्स प्रो० आर० जी० सिस्टम्स, लि० अहमदाबाद

(घ) सरकार दूरसंचार के निम्नलिखित उपस्करों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देती है—

(1) 2000 लाइनों की क्षमता तक के स्विचन उपस्कर जैसे कि ई०पी०ए०एक्स/ई०पी०ए० बी० एक्स० तथा ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज।

(2) सम्प्रेषण उपस्कर जिनमें 120 ध्वनि/आंकड़ा चैनल अथवा इससे कम की क्षमता है।

(3) उपभोक्ता अन्त्य टर्मिनल उपस्कर जैसे कि टेलीफोन उपकरण, दूरमुद्रक आंकड़ा संचार उपस्कर आदि ।

(4) उच्च आवृत्ति/अति उच्च आवृत्ति के बैंड में दो तरफा रेडियो संचार ।

विवरण—1

देश में कम्प्यूटरों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के पते तथा स्थापना-स्थल

1. एलटोस इन्डिया लि०, नई दिल्ली
ओखला इन्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली

2. ए०ई०जी० सिस्टम्स प्राइवेट लि०
41-वेंकटनारायण रोड, टी नगर
मद्रास-600017

3. ए०एम०आई० सनग माइक्रोमेशन (प्रा०) लि०
बशीर बाग, हैदराबाद

4. अरिहन्त कम्प्यूटर्स (प्रा०) लि०, मद्रास

5. अंजीक्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स, सतारन

6. एपलाईड इलेक्ट्रोंपटिक्स एण्ड इन्सट्रमेंटस
शान्ती कुटीर, नवघर रोड, मुलुन्द ईस्ट
बम्बई-400081

7. एपटेक कम्प्यूटर प्रा० लि०
78/3, गाईडेक एस्टेट, मकरपुरा,
बदोदरा-390010

8. एरिस्टो कम्प्यूटर्स
असनानी हाउस, 10-ए राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110008

9. एयूरीलेक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स
प्रयोगशाला, एयूरोविल्ले,
कोट्टाकुप्पम-605104

10. बुश इन्डिया लि०,
पो०बा० 4127, सुख सागर,
एन०एस० पटकर मार्ग, बम्बई-400007

11. के०डी० ट्रानिक्स प्राइवेट लि०,
ए-1, 3708, फेस-4, गाइडेक बस्वा,
गांव रमोल, सर्वे 4, अहमदाबाद-382445

12. सी०ए०एल०एस० सिस्टम्स प्रा० लिमिटेड
302, शकुन्तला, 59 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली
फैक्ट्री-नोएडा

13. कम्प्यूटर इन्डिया लि०
पटना

14. सी०एम०एस० कम्प्यूटर्स प्रा०
सी-4, उद्योग सदन नं० 3, एम०आई०डी०सी०
मारोल, अन्धेरी (ईस्ट)
बम्बई-400 093

15. कम्प्यूलिंक
शाह एण्ड नाहर इन्डस्ट्रियल एस्टेट,
बिल्डिंग, 420-ए, एस०जे० रोड, लोअर पेरल
बोम्बे-400013

16. कोनसेप्ट कम्प्यूटंस प्राईवेट लि०
ए-32, जी०आई०डी०सी० इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स
गांधी नगर-382015

17. कोटेक सिस्टम्स प्राईवेट लि०
कोटेज 27, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

18. डिजीटल इक्यूपमेंट इंडिया लि०
डिजीटल पार्क-92, सबर्ब, यशवन्तपुर सेकेन्ड स्टेज,
बंगलोर-560 022

19. डी०सी०एम० डाटा प्रोडक्टस
विक्रान्त टावर, 4, राजेन्द्र प्लेस,
पोस्ट बाक्स 6062
नई दिल्ली

20. डे०सी० बल्स इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि०
21, इलेक्ट्रानिक्स सदन, बिल्डिंग,
टाइप-2, पिम्परी भोसारी इन्डस्ट्रियल एरिया
पुणे-411026

21. एक्ट्रॉनिक्स
40-5/6-3, इसरायलपेट, वेंकेटेश्वरपुरम,
विजयवाडा-520010

22. ई०आई०के०ओ० कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
10/5, लक्ष्मीनारायण काम्प्लेक्स,
पैलेस रोड, वसन्त नगर,
बंगलौर-560052

23. इलेक्ट्रो सिस्टम्स एसोसिएटस प्रा० लिमिटेड,
1954/55, 8 मेन रोड, ई-ब्लाक, सैकेन्ड स्टेज
राजाजी नगर, बंगलौर-560010

24. इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च लि०,
17-के०एम० ओल्ड मद्रास रोड,
पोस्ट बाक्स 5, बंगलौर-560049

25. इलेक्ट्रानिक सिस्टम्स पंजाब लि०
बी-81, फेज, इंडस्ट्रियल एरिया,
साहिबजादा अजीत सिंह नगर,
चंडीगढ़-160055
फैक्टरी मोहाली

26. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लि०
चेरापल्ली, हैदराबाद

27. एलिओटेक्स लेबोरेटरीज,
सेंट थामस टावर्स, बंगलौर

28. फ्यूजीनोवा डाटा सिस्टम्स (प्रा०) लि०
364, स्वामी क्लीनिक बिल्डिंग, के०आर० पुरम एक्सटेंशन,
बंगलौर-560036

29. एसेन इलेक्ट्रानिक्स
ए/7, गाइडेक काम्प्लेक्स, सेक्टर-15
गांधी नगर-382015

30. एस०एन० पेरीफेरल प्रा० लि०
ए/7, गाइडेक, इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स
गांधी नगर-382015

31. गोदरेज एंड बाइक मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लि०
पिराजशाह नगर
विखरोली, बम्बई

32. एच०सी०एल० लि० (कम्प्यूटर डिवीजन)
808, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019
फैक्टरी नोएडा

33. जी०ई०बी०बी०एस० माइक्रोसिस्टम्स (प्रा०) लि०
जी०ई०बी०बी०एस० हाउस, 13 स्ट्रीट, सेन्ट्रल रोड,
एम०आई०डी०सी०, मारोल, अम्बेरी
ईस्ट, बम्बई

34. इन्टरफेस इलेक्ट्रानिक्स इंडिया कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
डी-13, एवरेस्ट, ट्रेडिम्रो सर्कल,
बम्बई-400 037

35. इन्डकेम इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि०
पोस्ट बाक्स 5059, देव प्लाटस फार इलेक्ट/इलेक्ट्रो इन्डस्ट्री, सेवारमरम,
मद्रास-600096

36. इन्फोटेक लि०
304-305, अन्ना सालाई तायनामपट्ट
मद्रास-600018

37. इन्नोवेटीव डिजाइन्स प्रा० लि०,
110, चितरंजन रोड
मद्रास-60018

38. इन्टेग्रटेड डेटा सिस्टम्स लि०
6-3-542/3, पंजगुडा
हैदराबाद-5000482

39. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इंडियन मैनुफैक्चर्स लि०
माइलपोस्ट 4, अहमदनगर रोड
पुणे-411014

40. इन्टरनेशनल डेटा मैनेजमेंट लि०
सफेद पूल, कुलार्वा अंधेरी रोड,
बम्बई-400072

41. इनटेक्स कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
डी०-217, अंमा इन्डस्ट्रियल एस्टेट, साकी विहार रोड
बम्बई

42. जे० एंड वी० कंप्यूटर (प्रा०) लि०
31, तिमुल्लई पल्लई लेन, टी-नगर
मद्रास

43. केओनिक्स मेग्नाविजन, कम्प्यूटर्स लि०
पोस्ट बाक्स नं० 3873, सैकंडमैन
फर्स्ट स्टेन, इन्दिरा नगर,
बंगलौर

44. केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०
केल्ट्रान हाऊस, वैलायाम्बलम
त्रिवेन्द्रम-695033

45. की प्लापी
नेचरम इन्डस्ट्रियल एस्टेट,
एच-10 काकात्य नगर, बशीगुडा,
हैदराबाद

46. किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कम्पनी लि०
इलेक्ट्रानिक एंड ओटो डिवी, यूनिट
4, बेलावडी इन्डस्ट्रियल एरिआ,
मैसूर-571186

47. कुस्गन्टी कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
11, 48वीं गली, नौवा एवेन्यू अशोक नगर
मद्रास-600053

48. लापज कम्प्यूटर तृतीय मंजिल, झवेरी हाऊस
110, नागरदास मास्टर रोड
बम्बई-400023

49. लोजीट्रोनिक्स प्रा० लि०
सी-62/2, ओखला, इन्डस्ट्रियल एरिया,
फेज-2, नई दिल्ली-110020
फैक्टरी नोएडा

50. मैकमिलन कम्प्यूटर लि०
78, कोर मंगला इंडस्ट्रियल एरिया
पो० बा० नं० 5201
बंगलौर 560034

51. महेन्द्र इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०
सी-5 चिराग एक्लेव
नई दिल्ली-110048

52. मैगावेयर कम्प्यूटर लि०
हिंसन हाऊस प्रथम मंजिल, साकी विहार रोड
साकी नाका, अंधेरी
ईस्ट बम्बई-4

53. मैक्स बाईट कम्प्यूटर मैनेफैक्च० एंड सिस्टम कंसलेटेन्ट प्रा० लि०
9-बी लक्ष्मी एस्टेट ओल्ड नागर दास रोड, अंधेरी
ईस्ट बम्बई-400069

54. मैल्ट्रान इन्सट्रमेन्टेशन लि०
प्लाट नं० 4, एम०आई०डी०सी० इंडस्ट्रियल एरिया
कुडाल, सिन्धुदुर्ग-416550

55. माइक्रोसेस कम्प्यूटर्स लि०
दूसरी मंजिल, एमरल्ड हाऊस,
1-7-264, सरोजनी देवी रोड,
सिकन्दराबाद-500003

56. मीरा कम्प्यूटर्स
गुड़गांव

57. मिनि कम्प्यूटर प्रा० लि०
ए-1 उद्योग सदन-3 एम०आई०डी०सी०, अन्धेरी (ईस्ट)
सीप्ज के सामने बम्बई-400093

58. मोड्यूलर सिस्टम्स (पुणे) प्रा० लि०
26, इलेक्ट्रानिक कोओपरेटिव एस्टेट पुणे
सतारा रोड, पुणे-411009

59. मून कम्प्यूटर्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री,
ग्राऊंड फ्लोर कामा बिल्डिंग
24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट
बम्बई-400001

60. नेमटेक सिस्ट्मस प्रा० लि०
350 डा-कास्टा, स्क्वैयर सेंट थामस टाऊन
बंगलोर-560084

61. नेशनल रेडियो तथा इलेक्ट्रानिक्स का० लि०
महाकाली रोड, चाकला, अंधेरी
ईस्ट बम्बई-400093

62. निटुल डेटा सिस्टम्स (प्रा०) लि०
प्लाट नं० 291, फेस-2 उद्योग विहार
गुड़गांव-122001

63. नोर्स्क डेटा इंडिआ लि०
पो० बा० नं० 902, सोरेन्टो 3 ए, पद्मनाभ नगर, अडयार
मद्रास-600020

64. ओ०एम०सी० कम्प्यूटर्स लि०
प्लाट नं० 1-2 सर्वे नं० 430/बी०
करथूरी कर्माशियल कॉम्पलेक्स, पत्तनचेरू

65. ओप्ट्रोनिक्स सर्विसेस प्रा० लि०
स्यूट नं० 6/18वां फ्लोर, 33 ए चौरंगी लेन
कलकत्ता-700071

66. पेक सिस्टम्स,
102 रवि इन्डस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली केम्स रोड के सामने, अंधेरी
बम्बई-400093

67. पास्कल कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
40 सी, डागरा रोड,
कलकत्ता-700017

68. पी०सी०एस० डेटा प्रोजक्ट्स लि०
303-304, रीजेंट, चैम्बर्स नरीमन पाइंट
बम्बई-400021

67. प्राइम होम कम्प्यूटर प्रा० लि०
सी-198, सर्वोदय एन्क्लेव
नई दिल्ली-110017

70. प्रोसेसर सिस्टम (इन्डिया) प्रा० लि०
24, रिचमंड रोड,
बंगलौर-560025

71. प्रोफेशनल इलेक्ट्रोनिक प्रोडेक्टस
पो०बा० नं० 316, दिल्ली रोड,
मेरठ-250002

72. पियाको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०
शिव सागर एस्टेट ब्लाक ए, डा० ऐनी बेसेंट रोड
पो० बाक्स नं० 6588, बम्बई-4

73. पी०एस०आई० डेटा सिस्टम्स लि०
पोस्ट बाक्स नं० 4718, नं० 2 विक्टोरिया रोड
बंगलौर-560047

74. पी०एस०आई० कलिंग लि०
प्लाट-4 सेक्टर ए, 1 बी मानचेस्टर इन्डस्ट्रियल एरिया,
भुवनेश्वर-751010

75. सारा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०
19, मधु इंडस्ट्रियल एस्टेट पांडु रंग बुधकर मार्ग
बम्बई-400018

76. साराभाई इलेक्ट्रानिक्स लि० (आरगेट सिस्टम्स डि वी०)
बाडी-बाडी, बढोदरा-390007

77. सलेक्टो, 30/4 फेस 3, जी०आई०डी०सी०
इन्डस्ट्रियल एरिया, नरोददा
अहमदाबाद-382330

78. शिवम् कम्प्यूटर्स प्रा० लि० मालव काटेज,
रचना सोसायटी के सामने
अहमदाबाद-380015

79. श्याम कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा० लि०
सी०138 नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया
फेस-1 नई दिल्ली

80. सीता इलेक्ट्रानिक्स
12-5-35/ए/9 सीनीकंट तारनका
हैदराबाद-500017

81. साऊथर्न मेग्नेटिक्स प्रा० लि०
11/3, डा० वी० एस० इंस्ट्रोनिक्स एस्टेट
तिरूवनमयूर मद्रास-600041

82. स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लि०
19, कैथेड्रल गार्डन रोड,
मद्रास-600034

83. सुजाता डिजीटल, सिस्टम्स प्रा० लि०
208 पार्वती इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू सनमिलक कम्पाउड
लोअर पैरेल बम्बई

84. सम इलेक्ट्रानिक्स,
127, अटलांटा, 209, नरीमन पॉइंट
बम्बई-400021

85. सुमीत इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०
ए-78-93, प्लेटेड फैक्टरीज जी०आई०डी०सी०
इलैक्ट्रानिक्स एस्टेट गांधी नगर-382016

86. सन-रे कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
93ए, 113 ए मनोरायणा मलया, आर० टी० नगर पोस्ट
बंगलौर-560032

87. टाटा युनीसीस लि०
17-बी० तिविम इन्डस्ट्रियल एस्टेट
करासवडा मापुसा,
गोआ-402526

88. थ्री सी सिस्टम्स लि०
86, चामियर रोड,
मद्रास-600018

89. टाइम्स एंड डेटा सिस्टम्स (I) प्रा० लि०
42-ए डाई मांसेस रोड वारली,
बम्बई-400018

90. अल्ट्रा बिजनेस मशीन लि०
2 मंजिल सेंट पैट्रिक्स शापिंग आर्केड, 157 ब्रिगेड
बंगलौर-560025

91. युनीकाप कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
सी-176, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया फेस I
नई दिल्ली-1100020

92. अप्ट्रान इंडिया लि० (डिजीटल सिस्टम्स डिवी)
गोमती नगर बैराज के पास
पोस्ट बाक्स 444, लखनऊ-226001

93. उर्वशी इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०,
यूनाइटेड चैम्बर्स 347 मौलाना शौकतअली रोड,
बम्बई-400007

94. उषा माइक्रोप्रोसेस कन्ट्रोल लि०
आंसल चैम्बर-1, 3, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली

95. वर्से बाईट डेटा डाइस्टेम्स प्रा० लि०
24/6, 20 वां मेन, पहला आर ब्लाक
राजाजी नगर बंगलौर-560010

96. वेबल जेनसन एंड निकालसन लि०
225-ई आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड
कलकत्ता-700020

97. विप्रो इन्फोरमैशन टेक्नालोजी लि०
1107, हेमकुंट टावर, नेहरू प्लेस
नई दिल्ली 1100019

98. जैनिथ कम्प्यूटर्स लि०
जैनिथ हाऊस, कार्डिनल ग्रेसियास रोड
चाकला जं० अंधेरी (ईस्ट)
साहर बम्बई-400099

विवरण-2

स्विचन उपस्कर

	उत्पादन क्षमता
1. एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स लि० ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स/आर०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध वस्तुएं	20,000 लाइनें
2. अर्लेम बिवरीज लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आ०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/103 दि० 11.3.87	20,000 लाइनें
3. अरविन्द मिल्स लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/454 दि० 27.11.86	20,000 लाइनें

4.	असम इलेक्ट्रानिक विकास निगम लि० गुवाहाटी ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/310 दि० 3.9.87	20,000 लाइनें
5.	आटो कंट्रोल (प्रा०) लि०, ओखला औद्योगिक क्षेत्र ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा संबद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/64 दि० 22.3.88	20,000 लाइनें
6.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० 2000 लाइनों तक के आर०ए०एक्स आ०प०/624 दि० 14.10.88	20,000 लाइनें
7.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, बंगलौर ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 अथवा उससे कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/471 दि० 4.12.86	20,000 लाइनें
8.	ब्लू स्टार लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०एक्स० तथा संबद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/205 दि० 19.5.86	50,000 लाइनें
9.	बी०पी०एल० सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्टस लि० बन्दापुर गांव (कर्नाटक) ई०पी०ए०बी०एक्स०, डी०जी०टी०डी०/95 दि० 14.5.85	50,000 लाइनें
10.	बी०पी०एल० सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्टस लि०, पालघाट फोरवायर ग्रुप सिलेक्टर तथा ई०पी०ए०एक्स० सी०आई०एल/56 दि० 27.2.87	500 नग
11.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक लि०, साहिबाबाद ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आ०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/473 दि० 4.12.86	20,000 लाइनें
12.	कांटीनेन्टल डीवाइस इंडिया लि० नारायणा (दिल्ली) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/444 दि० 21.11.86	20,000 लाइनें

13.	कास्मो कम्यूनिकेशनस प्रा० लि० ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/	20,000 लाइनें
14.	कॉम्पटन ग्रीव्ज लि० जीगानी (कर्नाटक) 2000 अथवा उससे कम क्षमता वाले आर०ए०एक्स० आ०प०/768 दि० 12.12.88	20,000 लाइनें
15.	देवीके इन्फारमैश टेक्नोलोजी लि०, नोएडा ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/445 दि० 21.11.86	20,000 लाइनें
16.	डेल्टा हेमालिन (प्रा०) लि०, चण्डीगढ़ ई०पी०ए०बी०एक्स ई०पी०ए०एक्स तथा सम्बद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/447 दि० 21.11.86	20,000 लाइनें
17.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० एस०पी०सी०टी०ए०एक्स० सी०आई०एल०/67 दि० 2.12.87	12,000 लाइनें
18.	एस्कार्टस लि० (टेलिको प्रभाग), बल्लभगढ़ ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स तथा सम्बद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/204 दि० 19.5.86	50,000 लाइनें
19.	एसेन टेलीकाम (प्रा०) लि० गुजरात ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/19 दि० 27.1.88	20,000 लाइनें
20.	जेनेसिस टेलीकाम प्रा० लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/620 दि० 1.1.86	20,000 लाइनें
21.	गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रानिकी लि० गांधी नगर (गुजरात) आर०ए०एक्स० आ०प०/553 दि० 25.9.87	50,000 लाइनें

22.	गुजरात नर्मदा घाटी फर्टीलाइजर्स कं० लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध उपस्कर आ०प०/535 दि० 30.6.86	20,000 लाइनें
23.	हाट्राननेटवर्क्स लि० हरियाणा आर०ए०एक्स० आ०प०/298 दि० 1.1.83	50,000 लाइनें
24.	एच०सी०एल० लि० (दूरसंचार प्रभाग) ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर डी०जी०टी०डी०/	20,000 लाइनें
25.	हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लि०, मैसूर ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा 2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/446 दि० 21.11.86	20,000 लाइनें
26.	इंडकेम इलेक्ट्रानिक्स लि०, पेरुनगुड़ी (तमिलनाडु) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/448 दि० 21.11.86	20,000 लाइनें
27.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (बंगलौर) सभी किस्म की स्विचन प्रणालियां सी०आई०एल०/9 दि० 13.1.89	2,00,000 लाइनें
28.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (बंगलौर) सभी किस्म की स्विचन प्रणालियां सी०आई०एल०/40 दि० 4.7.89	1,00,000 लाइनें
29.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (बंगलौर) सभी किस्म की स्विचन प्रणालियां एल०ए०आई०आई०/7-14 दि० 13.12.89	3,00,000 लाइनें
30.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (पालघाट) डी०टी०ए०एक्स० (60 के)/आर०ए०एक्स० (50 के)/ई०पी०ए०बी०एक्स० तथा ई०पी०ए०एक्स० (40 के) सी०आई०एल०/57 दि० 15.2.85	1,50,000 लाइनें

31.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (पालघाट) आर०ए०एक्स/ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/232 दि० 4.7.75	20,000 लाइनें
32.	भारतीय टेलीफोन उद्योग (मनकापुर) सभी किस्म की इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियां सी०आई०एल/11 दि० 22.1.85	5,00,000 लाइनें
33.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (राय बरेली) सभी किस्म की स्विचन प्रणालियां तथा सहायक उपस्कर सी०आई०एल०/373 दि० 15.12.81	3,00,000 लाइनें
34.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा (राजस्थान) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/493 दि० 16.12.86	20,000 लाइनें
35.	जे एण्ड के टेलीकॉम, रंगरथ (जम्मू तथा कश्मीर) आर०ए०एक्स०/ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स० सी०आई०एल०/34 दि० 3.2.89	50,000 लाइनें
36.	कालिन्दी रेल निर्माण (इंजीनियर्स) लि०, जयपुर ई०पी०ए०बीअएक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/49 दि० 5.2.87	20,000 लाइनें
37.	कर्नाटक टेलीकॉम लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स/आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/85 दि० 20.4.88	20,000 लाइनें
38.	केल्ट्रान—केरल राज्य इले० विकास निगम लि० ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/92 दि० 27.4.88	20,000 लाइनें

39.	लारसन एण्ड टबरो लि० मैसूर ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/344 दि० 3.9.86	50,000 लाइनें
40.	लावेनीर बिजनेस सिस्टम्स ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल/76 दि० 12.4.88	20,000 लाइनें
41.	मैग्नावीजन इलेक्ट्रानिक (प्रा०) लि०, बंगलौर ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/38 दि० 29.1.87	20,000 लाइनें
42.	महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रानिकी निगम लि० औरंगाबाद ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/110 दि० 27.5.88	50,000 लाइनें
43.	महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रानिकी निगम लि० औरंगाबाद 128 पोर्ट ई०पी०ए०बी०एक्स सी०आई०एल०/483 दि० 10.12.86	20,000 लाइनें
44.	महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रानिकी निगम लि० औरंगाबाद ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/411 दि०18.12.87	20,000 लाइनें
45.	नेशनल टेलीकॉम इण्डिया लि० नासिक (महाराष्ट्र) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स तथा संबद्ध वस्तुएं सी०आई०एल०/402 दि० 11.12.87	20,000 लाइनें
46.	नेल्को (नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिक कं० लि०) टी०टी०डी० इण्ड एरिया (महाराष्ट्र) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर आ०प०/379 दि० 14.7.88	20,000 लाइनें

47.	नार्दन डिजिटल एक्सचेंजेज लि० (नोड) ए मोहाली (पंजाब) ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स० तथा संबद्ध वस्तुयें सी०आई०एल०/35 दि० 28.1.87	50,000 लाइनें
48.	पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि० खरार (पंजाब) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/472 दि० 4.12.86	20,000 लाइनें
49.	पंजाब कम्यूनिकेशन लि० आर०ए०एक्स० सी०आई०एल०/120 दि० 10.6.88	50,000 लाइनें
50.	रेडिएण्ट इलेक्ट्रानिक्स, मंचेश्वर इण्ड० एस्टेट, उड़ीसा ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/256 दि० 1.11.88	50,000 लाइनें
51.	राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि० कनकपुरा (राजस्थान) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर आ०प०/562 दि० 30.6.88	20,000 लाइनें
52.	राजस्थान टेलीमेटिक्स (प्रा०) लि०, इन्द्रप्रस्थ इण्ड० एस्टेट (राजस्थान) ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल/194 दि० 15.5.87	20,000 लाइनें
53.	सुपरफोन्स इण्डिया (प्रा०) लि० ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स सी०आई०एल०	20,000 लाइनें
54.	टाटा टेलीकाम लि०, गान्धी नगर (गुजरात) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०	50,000 लाइनें
55.	टेलीमैटिक्स सिस्टम्स लि० वंदमंकम (तमिलनाडू) आर०ए०एक्स आ०प०/449 दि० 16.8.88	50,000 लाइनें

56.	यूनाइटेड टेलीकाम्स लि० यशवंतपुर (कर्नाटक) ई०पी०ए०बी०एक्स/ई०पी०ए०एक्स/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/506 दि० 29.12.86	20,000 लाइनें
57.	यूनिटेल कम्यूनिकेशन्स लि०, भुवनेश्वर ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/आर०ए०एक्स० तथा संबद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/395 दि० 22.10.86	50,000 लाइनें
58.	अप्ट्रॉन इंडिया लि०, गोमती नगर (उत्तर प्रदेश) ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध उपस्कर आ०प /415	50,000 लाइनें
59.	ऊषा इलेक्ट्रानिक्स, नोएडा ई०पी०ए०बी०एक्स० आ०प०/950 दि० 29.12.89	20,000 लाइनें
60.	डब्ल्यू० एस० इण्डस्ट्रीज, डोडाबल्लापुरा, कर्नाटक ई०पी०ए०बी०एक्स०/ई०पी०ए०एक्स०/2000 से कम लाइनों वाले आर०ए०एक्स० तथा सम्बद्ध उपस्कर सी०आई०एल०/100 दि० 3.9.87	20,000 लाइनें

टर्मिनल उपस्कर

		उत्पादन क्षमता
1.	मै० भारती टेलीकॉम लि० इलेक्ट्रानिक पुश बॉटन टेलीफोन सी०आई०एल०/330 दि० 25.8.86	2,00,000 नग
2.	मै० बी०पी०एल० सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्टस लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन	5,00,000 नग
3.	मै० कामटन ग्रिबज लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/429 दि० 4.11.86	2,00,000 नग
4.	मै० गुजराज संचार तथा इलेक्ट्रानिकी लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/314 दि० 13.8.86	5,00,000 नग

5.	मै० एच०सी०एल० लि० (दूर संचार प्रभाग) इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर सी०आई०एल०/6 दि० 13.1.88	5,00,000 नग
6.	मै० हिन्दुस्तान मे टेलीप्रिंटर लि० इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर सी०आई०एल०/285 दि० 23.8.85	5,00,000 नग
7.	मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० बंगलौर इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/5-8 दि० 25.8.71	10,50,000 नग
8.	मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग (श्रीनगर) इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/	1,00,000 नग
9.	मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग (नैयनी) इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/216	1,00,000 नग
10.	मै० केल्ट्रॉन टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंटस लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/328 दि० 25.8.86	5,00,000 नग
11.	लवेनीर बिजनेस सिस्टम्स इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/60 दि० 10.2.87	3,00,000 नग
12.	मै० ओमनीटेल इंडस्ट्रीज लि० पेफोन सी०आई०एल०/89 दि० 26.4.88	3,00,000 नग
13.	मै० पेसिफिक टेलीकाम एंड इन्स्ट्रूमेंटस लि० पेफोन अ०प०/612 दि० 1.8.84	50,000 नग
14.	मै० पलसार इलेक्ट्रानिक्स लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/18 दि० 13.1.87	2,00,000 नग
15.	मै० पुनिया इलेक्ट्रानिक, मेरठ एस०टी०डी बारिंगडिवाइज आई०एल०/2969 दि० 28.12 89	40,000 नग
16.	मै० पंजाब वेयरलेस सिस्टम्स लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/351 दिनांक 24.9.86	2,00,000 नग

17.	मै० राजस्थान टेलीफोन उद्योग लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/303 दि० 30.7.86	5,00,000 नग
18.	मै० रेमिंगटन रेण्ड आफ इंडिया लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०साई०एल०/94 दि० 27.4.88	2,00,000 नग
19.	मै० सेट टेलीकम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/420 दि० 31.10.86	2,00,000 नग
20.	मै० सुनील कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/175 दि० 4.5.87	2,00,000 नग
21.	मै० सुइड इण्डिया टेलीट्रोनिक्स लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/369 दि० 29.9.86	5,00,000 नग
22.	मै० टेलीमेटिक्स सिस्टम्स लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/363 दि० 24.9.86	5,00,000 नग
23.	मै० प्रियाराज इन्टरप्राइज इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/328 दि० 18.12.89	1,00,000 नग
24.	मै० यूनोटेड टेलीकाम लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई० एल०/56 दि० 9.2.87	2,00,000 नग
25.	मै० यूनीटेल कम्यूनिकेशन लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल०/311 दि० 7.8.86	2,00,000 नग
26.	मै० वेबेल संचार उद्योग लि० इलेक्ट्रानिक पुश बांटन टेलीफोन सी०आई०एल/501 दि० 23.12.86	5,00,000 नग
27.	मैसर्स पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिक उद्योग विकास लिमिटेड इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर सी०आई०एल०/167 दि० 26.7.88	5,00,000 नग

पी०सी०एम० उपस्कर

1. मै० इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
   सी०आई०एल : 132 (86) दि० 19.3.86
2. मै० इंडिया टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि० (नैयना)
   सी०आई०एल० : 343 (84) दि० 24.11.84
3. मै० अप्ट्रान इंडिया लि०
   348(86) दि० 4.9.86
4. मै० केरला इलेक्ट्रानिक्स डेवल. कारपोरेशन लि०
   सी०आई०एल : 233 (84) दि० 16.6.84
5. मै० कर्नाटक टेलीकाम लि०
   287(87) दि० 14.8.87
6. मै० ए०पी इलेक्ट्रानिक्स डेवल० कारपोरेशन लि०
   सी०आई०एल० : 170 (87) दि० 9.6.87
7. मै० पंजाब कम्यूनिकेशन लि०
   सी०आई०एल० : 222 (87) दि० 9.6.87
8. मैसर्स इंडियान टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०
   216(81)
9. मै० पंजाब कम्यूनिकेशन लि०
   65(89) दि० 8.3.89
10. मै० भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
    3(88) दि० 6.1.88
11. मैसर्स गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लि०
    62(82) दि० 12.2.82
12. मै० अप्ट्रान इंडिया लि०
    66(87) दि० 11.2.87
13. मै० इंडियान टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नैयनी
    सी०आई०एल० : 299(85) दिनांक 11.2.85
14. मै० पंजाब वेयरलेस सिस्टम्स लि०
    242(85) दि० 22.7.85
15. मै० गुजरात कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स लि०
    290(80) दि० 9.10.80
16. मै० पंजाब कम्यूनिकेशन लि०
    सी०आई०एल० : 184(87) दि० 8.5.87

एम०ए०आर०आर०/एम०ए०आर०टी० उपस्कर

1. मैं० गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लि०
   62(82) दि० 12.2.82

2. मैं० अप्ट्रान इंडिया लि०
   66 (87) दि० 11.2.87

3. मैं० इंडियान टेलीफोन इंडस्ट्रीज (नैयनी)

4. मैं० पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि०
   242(85) दि० 22.7.85

सूक्ष्म तरंग उपस्कर

1. मैं० भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
   147(83) दि० 7.4.83

2. मैं० आई०टी०आई० इक्यूटोरियल सेटकाम लि०
   393(87) दि० 1.12.87

3. मैं० भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
   86(89) दि० 27.3.89

4. मैं० इंडियान टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०
   216(81) दि० 10.8.81

5. मैं० पंजाब कम्यूनिकेशन लि०
   65(89) दि० 8.3.89

6. मैं० गोवा टेलीकाम सिस्टम्स लि०
   393(83) दि० 26.11.83

7. मैं० मेकस्टार ट्रांसमिशन जम्मू एण्ड कश्मीर प्रा० लि०
   121(89) दि० 26.4.89

8. मैं० हिमाचल फ्यूचारस्ट्रीक कम्यूनिकेशन लि०
   2757(80) दि० 19 12.88

परा/अति उच्च आवृत्ति उपस्कर

1. मैं० गुजरात कम्यूनिकेशन एन्ड इलेक्ट्रानिक्स लि०
   290(80) दिनांक 9.10.80

2. पंजाब कम्यूनिकेशन लि०
   सी०आई०एल० 184 (87) दि० 8,5.87

लाइन से प्रत्यक्ष उपस्कर

1. मै० पंजाब कम्यूनिकेशन लि०
   65 (89) दि० 26.11.83

एनालाग मक्स उपस्कर तथा एफ डी० एम० ग्राहक प्रणालियां

1. मै० गोवा टेलीकाम एंड सिस्टम्स लि०
   सी०आई०एल० : 393(83) दि० 26.11.83
2. मै० मेकस्टार ट्रांसमिशन जम्मू एंड कश्मीर प्रा० लि०
   121(89) दि० 26.4.89
3. मै० हिमाचल फ्यूचारस्टीक कम्यूनिकेशन लि०
   257(88) दि० 19.12.88

बुतरफा रेडियो संचार उपस्कर

1. मै० वेबल टेलीकम्यूनिकेशन इंडस्ट्रीज लि०
   सी०आई०एल० : 190(77) पुराना दि० 2.6.77
2. मै० जम्मू एन्ड कश्मीर स्टेट इंडि० डेवल० कारपो० लि० श्रीनगर
   सी०आई०एल० : 95 (86) दि० 5.3.86
3. मै० वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रानिक्स डेवल० कारपो० लि०
   सी०आई०एल : 7 (85) दिनांक 18.1.85
4. मै० कर्नाटक इलेक्ट्रानिक्स डेवल० कारपो० लि०
   सी०आई०एल० : 84(84) दि० 20.3.84
5. मै० इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ तमिलनाडू लि०
   सी०आई०एल० : 77(83) दि० 28.2.83
6. मै० राजस्थान कम्यूनिकेशन लि०
   सी०आई०एल० : 77(83) दि० 28.2.83
7. मै० गुजरात ट्रांसरिसीवरस लि०
   सी०आई०एल० : 106 (85) दि० 29.3.85
8. मै० बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवल० कारपोरेशन लि०
   सी०आई०एल० : 206 (87) दि० 1.6.87
9. मै० एम०ए०सी०ई० लि० विशापट्टनाम
   सी०आई०एल० : 359 (87) दि० 28.10.87
10. मै० अप्ट्रान कम्यूनिकेशन एन्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
    सी०आई०एल० : 359 (87) दि० 28.10.87

11. मैं० महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक डेवल० कारपोरेशन लि०
सी०आई०एल० : 221(87) दि० 9.6.87

12. मैं० पंजाब वेरयरलेस सिस्टम्स लि०
सी०आई०एल० : 130(83) दि० 26.3.83।

कम्प्यूटर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के वेतनमान

9553. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के वेतनमान समान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). जी हां। विगत में ही विभिन्न सरकारी विभाग कम्प्यूटरीकरण की अपनी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम की जिम्मेदारी के अनुरूप उपयुक्त वेतनमान पर उन के द्वारा परिभाषित कार्यों की जिम्मेवारी हेतु प्रोग्रामरों की भर्ती करते रहे हैं।

(ग) इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमानों को युक्तियुक्त बनाने से संबंधित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सरकारी विभागों में कम्प्यूटर प्रोग्रामरों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित वेतनमान देना का निर्णय किया है।

समिति की शिफारिशों पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

छावनी बोर्ड जनरल अस्पताल, दिल्ली छावनी के चिकित्सकों को अग्रिम

9554. **श्री कृपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, जनरल अस्पताल, दिल्ली छावनी में कार्यरत चिकित्सकों को आवास निर्माण/कार/अवकाश यात्रा रियायत संबंधी अग्रिम प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छावनी बोर्ड के पास इन अग्रिमों की राशियों पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। समग्र रूप से धन की कमी के कारण इन प्रयोजनों के लिए बोर्डों को सहायता अनुदान देना भी संभव नहीं है।

सीमा सड़क कामगार संघ, जम्मू और कश्मीर से ज्ञापन

9555. **डा० असीम बाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य के सीमा सड़क कामगार संघ से दिनांक 12 अप्रैल, 1990 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त की गयी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग). ज्ञापन में बतायी गयी शिकायतें इस प्रकार हैं :—

(1) कई वर्षों तक लगातार सेवा करने के बावजूद अधिकतर कामगारों को अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। इनकी सेवा शर्तें भी "बन्धक मजदूरों" के समान हैं।

(2) बिना कोई कारण बताए और मनगढ़न्त आधार पर लगभग 2000 कामगारों की सेवा समाप्त करना।

(3) सीमा सड़क संगठनों में कामगारों की सेवा समाप्त करना और उनकी पुन: नियुक्ति करना एक धन्धा बन गया है तथा भ्रष्टाचार संगठन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

(4) विद्यमान कामगारों का उपयोग रख-रखाव और मरम्मत के कार्यों के लिए किया जा रहा है लेकिन कामगारों की नई नियुक्ति दिखाकर बिल बनाए जा रहे हैं।

(5) सीमा सड़क कामगार संघ से जुड़े कामगारों को प्रबन्धकों द्वारा सताया जा रहा है।

(6) उन कामगारों के वेतन से 2 दिन के वेतन की अनियमित कटौती की गयी है जो नवंबर, 1989 में हुए पिछले संसदीय चुनावों में मत देने गए थे।

2. उपरोक्त शिकायतों के अतिरिक्त निम्नलिखित मांगें भी रखी गईं :—

(क) सीमा सड़क संगठन के सभी कामगारों को स्थाई करना।

(ख) निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करना।

(ग) सीमा सड़क संगठन में सभी श्रम कानूनों को लागू करना।

(घ) चुनाव वाले दिन के लिए कामगारों के वेतन से काटे गए दो दिन के वेतन को वापिस करना तथा जिस अधिकारी ने ऐसी कटौती के अनुदेश दिए थे उसके खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करना।

(ङ) मैसर्स राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम के मानदण्डों के अनुसार ऊंचाई/सुरंग भत्ते की अदायगी करना।

(च) प्रति वर्ष दो वर्दियां देना।

(छ) कामगार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार कामगारों को मुआवजे का भुगतान करना।

(ज) सीमा सड़क संगठन संघ को मान्यता प्रदान करना।

(झ) सीमा सड़क संगठन में व्याप्त वित्तीय भ्रष्टाचार और वित्तीय प्रबंध की किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जांच कराना।

(ञ) सीमा सड़क संगठन में सभी श्रम कानूनों को लागू करना और संघ के साथ विचार-विमर्श करके सेवा नियम बनाना।

(ट) संघ के 10 सक्रिय कार्यकर्त्ताओं सहित सभी निकाले गए कामगारों को नौकरी पर वापिस लेना।

3. दैनिक मजदूरों की नियुक्ति की अवधि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे "आवश्यकता के आधार" पर नियुक्त किए जाते हैं।

सीमा सड़क संगठन के नैमित्तिक कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त एक समय में 3 सप्ताह तक का राशन, कपड़े और चिकित्सा सम्बन्धी मूल सुविधाएं दी जाती हैं, भर्ती के स्थान से काम करने के स्थान तक की यात्रा अवधि के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति रुपये जेब खर्च के रूप में दिये जाते हैं और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर गर्मी देने वाले उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। ये कर्मचारी कामगार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार मुआवजा पाने के पात्र भी हैं।

नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती कार्य की मात्रा के अनुसार की जाती है। कार्य कम होने के कारण वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ नैमित्तिक मजदूरों को नौकरी से हटा दिया गया था।

कामगारों से रख-रखाव और मरम्मत का काम लेने और कुछ कामगारों को डराने-धमकाने के आरोप बेबुनियाद हैं।

24 नवम्बर, 1989 को मतदान के लिए कर्मचारियों को इस शर्त पर अवैतनिक अवकाश मनाने की स्वीकृति दी गयी कि अवकाश के दिन तुरन्त पहले के 6 कार्य दिवसों की गणना करने के लिए इसे कार्य दिवस माना जाएगा। लेखापरीक्षा ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और दो दिन का वेतन काट दिया। इस अनियमितता को दूर करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

संगठन में नैमित्तिक कामगारों को स्थाई करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे "आवश्यकता के आधार पर" नियुक्त किए जाते हैं।

भर्ती, कार्य-भार के अनुसार "आवश्यकता के आधार पर" की जाती है अथवा उसी आधार पर सेवा से हटाया जाता है; अत: हटाए गए सभी कामगारों को पुन: बहाल करना सम्भव नहीं है। परन्तु परिपाटी यह रही है कि यदि नैमित्तिक आधार पर कामगारों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती हो तो प्राथमिकता उन कामगारों को दी जाती है, जिन्हें हटाया गया था, बशर्ते वे ऐसी भर्ती के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

अध्यापकों द्वारा बिना त्यागपत्र दिए चुनाव लड़ना

9556. **श्री कल्प नाथ राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में नियुक्त अध्यापक बिना अपने पद से त्यागपत्र दिए विधायी निकायों, और नगर निगमों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यापक निर्वाचित हो जाने पर उनके सदस्य के रूप में कार्य करते रहने के साथ-साथ अपना अध्यापक पद भी रख सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें अपनी मूल संस्था और विधायी या स्थानीय निकायों दोनों से ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है; और

(घ) इस सम्बन्ध में नियमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

9557. **श्री बसन्त साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). नागपुर विश्वविद्यालय राज्य विधान मण्डल के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और नीति के एक मामले के तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती।

ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना

9558. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के गोपनीय दस्तावेज कितनी अवधि के बाद सार्वजनिक जानकारी में लाए जाते हैं और इतिहास के अंग बन जाते हैं;

(ख) क्या इस तरह के कुछ दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और केवल सम्पादित किए गए हैं; जो इस नियम के प्रतिकूल हैं;

(ग) क्या ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में मानदंड अथवा दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जो वर्गीकृत फाइलें 25 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित किए जाने से बच रहती हैं, उनकी 5 वर्ष में एक बार पुनरीक्षा की जाती है, जिससे कि उनका दर्जा घटाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सके। इस प्रकार जिन फाइलों का दर्जा घटाया गया हो, उन सभी में से ऐसी फाइलों को, जिन्हें स्थायी परिरक्षण के उपयुक्त समझा जाता है, बाद में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानान्तरित कर दिया जाता है और उनके 30 वर्ष पुरानी हो जाने के बाद उन्हें अभिलेखों का सृजन

करने वाली एजेंसियां द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के अध्यधीन वास्तविक अनुसंधान प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

तथापि, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को पहले से स्थानान्तरित गुप्त दस्तावेजों की संबंधित मंत्रालयों द्वारा समीक्षा की जा रही है और उनको गुप्त सूची से हटाया जा रहा है, ताकि इन्हें सुलभ कराया जा सके।

(ख) दस्तावेजों को सुलभ कराने से पहले उनका सम्पादन नहीं किया जा रहा है।

(ग) स्थायी महत्व के अभिलेखों के परिरक्षण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में दिए गए हैं। तथापि, मूल कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों के लिए अभिलेख प्रतिधारण समयसूचियों के माध्यम से विशेष दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

(घ) सामान्यतया निम्नलिखित स्वरूप की फाइलों का स्थायी रूप से परिरक्षण किया जाता है :—

(1) ऐसे कागज-पत्र जिनमें सरकार के अथवा उसके प्रति कर्त्तव्य अथवा अधिकारों सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध हों, उदाहरणार्थ जायदाद का स्वामित्व, मुआवजे के दावे जो किसी निश्चित अवधि के अधीन नहीं हैं, औपचारिक दस्तावेज जैसे कि अधिनिर्णय योजनाएं, आदेश और मंजूरियां आदि।

(2) मुख्य नीति विषयक निर्णयों से सम्बन्धित कागज-पत्र जिसमें विधि निर्माण सम्बन्धी कागज-पत्र भी सम्मिलित हैं।

(3) महत्वपूर्ण समितियों, कार्यकारी दलों आदि के गठन, कार्य और कार्यपालन संबंधी कागज-पत्र।

(4) महत्वपूर्ण कार्यविधियों के लिए स्थायी नजीर के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले कागज-पत्र जैसे प्रशासनिक ज्ञापन, ऐतिहासिक रिपोर्ट और सार, महत्वपूर्ण विषयों पर कानूनी मत।

(5) नियमों, विनियमों, विभागीय निर्देशों अथवा सामान्य प्रयोग वाले सम्बन्धित कागज-पत्र।

(6) सरकारी विभागों और कार्यालयों के गठन और उनमें कर्मचारी लगाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागज-पत्र।

(7) ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमों अथवा सनसनीदार मुकदमों से सम्बन्धित कागज-पत्र जिनमें प्रशासन भी एक पक्ष था।

(8) किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की स्थापना से सम्बन्धित कागज-पत्र जिनमें इस बात की सूचना मिलती हो कि उसको किस प्रकार संगठित किया गया, उसने किस प्रकार कार्य किया और (यदि वह समाप्त हो गयी हो तो) इसे किस प्रकार समाप्त किया गया और क्यों समाप्त किया गया।

(9) विभाग/एजेंसी की उपलब्धियों के बारे में आंकड़े। उदाहरण के रूप में कुछ नमूने ही काफी होंगे परन्तु जहां छपी हुई वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध हो, वहां ऐसे नमूने रखने की भी आवश्यकता नहीं है।

(10) नीति से परिवर्तन से सम्बन्धित कागज-पत्र। इस प्रकार के परिवर्तन की पहचान करना सदैव आसान नहीं होता, परन्तु (क) मंत्री के लिए तैयार किए गए सार (ख) विभागीय या अन्तर्विभागीय समिति अथवा कार्यकारी दल की स्थापना तथा (ग) मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समिति के लिए तैयार की गयी टिप्पणी आदि को ध्यानपूर्वक रखा जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे सभी कागज-पत्र जिनमें परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले सभी कागज-पत्र भी शामिल हैं, सुरक्षित रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। फिर भी, अन्तर्विभागीय समितियों के बारे में यह महत्त्वपूर्ण है कि कागज-पत्र का पूरा सैट केवल मुख्य रूप से सम्बद्ध विभागों द्वारा आमतौर पर उसी विभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाए जो उस समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है।

(11) नीति में परिवर्तन के कार्यान्वयन सम्बन्धी कागज-पत्र, जिनमें कार्यपालक एजेंसियों इत्यादि को जारी किए गए सभी अनुदेशों और संगत फार्मों का एक पूरा सैट भी शामिल है।

(12) सुप्रसिद्ध सार्वजनिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय घटना या सनसनीदार मुकदमा या अन्य ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित कागज-पत्र जिनसे राष्ट्रीय योजनाओं को प्रोत्साहन या प्रतिवाद मिलता हो।

(13) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों की प्रवृत्तियों और उनके विकास से सीधे सम्बन्धित कागज-पत्र विशेषकर, जिनसे किसी लम्बी अवधि अथवा बहुत से क्षेत्रों से सम्बन्धित अप्रकाशित सांख्यिकीय तथा वित्तीय आंकड़े मिलते हों।

(14) ऐसे कागज-पत्र जिनका सरकारी प्रकाशनों में हवाला किया गया है, अथवा जिन्हें सरकारी प्रकाशनों के सम्बन्ध में देखा गया या उद्धृत किया गया है।

(15) वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अनुसंधान तथा विभाग के अधीन महत्वपूर्ण पहलुओं से सम्बन्धित कागज-पत्र।

(16) स्थानीय रुचि के ऐसे विषयों में सम्बन्धित कागज-पत्र जिनके लिए स्थानीय साक्ष्य हो सकना कठिन हो तथा ऐसे कागज-पत्र जिनसे सारे देश से अथवा उसके बहुत बड़े हिस्से से सम्बन्धित सूचना की रूपरेखा मिलती हो।

(17) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अप्रचलित कार्यकलापों अथवा छानबीनों अथवा निष्फल योजनाओं से सम्बन्धित कागज-पत्र।

(18) किसी अन्य विशेष प्रकार के अभिलेख जिनको राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इतिहास के किसी भी पक्ष राजनीतिक सामाजिक आर्थिक आदि से सम्बन्धित सूचना का वास्तविक स्रोत समझा जाना चाहिए अथवा इसे जीवनचरित या पुरातत्वेत्ता की रुचि का समझा जाता हो।

भारतीय वन सेवा परीक्षा हेतु अंग्रेजी का प्रश्न पत्र

[हिन्दी]

9559. **श्री बालुन कुम्बरई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन सेवा की परीक्षा में "अंग्रेजी" एक अनिवार्य विषय है;

(ख) क्या इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को चयन-सूची तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय वन सेवा की परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर केवल अंग्रेजी भाषा में देना अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ङ). अंग्रेजी विषय के एक प्रश्न पत्र पास करने के अलावा, अंग्रेजी, हिन्दी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प प्रदान करने की स्कीम केवल सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। भारतीय वन सेवा में अधिकारियों की भर्ती परीक्षा स्कीम में संशोधन नहीं किया गया है। अतः इसमें अंग्रेजी अनिवार्य है तथा अंग्रेजी में अंकों को मैरिट लिस्ट बनाते समय जोड़ा जाता है तथा अभ्यर्थियों से सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देने होते हैं। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मानदंड और प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु हरसंभव कदम उठाए हैं, फिर भी आयोग का विचार है कि जब तक इस स्कीम के कार्य का विस्तृत विश्लेषण और निष्कर्षों का मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक यह सुविधा भारतीय वन सेवा सहित अन्य परीक्षाओं में लागू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित विषय मुख्यतया विज्ञान और इंजीनियरी से संबंधित हैं। सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें वन-वर्धन, मेंसुरेशन, मृदा विज्ञान, भू-विज्ञान, भूमि प्रबंध और भू-संरक्षण, इंजीनियरी, वन नीति और विधि, वन्यजीव प्रबंध, कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, विश्व वानिकी, पारिस्थितिकी आदि से संबंधित वैज्ञानिक विषय आते हैं और इन विषयों पर अधिकांश मानक साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध हैं।

मौलाना आजाद के उर्दू पत्रों का प्रकाशन

[अनुवाद]

9560. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का मौलाना आजाद के उर्दू पत्रों की, जो अभी प्रकाशित नहीं हुए, एक विशेष पुस्तक प्रकाशित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रख्यात इतिहासकार, स्वर्गीय डा० ताराचंद के सौजन्य से 1966 में प्राप्त संग्रह में से मौलाना आजाद के उर्दू में लिखे खतों वाले एक ग्रंथ का प्रकाशन कर रहा है।

बीजिंग एशिया खेलों हेतु हॉकी खिलाड़ियों का चयन

9561. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय हॉकी संघ के बीच सितम्बर, 1990 में होने वाले बीजिंग एशिया खेलों के लिए हॉकी खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). भारतीय हॉकी संघ ने जून, 1990 में एमस्टलवीन में होने वाले बी० एम० डब्ल्यू०—6 राष्ट्र हॉकी प्रतियोगिता तथा सितम्बर, 1990 में बीजिंग एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम तैयार करने के प्रयोजन से चयन परीक्षाएं आयोजित करने के अपने निर्णय की सरकार को सूचना दी है। तत्पश्चात् यह बात सरकार के ध्यान में आई कि "चयन परीक्षण" से भारतीय हॉकी संघ का तात्पर्य "मुक्त परीक्षण" से था तथा संघ, संभावित नये खिलाड़ियों का चयन करना चाहता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीजिंग एशियाड के लिए पता लगाये गये 33 संभावित खिलाड़ियों के एक मुख्य समूह को नवम्बर, 1989 से गहन प्रशिक्षण के अलावा उपयुक्त विदेशी प्रतियोगी प्रदर्शन पहले से दिये जा रहे हैं, सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार के पश्चात् भारतीय हॉकी संघ को सूचित किया कि, चूंकि बीजिंग एशियाड बहुत निकट है, इसलिए पता लगाये, चयन किए और प्रशिक्षित किए गए संभावित खिलाड़ियों में भारी फेर फदल करना अत्यधिक खतरनाक, अविवेचित तथा अनुपयुक्त होगा। सरकार ने भारतीय हॉकी संघ को आगे सूचित किया कि निसंदेह, कुछ विषयों में ये परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन नये एवं उदीयमान प्रतिभाशालियों को शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु पर्याप्त समय चाहिए। इन "मुक्त परीक्षणों" के लिए बीजिंग एशियाड के पश्चात् पर्याप्त समय होगा।

तत्पश्चात सरकार ने इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने एवं उनके समाधान के लिए भारतीय हॉकी संघ, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भाषा संबंधी नीति

[हिन्दी]

9562. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाषा संबंधी क्या नीति अपनायी जाती है;

(ख) क्या अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गत वर्ष किन-किन परीक्षाओं का आयोजन किया गया और इनमें कितने उम्मीदवार बैठे तथा उन्होंने किस-किस माध्यम से परीक्षा दी ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नाम, प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए निर्धारित भाषाएं,

1989-90 के आयोजित परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या और उनके द्वारा विकल्प दिए गए परीक्षा के माध्यम को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। आयोग की परीक्षाओं के लिए भाषा माध्यम तथा कुछ परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित विषयों की जांच संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग द्वारा की जाएगी।

विवरण

परीक्षा का नाम	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या	(वर्णनात्मक प्रश्न पत्रों के लिए) परीक्षा में अनुज्ञेय माध्यम	जिस माध्यम द्वारा उम्मीदवार परीक्षा में बैठे उसके अनुसार उम्मीदवारों का विवरण	
1. सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा, 1989*	9,408	अंग्रेजी अथवा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से कोई एक भाषा।	अंग्रेजी :	7686
			असमी :	3
			बंगाली :	11
			गुजराती :	38
			हिन्दी :	1468
			कन्नड़ :	13
			कश्मीरी :	—
			मलयालम :	—
			मराठी :	20
			उड़िया :	1
			पंजाबी :	6
			संस्कृत :	—
			सिंधी (देवनागरी लिपि) :	—
			सिंधी (अरबी लिपि) :	—
			तमिल :	24
			तेलगू :	134
			उर्दू :	4
				9408
2. अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड ख/ग्रेड 1 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1989	1,123	अंग्रेजी और हिन्दी	अंग्रेजी	1045
			हिन्दी	78
				1123

*सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में लिखित उत्तरों के लिए चुनी गई भाषा से सम्बद्ध आंकड़े।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ग्रेड 1 (अवर सचिव) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1989	18	अंग्रेजी और हिन्दी	अंग्रेजी : 17 हिन्दी : 1 ——— 18 ———
4. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 1989	6772	अंग्रेजी	प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा की अनुमति नहीं है।
5. सहायक अभियन्ता (के०लो०नि०वि०) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1989	1741	अंग्रेजी	—यथोपरि—
6. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1989	17607	अंग्रेजी	—यथोपरि—
7. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1989	89880		इन परीक्षाओं के लिए लागू नहीं है क्योंकि प्रश्न पत्र केवल वस्तुपरक स्वरूप के होते हैं जिन के लिए प्रस्ताव की तरह लिखित उत्तर देने आवश्यक नहीं हैं।
8. विशेष श्रेणी रेल अप्रेंटिस परीक्षा, 1989	9218		
9. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई, 1989	28769		
10. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, अक्तूबर, 1989	24630		
11. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा, मई, 1989	29565		
12. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा, अक्तूबर, 1989	35158		
13. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 1990	14782		
14. भूविज्ञानिक परीक्षा, 1990	1759		

इन्सैट-1 बी का कार्यकाल अधिकतम करने का प्रयास

[अनुवाद]

9563. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन पुराने पड़ रहे इन्सैट-1 बी० के कार्यकाल को अधिकतम करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, और वर्तमान दूरदर्शन, दूर-संचार और डेटा-रिले प्रयोगकर्त्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अगले वर्ष दिल्ली में एक नया भू-केन्द्र का निर्माण करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इसका उत्तरी क्षेत्र में मौसम संबंधी सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख). जी, हां । इन्सैट-1 बी० की उत्तर-दक्षिण स्थिति विधा को अलग करते हुए और कक्षा आनति में अल्प वृद्धि को स्वीकारते हुए उपग्रह में विद्यमान ईंधन के प्रयोग को न्यूनतम कर दिया गया है। उपलब्ध ईंधन का इस्तेमाल केवल अन्तरिक्षयान अभिवृति और पूर्वी-पश्चिमी बहाव को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

इन्सैट-1 बी० की कक्षा आनति में वृद्धि के कारण दूरदर्शन और दूरसंचार सेवाओं को बनाए रखने के लिए लीज पर लिए गए प्रेषानुकरों का प्रयोग किया जा रहा है। इन्सैट-1 बी० के इस्तेमाल से सुदूर क्षेत्र में दूर-संचार सेवाओं को बनाए रखा जा रहा है। इन्सैट-1 बी० का प्रयोग आंकड़ा-रिले और मौसम विज्ञानीय सेवाओं तथा बिना विपरीत प्रभाव के मेघावरण प्रतिबिम्बकियों के लिए भी किया जा रहा है।

(ग) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में एक नये भू-केन्द्र की स्थापना कर रहा है, जो इन्सैट-II उपग्रहों से मेघावरण प्रतिबिम्बिकियां सीधे प्राप्त करेगा । इनमें से प्रथम उपग्रह का प्रमोचन 1991 के लिए निर्धारित है। आंकड़ा संसाधन सुविधा सहित यह केन्द्र उपग्रह प्रति बिम्बिकियों के आधार पर सम्पूर्ण राष्ट्र को मौसम विज्ञानीय सेवाएं प्रदान करेगा।

लक्ष्मीबाई नेशनल कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन, त्रिवेन्द्रम

9564. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीबाई नेशनल, कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन, त्रिवेन्द्रम में पिछले तीन सत्रों के दौरान छात्रों की संख्या का, सत्रवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने लक्ष्मीबाई नेशनल कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन, त्रिवेन्द्रम को अखिल भारतीय संस्था का स्तर देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) पिछले तीन शैक्षिक सत्रों—1987-88, 88-89 तथा 89-90 के दौरान इस कालेज के छात्रों की संख्या क्रमशः 96, 101 और 118 थी।

(ख) और (ग). जी, हां । केन्द्रीय सरकार ने इस कालेज को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज के रूप में स्थापित किया है । कालेज में शारीरिक शिक्षा में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चलाया जाता है जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है । कालेज परिसर में बड़े पैमाने पर मानकीकृत खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ।

हिन्दी और अन्य भाषाओं के विकास पर खर्च की गई धनराशि

9565. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से हिन्दी भाषा के विकास पर खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य भाषाओं (संविधान की आठवीं सूची में सूचीबद्ध) के विकास पर खर्च की गई धनराशि का भाषावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) निम्नलिखित तीन वर्षों के दौरान हिन्दी भाषा के विकास के लिए खर्च की गयी राशि इस प्रकार है :

1986-87	1987-88	!988-89
		(लाख रुपयों में)
499.77	700.86	1016.02

(ख) आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में हिन्दी के अलावा संस्कृत के लिए ही बजट में अलग आबंटन किया जाता है । निम्नलिखित तीन वर्षों के दौरान संस्कृत के विकास के लिए खर्च की गयी राशि इस प्रकार है :

1986-87	1987-88	1988-89
		(रुपये लाखों में)
551.22	490.60	561.80

हिन्दी और संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के संबंध में इन सभी भाषाओं के लिए बजट आबंटन इकट्ठा किया जाता है । हिन्दी और संस्कृत तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के विकास के लिए खर्च की गयी राशि इस प्रकार है :

1986-87	1987-88	1988-89
		(लाख रुपयों में)
286.46	302.96	377.08

वर्ष 1989-90 के संबंध में अंतिम आंकड़ों का अभी तक संकलन नहीं किया गया है ।

ताप विद्युत केन्द्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपाय

9566. **श्री रामेश्वर प्रसाद :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे ताप विद्युत केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है, जहां प्रदूषण नियन्त्रण उपाय या तो बिल्कुल नहीं हैं, अथवा अपर्याप्त हैं;

(ख) इस स्थिति से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) भारत में 68 ताप विद्युत केन्द्रों में से 3 केन्द्रों को बन्द कर दिया है। 21 केन्द्र मानकों का अनुपालन कर रहे हैं और 44 विद्युत केन्द्रों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं हैं।

(ख) सरकार द्वारा ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों से धूल कणों के उत्सर्जन के लिए सरकार ने मानक निर्धारण किये हैं। ये मानक केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय और चार आंचलिक कृत्यक बल गठित किए हैं जिन 44 ताप विद्युत केन्द्रों में पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण नहीं हैं उनमें से 20 विद्युत केन्द्र आंशिक रूप से मानकों का अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने पूर्ण अनुपालन के लिए एक समयबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया है तथा 24 संयंत्र अपने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विस्तार कर रहे हैं।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण

9567. **श्री रामसागर (सैदपुर) :** क्या **प्रधान मंत्री** अधिकारियों के बारी-बारी से स्थानांतरण के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में संवेदनशील पदों पर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण करने के बारे में सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे गैर-सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों का रैंकवार ब्यौरा क्या है जो या तो संवेदनशील अनुभाग में तीन वर्ष कार्य कर चुके हैं अथवा गैर संवेदनशील अनुभाग/ग्रुप में पांच वर्ष तक कार्य कर चुके हैं या संवेदनशील और गैर संवेदनशील दोनों प्रकार के अनुभागों/ग्रुपों में संवर्ती रूप से पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख). सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय सहित रक्षा मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में कार्य कर रहे सिविलियनों को निश्चित अवधि के बाद स्थानान्तरित किए जाने की एक सुनिश्चित नीति है। इस नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) किसी भी व्यक्ति को एक मुख्यालय/ब्रांच/संगठन में 10 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक बने रहने की अनुमति नहीं है।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण गोपनीय स्वरूप के अनुभाग (जो संगठन द्वारा स्वयं ही निर्धारित किया जाता है) में तीन वर्ष की अवधि से अधिक बने रहने की अनुमति नहीं है। सिविलियन स्टाफ अफसर के रैंक तक के अफसर, जो अनुभागों के प्रधान होते हैं, इस प्रावधान के अन्तर्गत आते हैं; और

(3) वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्बद्ध आशुलिपिकों और वैयक्तिक स्टाफ का स्थानान्तरण तीन वर्ष पूरा होने पर या इससे पूर्व भी संगठन द्वारा आंतरिक रूप से स्वयं किया जाता है।

मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रहे किसी भी कर्मचारी ने इस कार्यालय में दस वर्ष पूरे नहीं किए हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के महत्वपूर्ण गोपनीय स्वरूप के अनुभागों में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश जारी किए गए हैं जिन्होंने उन अनुभागों में से किसी एक अनुभाग में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

(ग) जैसा ऊपर बताया गया है, उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण गोपनीय स्वरूप के अनुभागों में तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के रैंकवार ब्यौरे इस प्रकार से हैं :—

रैंक	पांच वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए महत्वपूर्ण अगोपनीय स्वरूप के अनुभाग/ग्रुप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	पांच वर्षों से अधिक समय के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय स्वरूप और अमहत्वपूर्ण अगोपनीय स्वरूप के अनुभागों/ग्रुपों—दोनों में लगातार कार्यरत कर्मचारियों* की संख्या
1	2	3
सिविलियन स्टाफ अधिकारी	1	3
सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी	2	6
सहायक	7	18

*इस सूची में वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण गोपनीय स्वरूप के अनुभाग/ग्रुप में तीन वर्ष तक कार्य किया और जिन्हें गैर अमहत्वपूर्ण अगोपनीय स्वरूप के अनुभाग/ग्रुप में स्थानान्तरित किया गया तथा जिन्हें गैर-अमहत्वपूर्ण अगोपनीय स्वरूप के अनुभाग/ग्रुप से महत्वपूर्ण गोपनीय स्वरूप के अनुभाग/ग्रुप में स्थानान्तरित किया गया।

1	2	3
उच्च श्रेणी लिपिक	9	10
अवर श्रेणी लिपिक	9	17
ग्रेड "क"/"ख" आशुलिपिक	शून्य	शून्य
ग्रेड "ग" आशुलिपिक	शून्य	1
ग्रेड "घ" आशुलिपिक	शून्य	1

त्रिपुरा को छपाई कागज का आवंटन

9568. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण, कापियां बनाने और परीक्षा-पत्र रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को सफेद छपाई का कागज आवंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा को कितना कागज सप्लाई किया गया;

(ग) क्या कागज का आवंटन हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कागज की अपेक्षित 25 प्रतिशत लागत जमा कराने के बावजूद भी राज्य को आवंटित आधा कोटा बेकार हो जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1987, 1988 और 1989 के दौरान त्रिपुरा राज्य को सफेद मुद्रण कागज की निम्नलिखित मात्रा आवंटित और मुहैया की गई है :—

क्रम संख्या	वर्ष	मात्रा आवंटित (मीट्रिक टन में)	मुहैया की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)
1.	1987	308	186.5021
2.	1988	308	67.8114
3.	1989	308	99.5590

(ग) जी, हां।

(घ) से (च). मैसर्स हिंदुस्तान पेपर निगम त्रिपुरा राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा क्षेत्रों को कागज की आपूर्ति निगम द्वारा कुछ कठिनाइयों का सामना करने के कारण समय पर नहीं की गयी है जो ये हैं उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि और प्राकृतिक विपत्तियां इत्यादि।

इस बीच, भारत सरकार ने आर्थिक सहायता के स्तर में कुछ वृद्धि की अनुमति प्रदान की ताकि बढ़ी हुई कीमत को पूरा किया जा सके। शिक्षा विभाग ने निगम को सभी सम्भव प्रयास करने के लिए आदेश जारी किए हैं ताकि आबंटनों के अनुसार आपूर्ति को प्रभावी बनाया जा सके।

परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड

9569. **श्री एम०एम० पल्लम राजू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस बोर्ड का गठन कब किया गया था तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16, 17 और 23 के अन्तर्गत नियामक तथा सुरक्षा सम्बन्धी कुछ कार्य करने के लिए उस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत 15 नवम्बर, 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन किया गया था।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(i) देश में विकिरण सम्बन्धी सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाए जा रहे यूनिटों में औद्योगिक सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियम तथा विनियम बनाना तथा उन्हें लागू करना।

(ii) नाभिकीय ईंधन चक्र से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के स्थलों का निर्धारण करने, उन संयंत्रों का डिजायन तैयार करने तथा निर्माण करने, उन्हें चालू करने, चलाने और बंद करने के बारे में विकिरण सम्बन्धी सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा दोनों ही के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी संहिताएं, निर्देशिकाएं और मानक तैयार करना।

(iii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई जा रही संस्थापनाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर की संस्थापनाओं में सुरक्षा सम्बन्धी संहिताओं तथा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(iv) विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव रेडियो धर्मिता की उन्मुक्त होने वाली मात्रा और पारम्परिक उन्मुक्त किये जाने वाले प्रदूषणों की मात्रा की सीमा निर्धारित करना।

(v) विकिरण सम्बन्धी संस्थापनाओं के प्रचालन सम्बन्धी सभी पहलुओं की समीक्षा करना और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना।

(vi) विकिरण और औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देना और उनके लिए धनराशि देना।

(vii) परियोजनाओं और संयंत्रों द्वारा कार्मिकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अहर्ताओं और लाइसेंस सम्बन्धी नीतियों की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना और उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(viii) सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में भारत के तथा भारत से बाहर के, दोनों ही प्रकार के, सांविधिक निकायों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।

(ix) विकिरण सम्बन्धी सुरक्षा की महत्ता के मुख्य मुद्दों के बारे में जनसाधारण को अवगत रखना।

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. श्री एस०डी० सोमन	—	अध्यक्ष
2. श्री जे०सी० शाह, भूतपूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण, भूतपूर्व अध्यक्ष, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	—	अंशकालिक सदस्य
3. प्रो० के० श्रीराम अध्यक्ष, न्यूक्लियर इंजीनियरी तथा प्रोद्योगिकी कार्यक्रम आई०आई०टी०, कानपुर	—	अंशकालिक सदस्य
4. डा० पी०बी० देसाई निदेशक, टाटा स्मारक केन्द्र	—	अंशकालिक सदस्य
5. श्री एम०एस०आर० शर्मा अध्यक्ष, चालू संयंत्रों संबंधी सुरक्षा समीक्षा समिति	—	पदेन सदस्य

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के स्कूलों को आर्थिक सहायता

9570. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के स्कूलों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष से सहायता राशि बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को 14.70 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग). वित्तीय सहायता की सीमा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर आधारित होगी।

रक्षा कर्मियों को परिवार पेंशन

9571. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के अंत तक की स्थिति के अनुसार मृतक रक्षा कर्मियों के परिवार पेंशन की स्वीकृति के कितने मामले विचाराधीन थे; और

(ख) उन्हें स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं; और उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 3502 मामले बकाया पड़े थे।

(ख) देरी के लिए मुख्य कारण ये हैं—सम्बन्धित परिवार का आवेदन-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करना, दावे विवादास्पद होना, अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा पत्राचार के आने-जाने में विलम्ब होना। इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए उपायों में अपेक्षित कारंवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, आवेदन-पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित परिवार को अनुस्मारक भेजना, दस्तावेजों की समय से जांच करना, परिवार पेंशन की संयुक्त अधिसूचना जारी करना तथा विभिन्न संबंधित कार्यालयों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के परिवारों के लिए परिवार पेंशन मंजूर होने तक, उन्हें इस बीच तुरन्त सहायता प्रदान करने की दृष्टि से उनके लिए अंतरिम राहत मंजूर कर दी जाती है।

वन्य-प्राणियों का चोरी से शिकार करने सम्बन्धी घटनायें

9572. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों द्वारा भारत—भूटान सीमाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान वन्य प्राणियों के चोरी से शिकार करने संबंधी कितने मामले सूचित किए गए हैं;

(ख) क्या सीमावर्ती राज्यों से वन्य प्राणियों को चोरी से शिकार करने के मामलों में वृद्धि हो रही है और वहां वन्य जीवों के लगभग लुप्त होने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो वन्य प्राणियों का चोरी से शिकार करने की रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त याचिकायें

9573. **श्री बासवपुन्नय्या सिंगम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के दौरान प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों से सम्बद्ध कितनी याचिकायें प्रधान मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुई हैं;

(ख) उस अवधि के दौरान कितनी याचिकाओं का निपटारा किया गया; और

(ग) कितनी याचिकायें/शिकायतें अभी भी विचाराधीन हैं और उनका निपटारा कब तक होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). पहली जनवरी, 1990 से लेकर 30 अप्रैल, 1990 तक प्रधान मंत्री के कार्यालय में विभिन्न विषयों पर 1 लाख 72 हजार याचिकायें प्राप्त हुई जिनमें प्रशासन के विरुद्ध याचिकायें भी शामिल हैं। वे सभी याचिकायें जो विभिन्न सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा निपटायी जानी हैं, उनके पास समुचित कारंवाई के लिए भेज दी गयी हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के स्थायी रिक्त पद निर्धारित करने के लिए मानदण्ड

9574. **श्री केशरी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में प्रत्येक वर्ष स्थायी रिक्त पद निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) वर्ष 1982 से 1985 तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड में पदोन्नति दिए जाने के कारण रिक्त हुए पदों और स्थायी पदों सहित वर्षवार कुल कितने पद वास्तव में रिक्त हुए थे; और

(ग) वर्ष 1983 से 1985 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अनुभाग अधिकारियों के लिए वर्षवार कितना कोटा/वास्तविक रूप से कितने रिक्त पद निर्धारित किए गए थे ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में स्थायी रिक्तियों को निर्धारित करने के लिए मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, उच्चतर ग्रेड में स्थायीकरण अथवा स्थायी पद संख्या में संशोधन के कारण होने वाली रिक्तियों को गिना जाता है।

(ख) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानिटर नहीं की जाती है चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड विकेन्द्रीकृत है तथा इसे विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ग) वर्ष 1983 से 1985 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पिछले वर्ष की बकाया रिक्तियों सहित स्थायी रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

1983 : 51

1984 : 61

1985 : 45

शिवाजी के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा

9575. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर छुट्टी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) नीति के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिवाय किसी राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर कोई नियमित राष्ट्रीय छुट्टी नहीं मनायी जा रही है। इस दृष्टि से और एक वर्ष में घोषित की जाने वाली छुट्टियों की संख्या सीमित होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

आठवीं योजना के लिए वानिकी योजनाएं

9576. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में वानिकी क्षेत्र के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) वानिकी क्षेत्र में उड़ीसा के लिए राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, केन्द्रीय सरकार का शेयर, शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता सहित आठवीं योजना में कुल कितनी धनराशि का परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(ग) आठवीं योजना में उड़ीसा में कार्यान्वित किये जाने वाले वनरोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). आठवीं योजना में केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के लिए वानिकी क्षेत्र हेतु परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

तमिलनाडु में नौसैनिक हवाई अड्डा और तटरक्षक हवाई अड्डा चालू करना

9577. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसैनिक हवाई अड्डा, तंजावुर जिसका कुछ महीने पूर्व शिलान्यास किया गया था, को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और तमिलनाडु में तटरक्षक अड्डे के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त परियोजनाएं वस्तुतः कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख). तंजावुर में नौसैनिक हवाई अड्डे की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। अक्तूबर, 1989 में जो शिलान्यास किया गया था वह वायुसेना स्टेशन के लिए था। जहां तक तमिलनाडु में एक तटरक्षक हवाई स्टेशन की स्थापना का संबंध है इसके लिए तंजावुर और मद्रास में मीनाम्बक्कम संभावित स्थान पाए गए हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय, अपेक्षित भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर लिया जाएगा।

नवोदय विद्यालयों के छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन

[हिन्दी]

9578. **श्री बापूराव परांजपे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रति छात्र कितनी मासिक धनराशि निर्धारित की गई है और यह कब से निर्धारित है;

(ग) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस धनराशि को बढ़ाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए भोजन की मात्रा घटाई जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के 1985-86 में अस्तित्व में आने से ही इस प्रयोजनार्थ 250 रु० (दो सौ पचास रु०) मात्र प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निश्चित किया गया है ।

(ग) अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

खेलों पर खर्च की गयी धनराशि

[अनुवाद]

9579. **श्री बलवन्त मनवर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलकूदों के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) सरकार ने विभिन्न खेलकूदों पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) क्या अकेले क्रिकेट पर ही भारी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा "खेलकूद" के लिए आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि का ब्योरा इस प्रकार है :

रुपये लाखों में

	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक खर्च
1987-88	4,914.00	3,431.61
1988-89	6,419 23	5,762.76
1989-90	6,867.00	6,867.00 (संशोधित प्राक्कलन)

(ग) जी, नहीं। जबकि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्रिकेट (पुरुष) के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है लेकिन गत तीन वर्षों के दौरान क्रिकेट (महिला) के लिए दी गई सहायता इस प्रकार है :

1987-88	79,800 रुपये
1988-89	85,400 रुपये
1989-90	4,00,134 रुपये

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संजय सागर सिंचाई परियोजना

9580. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह नदी पर संजय सागर परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो विदिशा जिले के अत्याधिक पिछड़े क्षेत्र में स्थित इस परियोजना को स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). बाह नदी पर संजय सागर सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित कारणों से मई, 1988 में नामंजूर कर दिया गया है :

—0.6 और इससे अधिक सघनता वाले अच्छे वनों की क्षति, जिससे प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा।

—अधूरी पुनर्वास योजना;

—अपूर्ण कमांड क्षेत्र विकास योजना; तथा

—अपूर्ण कैचमेंट क्षेत्र सुधार योजना।

त्रिपुरा में पर्यावरण प्रदूषण के बचाव के उपाय

9581. **श्री के०बी०के० देब बर्मन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए त्रिपुरा में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी अनुमानित लागत क्या होगी और इनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : वर्ष 1990-91 के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण हेतु त्रिपुरा को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है :

स्कीम	अन्तरिम आवंटन (लाख रुपयों में)
(1) समन्वित परती भूमि विकास परियोजना	40.00
(2) क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी/चारा	22.00
(3) विकेन्द्रित जन नर्सरियां	10.00
(4) लघु वन उत्पाद	10.00

केन्द्रीय सहायता का और आबंटन राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों, केन्द्रीय बजट में उपलब्ध निधियों तथा विशिष्ट स्कीमों के लिए राज्य बजट में मुहैया किए गए बराबर अंश की मात्रा पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण के लिए राज्य क्षेत्र की स्कीमें भी हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

स्कीम	अंतरिम आबंटन (लाख रुपयों में)
(1) त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता	5.00
(2) पर्यावरण सुरक्षा (3) पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम	15.00
(4) पारि-विकास शिविर	2.00

लड़कियों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा

9582. **डा० विश्वनाथम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कियों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित-जनजातियों की लड़कियों के लिए व्यापक स्वरोजगारोन्मुख शिक्षा के संबंध में कोई योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). लड़कियों के लिए व्यापक स्वत: रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा पारिश्रमिक रोजगार/स्वत: रोजगार के बीच सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ये सभी पाठ्यक्रम लड़के तथा लड़कियों—दोनों के लिए खुले हैं। सरकार को विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं की जानकारी है। नई शिक्षा नीति की समीक्षा के दौरान इस पहलू पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

एशियाटिक सोसायटी लाइब्रेरी, मुंबई

9583. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 अप्रैल, 1990 के "इकानामिक टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार के अनुसार बम्बई की एशियाटिक सोसायटी लाइब्रेरी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है;

(ख) क्या पश्चिम भारत के लिए कोई केन्द्रीय पुस्तकालय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से देश के ज्ञान के प्रमुख भंडार को और नष्ट होने से बचाने के वास्ते धनराशि जुटाने हेतु क्या नीति बनाई गई है या बनाई जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) एशियाटिक सोसायटी, बम्बई का संचालन इसके न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है; केन्द्रीय सरकार इस सोसाइटी, जिसमें पुस्तकालय भी शामिल हैं, के कार्यकरण से सम्बद्ध नहीं है, अत: उसके पास समाचार में उठाए गए मुद्दों के संबंध में सही-सही जानकारी नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार के अधीन केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई पुस्तक एवं समाचारपत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) वितरण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पश्चिम भारत में प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालय है।

(ग) चूंकि पुस्तकालय राज्य सरकार का विषय है, अतः राज्य सरकार के सहयोग से धन-राशि जुटाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की एक योजना है, जिसके अनुसार एशियाटिक सोसायटी लाइब्रेरी, बम्बई जैसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कर्नाटक में मारे गए हाथी

9584. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान कर्नाटक में हाथियों का भारी पैमाने पर अवैध रूप से शिकार करने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अवैध शिकार करने की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या हाल में कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाओं पर चन्दन की लकड़ी की तस्करी तथा हाथियों का अवैध रूप से शिकार करने की घटनाओं में वन विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी मारे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) 1987-88 से 1989-90 के दौरान कर्नाटक में चोरी छिपे शिकार करने वालों द्वारा 21 हाथियों के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) जी, हां।

(ख) और (घ). हाथियों के चोरी छिपे शिकार तथा चन्दन की तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) भारतीय हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध है। भारतीय हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए अफ्रीकी हाथी दांत के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(2) तमिलनाडु और कर्नाटक के वन और पुलिस विभागों ने इन दोनों राज्यों के घनिष्ठ सहयोग से संयुक्त रूप से चोरी छिपे शिकार-रोधी और तस्करी-रोधी कार्यों को तेज कर दिया है।

(3) "वन्यजीवों के चोरी छिपे शिकार और अवैध व्यापार" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों को चोरी छिपे शिकार-रोधी उपायों को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(4) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नेटवर्क को मजबूत और उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि हाथियों के वासस्थलों को सुरक्षा मिल सके।

(5) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कर्नाटक सरकार को चन्दन की तस्करी को रोकने के अभियान को मजबूत बनाने के लिए वाहनों, हथियारों, गोला-बारूद, बुलेट-प्रूफ जैकेटों और हेल्मेटों को खरीदने के लिए "जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा हेतु आधारभूत ढांचे का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 40 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

(6) कर्नाटक वन विभाग ने 161 चैक पोस्टों और 24 चलते-फिरते दस्तों की स्थापना की है जो बेतार सेटों से सज्जित हैं तथा उन्होंने नाजुक अन्तर्राज्य सीमा क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है।

भूमि अधिग्रहण के लिए पर्यावरण सम्बन्धी मानदण्ड

9585. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कृषि और वन भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : दिल्ली प्रशासन को वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। वन क्षेत्र को उपयोग में लाने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी देने से पूर्व जिन मूलभूत पर्यावरणीय पहलुओं की जांच की जाती है वे हैं : (1) उपयोग में लाये जाने वाला प्रस्तावित वन क्षेत्र, वनस्पति जात और प्राणिजात की किसी संकटापन्न प्रजाति का वासस्थल तो नहीं है; (2) इसमें वन्य पशुओं का प्रवास मार्ग तो नहीं है; (3) इसकी क्षति से किसी महत्वपूर्ण जल-विज्ञान प्रणाली को तो क्षति नहीं पहुंचती; (4) परियोजना की लागत पर बराबर के गैर-वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण।

दिल्ली में कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में इस मंत्रालय द्वारा कोई पर्यावरणीय मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में वृक्षों की कटाई

[हिन्दी]

9586. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नैनीताल, हल्द्वानी और लालकुआं में वृक्षों की तेजी से कटाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पर्यावरण पैर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वृक्षों की कटाई रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण महाराष्ट्र में कार्य का रुक जाना

9587. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गये उन निर्माण कार्यों की सूची भेजी है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने इन्हें स्वीकृति देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता

[अनुवाद]

9588. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय निकायों को सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद् प्रबन्ध बोर्ड जैसे इन कार्यों के ढांचे और स्वरूप का निर्णय करने करने के लिए कोई माडल प्रारूप परिचालित किया है; और

(ख) सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 और इसकी कारंवाई योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रबन्ध पद्धतियों को, जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों/निकायों का ढांचा, भूमिकाएं और जिम्मेवारियां शामिल हैं, विश्वविद्यालय व्यवस्था के सम्बन्ध में नई मांगों को ध्यान में रखकर समीक्षा की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध ढांचे की विस्तृत समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में आयोग के समक्ष रखी गई है और इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

भारतीय शांति सेना को पुरस्कार

9589. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन जवानों/अधिकारियों को उपयुक्त पुरस्कार देने का विचार है जिन्होंने लगभग साढ़े तीन वर्ष तक श्रीलंका में रहकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक एवं आज्ञापूर्वक पालन किया; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार का पुरस्कार दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख). सरकार ने भारतीय शांति सेना कार्मिकों के लिए "विशेष सेवा मेडल" का क्लास्प "श्रीलंका" शुरू किया है और अब उन्हें "विदेश सेवा मेडल" का मौजूदा क्लास्प "श्रीलंका" पाने का भी हकदार बनाया गया है।

सरकारी नौकरियों में ग्रामीण उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना

9590. **श्री पी०जी० नारायणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा सरकारी नौकरियों में चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में शहरी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के साथ स्पर्धा न कर सकने के कारण क्या उन्हें कुछ प्राथमिकता देने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार देने वाले शहरी उम्मीदवारों की तुलना में ग्रामीण उम्मीदवारों को कोई प्राथमिकता देने का प्रस्ताव नहीं है।

वानिकी का विकास

9591. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन के विकास के लिए किन्हीं जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन भाषाओं की छोटी और मध्यम श्रेणी की साप्ताहिक पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है; और

(ग) ग्रामीण समाचार पत्रों में तत्संबंधी प्रकाशन के अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) पर्यावरण और वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रचार हेतु रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र, श्रव्य-दृश्य, फिल्में, पोस्टर, स्टीकर्स, पम्पलेट आदि जैसे विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

(ख) सभी साप्ताहिक पत्रिकाएं सरकार से प्रचार सामग्री प्राप्त करती हैं।

(ग) प्रचार के परिणामस्वरूप विभिन्न लक्ष्य समूहों में जागरूकता पैदा हुई है।

केन्द्रीय मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

9592. **श्री वसन्त साठे** :
श्री के० चोक्का राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से, प्रत्येक राज्य संवर्ग से पृथक्-पृथक्, केन्द्रीय मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए कितना अनुपात है और औचित्य प्रतिशत निर्धारित है और क्या इस समय केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे विभिन्न राज्यों से आये अधिकारियों का चयन निर्धारित दिशा निर्देशों और औचित्य के अनुसार किया गया है; यदि किन्हीं मामलों में ऐसा नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या इस मामले में कुछ राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला है जब कि अन्य कुछ राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिला है;

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की पद्धति को युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनकी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने का क्या कारण/औचित्य है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिए जाने के लिए कोई निर्धारित अनुपात/प्रतिशतता नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय सेवा की सगत नियमावली में केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी भेजे जाने की व्यवस्था है । भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्येक राज्य सवर्ग/संयुक्त संवर्ग के वरिष्ठ ड्यूटी पदों का 40% केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व निर्धारित किया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए केन्द्र में अधिक प्रतिनिधित्व तथा कम प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ). भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । कोई भी अधिकारी सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि के बाद केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर काम नहीं कर रहा है।

विवरण

31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों में प्रतिनियुक्त विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों की संख्या

राज्य	केन्द्रीय मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	
	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1. असम-मेघालय	31	21
2. आन्ध्र प्रदेश	56	26
3. बिहार	54	17
4. गुजरात	44	16
5. हिमाचल प्रदेश	21	13
6. हरियाणा	28	16
7. जम्मू तथा कश्मीर	13	03

1	2	3
8. केरल	36	11
9. कर्नाटक	44	22
10. महाराष्ट्र	52	39
11. मध्य प्रदेश	68	44
12. मणिपुर-त्रिपुरा	18	24
13. नागालैंड	07	—
14. उड़ीसा	38	29
15. पंजाब	35	21
16. राजस्थान	41	23
17. सिक्किम	02	02
18. तमिलनाडु	40	23
19. उत्तर प्रदेश	86	47
20. संघ राज्य क्षेत्र	41	20
21. पश्चिम बंगाल	55	51
कुल	810*	468

*इसमें जो अधिकारी विदेश नियुक्ति पर हैं, वे भी शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों द्वारा आत्महत्या करना

9593. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली, कानपुर, मद्रास, बम्बई और खड़गपुर स्थित भारतीत प्रौद्योगिक संस्थानों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के औद्योगिक संस्थान के उन छात्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान आत्महत्याएं की हैं; और

(ख) क्या उपर्युक्त प्रत्येक मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या के दो मामले थे। विवरण इस प्रकार है :—

नाम	अध्ययन कर रहे पाठ्यक्रम	आत्महत्या की तारीख	संस्थान का नाम
श्री पांडु रंगा राव	क्यू०आई०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत यांत्रिकी इंजीनियरी में एम० टेक०	14-11-89	भा० प्रौ० सं० मद्रास
श्री अलोक सक्सेना	बी० टेक० सिविल इंजीनियरी अंतिम वर्ष	12-11-87	भा० प्रौ० सं०, दिल्ली

(ख) स्वर्गीय श्री पांडू रंगा राव के पास एक आत्महत्या सम्बन्धी नोट मिला जिसमें लिखा था कि "मेरी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है" और इस प्रकार इस मामले में जांच नहीं की गयी थी।

स्वर्गीय श्री अलोक सक्सेना के मामले में जांच की गयी थी जिससे यह पता चला कि उनकी रुचि एम०एस० भौतिकी करने में थी लेकिन उनके अभिभावकों ने बी० टेक० सिविल इंजीनियरी में दाखिला लेने के लिये जोर दिया था। उन्होंने एम०एस० भौतिकी में दाखिले के लिये यू०एस०ए० के अनेक विश्वविद्यालयों में आवेदन किया था। यू०एस०ए० के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें दाखिले के लिए क्योंकि मना कर दिया था, इससे वह बहुत ही हतोत्साहित हुए और सम्भवत: उन्होंने इसीलिये आत्महत्या कर ली।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ की सुविधा

9594. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री शिवाजी पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसियेशन द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ की सुविधा प्रदान किये जाने की मांग पर जोर दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ (ए०आई०के०वी०टी०ए०) चिकित्सा सुविधाओं को उदार बनाने की मांग करता रहा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, चिकित्सा व्ययों आदि की प्रतिपूर्ति के लिए व्यापक तौर पर भारत सरकार के चिकित्सा संबंधी नियमों का पालन कर रहा है। संगठन के कर्मचारी स्वत: ही सी०जी०एच०एस० सुविधा प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

तथापि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व सहमति से सी०जी०एच०एस० की सुविधाएं निम्नलिखित को प्रदान की गयी हैं :—

(i) संगठन (मुख्यालय) तथा दिल्ली स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को;

(ii) मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता स्थित संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को; तथा

(iii) दिल्ली बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में रह रहे, कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के स्टाफ को।

हल्के लड़ाकू विमान के लिए अमरीकी सहयोग

9595. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अमरीकी कंपनी ने हल्के लड़ाकू विमान के लिये ढांचा बनाने, इंजन तथा वैमानिकी आदि में सहायता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी हां।

(ख) हल्के युद्धक वायुयान के परीक्षण/आदिरूपों के लिए अमेरिका की मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक से सीधी खरीद के आधार पर "एफ-404" एंजन खरीदे गए हैं। इनमें से कुछ इंजन प्राप्त हो चुके हैं। हल्के युद्धक वायुयान की उप-प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों के लिए अन्य अमरीकी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और विक्रेता के बारे में अंतिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व इनके ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा देना

9596. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को भारत दर्शन के लिये छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब प्रदान की जायेगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकतर छावनी बोर्ड केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं और वे छुट्टी यात्रा रियायत के व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। धन की कमी के कारण इस प्रयोजन के लिए सहायता अनुदान देना भी सम्भव नहीं है।

दिल्ली में प्रयोगशालाओं के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उपाय

9597. **श्री प्रकाश कोकोब्रह्मभट्ट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थित अधिकांश प्रयोगशालाओं और अनुसंधान परिसरों में सुरक्षा संबंधी उपाय अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं और अनुसंधान परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा सम्बन्धी उपाय न कराये जाने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) सभी प्रयोगशालाओं और अनुसंधान परिसरों में सुरक्षा संबंधी उपाय कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सुदृढ़ बनाना

9598. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सुदृढ़ बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). योजना आयोग के सचिवालय को कारगर तथा सुदृढ़ बनाने के संबंध में चल रही कार्यवाही के अंग के रूप में, योजना आयोग से सम्बद्ध कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को उपयुक्त सुविज्ञों तथा बाहरी विशेषज्ञों के साथ परामर्शी व्यवस्था के माध्यम से सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लोगों की भागीदारी

9599. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए लोगों की भागीदारी हेतु विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में कोई संशोधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या नये मार्गनिर्देश निर्धारित किए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). सरकार देश में प्रदूषण नियंत्रण में लोगों की भागीदारी के महत्व को मानती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय 1986 से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। 1989 में अभियान का मुख्य विषय हमारे जल संसाधनों का संरक्षण था। इस अभियान के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 300 से अधिक संगठनों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शामिल किया गया है। इस अभियान में सभी सम्भावित लक्ष्य दलों यथा छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं, जनजातियों, स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं, व्यावसायियों, प्रशासकों और अन्य आम जनता से लोगों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ). संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कोई व्यक्ति, उचित सूचना देने के पश्चात् न्यायालय में शिकायत कर सकता है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से संबद्ध रिपोर्टों की मांग कर सकता है।

स्कूलों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

9600. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की क्या-क्या योजनायें हैं; और

(ख) इस प्रकार सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक भावना को बढ़ावा देने के लिए तथा विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों में कुछ स्कूलों द्वारा प्रौद्योगिकी-उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकती अपितु छात्रों को रोजगार योग्य बनाकर रोजगार के अवसरों को सुकर बनाने का प्रयास करती है।

हालेबिद, महाराष्ट्र में मूर्तिकला स्कूल खोलना

9601. **श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का हालेबिद कर्नाटक में एक मूर्तिकला स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सरकार को कर्नाटक सरकार के हालेबिद में मूर्तिकला विद्यालय खोलने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई जानकारी/सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की रिपोर्ट

9602. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 22 फरवरी, 1990 को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट को समिति के 12 सदस्यों में से केवल दो सदस्यों ने मंजूरी दी है;

(ख) समिति के 10 सदस्यों द्वारा रिपोर्ट की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है; और

(घ) यह समिति अपनी पूरी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (घ). भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन सम्बन्धी पहलुओं आदि की जांच करने के लिए श्री दिलीप मथाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। श्री मथाई राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 22-2-1990 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका समर्थन समिति के दो अन्य सदस्यों ने किया। तीन अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से अपने आप को अलग कर दिया। बाकी छ: सदस्यों ने उनको उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। समिति का कार्यकाल 14-2-1990 को समाप्त हो गया। अत: समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

केरल की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

9603. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास केरल की पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु लम्बित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनायें कब से लम्बित हैं और इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) केरल की कोई विद्युत परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा अखिल भारतीय संगोष्ठी

9604. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रही राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् अखिल भारतीय संगोष्ठियां आयोजित करने में सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) जी हां। परन्तु केवल उन मामलों में जहां पर विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार और लोकप्रियकरण से संबंधित है।

(ख) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कन्नानोर में प्रथम अखिल भारतीय पीपल्स साइंस कांग्रेस (1987) कलकत्ता में द्वितीय (1988) और बंगलौर में तृतीय (1989) आयोजित की थी। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् ने दिसम्बर, 1988 के दौरान इलाहाबाद में विज्ञान परिषद् द्वारा आयोजित विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन की समस्याओं पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी समर्थन दिया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व बैंक की सहायता

9605. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में पर्यावरण संरक्षण योजनाओं/परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है। इस परियोजना के तहत चार राज्यों में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता की मात्रा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त करना

9606. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निगम ने अपनी निर्माणाधीन और प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए चालू वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से धनराशि एकत्र करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष में पूंजी बाजार से 600 करोड़ रुपए की धन राशि 9% ब्याज वाले कर-मुक्त और 13% ब्याज वाले करयुक्त बांडों के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव है।

(ग) पूंजी बाजार से 600 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने के लिए एक आवेदन-पत्र नियंत्रक पूंजी निर्गम को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

नये "भारी जल संयंत्र"

9607. **श्री एस० बी० थोरट** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान और अधिक भारी जल संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है तथा इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इन्हें स्थापित करने हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या इसके लिए महाराष्ट्र के कुछ स्थानों का सुझाव दिया गया है/अंतिम रूप दे दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां सिंथेसिस गैस, जल, पर्याप्त बिजली, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसी निवेश सामग्री, तथा उपयुक्त भूमि उपलब्ध हों। परियोजना अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में और भारी पानी संयंत्र कहां लगाए जाएं।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिकी उद्योग

9608. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई इलेक्ट्रानिकी उद्योग स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग). इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास इस समय पश्चिम बंगाल में वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु इलेक्ट्रानिकी विभाग इलेक्ट्रानिकी के सभी संगत क्षेत्रों में सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देता है। संबद्ध राज्य सरकार अथवा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगम (एस०ई०डी०सी) जैसे अभिकरण राज्य में विशिष्ट स्वरूप की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधायें तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग भी आवश्यक मार्गदर्शन तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि प्रदान करता है। इलेक्ट्रानिकी विभाग जनशक्ति विकास तथा शिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण तथा मानकीकरण, इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए भी कुछ सहायता प्रदान करता है।

पश्चिम बंगाल राज्य में इलेक्ट्रानिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए कुल 48 औद्योगिक लाइसेंस, 44 आशय-पत्र तथा 23 पंजीकरण जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिक उद्योग विकास निगम लि० (वेबेल) को निम्नलिखित के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है : (1) इलेक्ट्रानिक—चिकित्सकीय उपस्करों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण परियोजना तथा (2) ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी रोजगार के अवसरों के सृजन का कार्यक्रम। वेबेल, जो पश्चिम बंगाल सरकार का राज्यस्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पश्चिम बंगाल राज्य में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को बढ़ावा देने और उनकी स्थापना के कार्य में संलग्न है।

खनिज उत्पादक क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम से छूट

[हिन्दी]

9609. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में खनिज स्रोतों के उपयोग के लिए खनिज सम्पदा वाले क्षेत्रों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों से छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का वनों के कुल क्षेत्र को सम्पूर्ण बनाए रखने के लिए इसके अन्तर्गत उतने ही क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) राजस्थान सरकार से प्राप्त ऐसे किसी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन कार्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा उन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। वनों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र को बनाए रखने के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रस्तावों पर बल दिया गया है।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त खनन संबंधी प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1.	1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत खनन कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या	16
2.	स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या	1
3.	गुण-दोषों के आधार पर रद्द किए गए प्रस्तावों की संख्या	5
4.	राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत न करने के कारण रद्द प्रस्तावों की कुल संख्या	8
5.	लंबित प्रस्तावों की कुल संख्या	2

लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र०सं०	प्रस्ताव का नाम	टिप्पणी
1.	झमर कोटरा समेकित परियोजना के लिए खनन हेतु उदयपुर जिले में 11.227 हे० वन भूमि को उपयोग में लाना।	राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण सूचना नहीं भेजी थी उससे 20.4.90 को उसके ब्यौरे मांगे गए हैं तथा राज्य सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	मैसर्स राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसनरी स्टोन के खनन हेतु चित्तौड़गढ़ जिले में 2.2 है० वन भूमि को उपयोग में लाना।	राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण सूचना नहीं भेजी थी उससे 23.4.1990 को उसके ब्यौरे मांगे गए हैं और अभी राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अंटार्कटिका में प्राकृतिक संसाधन

[अनुवाद]

9610. **श्री सुमेर गिरि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहित विभिन्न देशों ने अंटार्कटिका में कितने स्टेशन स्थापित किए हैं;

(ख) भारतीय अभियान दल ने इस क्षेत्र में कितने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया है;

(ग) क्या अंटार्कटिका में खनिज संसाधनों के खनन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई समझौता किया गया है; और

(घ) भारत में इन खनिज संसाधनों के खनन की कितनी क्षमता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अंटार्कटिक में भारत सहित भिन्न-भिन्न देशों द्वारा स्थापित किए गए स्टेशनों की संख्या 49 है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऐसा विश्वास करने के कई कारण हैं कि क्रिल, ह्वेल, पेंग्विन, सील और पक्षियों जैसे सजीव संसाधनों के अतिरिक्त अंटार्कटिक में हाइड्रोकार्बनों सहित खनिज संसाधन विद्यमान हैं। भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान अभियान के दौरान वहां धात्विक खनिजन स्थल पाए गए। इल्मेनाइट खनिज और भूमि तलछट सान्द्रणों के नमूने एकत्र किए गए।

(ग) अंटार्कटिक संधि परामर्शक दलों ने अंटार्कटिक खनिज संसाधन गतिविधियों के विनियमन पर एक सन्धि को स्थापित किया है फिलहाल यह अभी लागू नहीं हुई है।

(घ) वर्तमान में, विश्व में कहीं भी अंटार्कटिक खनिज संसाधनों के विदोहन के लिए कोई प्रमाणित प्रौद्योगिकी नहीं है। अब खनिज निक्षेपों का अन्वेषण केवल अंटार्कटिक में आरम्भ किया गया है। भारत को अभी अंटार्कटिक के खनिज संसाधनों के अन्वेषण और विदोहन की क्षमता का विकास/ को प्राप्त करना है।

विवरण

अंटार्कटिक में स्थापित स्टेशन

*60° दक्षिण के उत्तर में केन्द्र

अर्जेंटीना

बेलगेनो II, 77°52' द०, 34°37' प०
ओर्केडास, 60°44' द०, 44°44' प०
इस्पारंजा, 63°24' द०, 57°00' प०
माराम्बियो, 64°14' द०, 56°37' प०
सन मार्टिन, 68°08' द०, 67°06' प०
जुबनी, 62°14' द०, 58°40' प०

आस्ट्रेलिया

*मकोरा आइलैण्ड, 54°30' द०, 158°56' पू०
मोसन, 67°36' द०, 62°52' पू०
डेविस, 68°35' द०, 77°58' पू०
केसी, 66°17' द०, 110°32' पू०

ब्राजील

कोमनडांटे फराज, 62°05' द०, 58°23' प०

चिली

केपिटन आर्टुरो प्रा०, 62°30' द० 59°41' प०
जनरल बर्नार्डो हिगिन्स, 63°19' द० 57°54' प०
टेनिन्टी रोडाल्फो मार्श, 62°12' द०, 58°54' प०

जर्मन संघीय गणराज्य

जार्ज वॉन न्यूमेयार, 70°37' द०, 8°22' प०

फ्रांस

डुमांट उर्विले, 66°40' द०,
140°01' पू०
*एल्फ्रेड फाउरे; 46°26' द०,
51°52' पू०
*मार्टिन दी विविजी, 37°50' द०,
77°34' पू०
पोर्ट आक्स फ्रन्सिस, 49°21' द०,
70°12' पू०

जर्मन जनवादी गणतन्त्र

जार्ज फास्टर, 70°46' द०,
11°50' पू०

भारत

दक्षिण गंगोत्री, 70°05' द०, 12°00' पू०
मैत्री, 70°45'—39° .4'' द०,
11°44'—48° .6'' पू०

जापान

सयोवा, 69°00' द०, 39°35' पू०
असुका, 71°32' द०, 24°08' पू०

न्यूजीलैण्ड

स्काट बेस, 77°51' द०, 166°45' पू०
*कैम्बल आइलैन्ड, 52°33' द०,
169°09' पू०

चीन

ग्रेट वाल, 62°13' द०, 58°58' प०

पोलैण्ड

आर्कटोवस्की, 62°09' द०, 58°28' प०

कोरिया गणराज्य

किंग शो, 62°13' द०, 58°45' प०

दक्षिण अफ्रीका

सानै, 70°18' द०, 02°25' प०
*मेरियन आइलैण्ड, 46°52' द०,
37° 51' पू०
*गाफ आइलैन्ड, 40°21' द०,
09°52' प०

यूनाइटेड किंगडम

*बर्ड आइलैन्ड, 54°00' द०, 38°03' प०
फराडे, 65°15' द०, 64°16' प०
हेली, 75°36' द०, 26°43' प०
रोथेरा, 67°34' द०, 68°07' प०
सिगनी, 60°43' द० 45°36' प०

संयुक्त राज्य अमरीका

एमंड्सन स्काट, 90° द०
मेक मर्डो, 77°51' द०, 166°40' पू०
पामर, 64°46' द०, 64°03' प०

रूस

मीरनी, 66°33' द०, 93°01' पू०
नोवलाजारेवस्काया, 70°46' द०,
11°50' पू०
मलाड्योजनाया, 67°40' द०, 45°51' पू०
वस्तोक, 78°28' द०, 106°49' पू०
वेलिंगस हाउजन, 62°12' द०,
58°58' पू०
लेनिनग्रादस्काया, 69°30' द०,
159°24' पू०
रुसकया, 74°46' द०, 136°49' प०
प्रोग्रेस, 69°24' द०, 76°24' पू०

उरुग्वे

अर्तिगास, 62°11' द०, 58°51' प०

सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार

9611. **प्रो० के वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का उनके मूल राज्य के अनुसार पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार, विवरण क्या है;

(ख) इस परीक्षा के आधार पर भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में लिए गए उम्मीदवारों का उनके मूल राज्य और आबंटित राज्य (भारतीय विदेश सेवा के मामलों को छोड़कर) के अनुसार वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) क्या सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है अथवा कम हो रही है; और

(घ) क्या केरल मूल के सफल उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है अथवा कम हो रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय वन सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के समूह 'क' तथा 'ख' में नियुक्त उम्मीदवारों के मूल राज्य के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के बारे में पिछले तीन वर्षों की सूचना संलग्न विवरण-1 तथा विवरण-2 में दी गई है। वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या क्रमश: 12, 10 तथा 10 है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के बराबर है। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करते समय आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सफल उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के बराबर रहे।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, जिन सफल उम्मीदवारों ने केरल के विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा पास की है, उनकी संख्या के विश्लेषण से किसी विशेष कमी या वृद्धि का पता नहीं चलता है।

विवरण 1

राज्य/संयुक्त संवर्ग का नाम	उस राज्य के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या			उस राज्य के लिए आबंटित उम्मीदवारों की संख्या		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	16	17	9	6	5	3
2. असम-मेघालय	2	1	2	7	5	5
3. बिहार	30	14	24	12	9	8
4. गुजरात	—	1	—	5	6	5
5. हरियाणा	6	4	4	6	6	4
6. हिमाचल प्रदेश	3	1	—	3	4	4
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	1	3	3	2
8. कर्नाटक	2	2	1	7	8	7

1	2	3	4	5	6	7
9. मध्य प्रदेश	3	3	7	9	7	8
10. महाराष्ट्र	1	2	5	8	8	6
11. मणिपुर-त्रिपुरा	—	2	2	8	6	6
12. नागालैंड	1	—	—	3	2	2
13. उड़ीसा	4	5	3	3	3	5
14. पंजाब	7	6	3	4	3	3
15. राजस्थान	6	6	10	3	3	4
16. सिक्किम	—	—	—	3	3	1
17. तमिलनाडु	6	3	5	8	5	9
18. संघ राज्य क्षेत्र	10	17	11	3	4	4
19. उत्तर प्रदेश	26	27	21	11	11	10
20. पश्चिम बंगाल	1	1	1	8	8	8
21. केरल	2	2	—	6	5	5

विवरण-2

राज्य/संयुक्त संवर्ग का नाम	उस राज्य के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या			उस राज्य के लिए आबंटित उम्मीदवारों की संख्या		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	15	8	9	9	2	5
2. असम-मेघालय	2	4	1	4	3	2
3. बिहार	27	20	21	10	7	4
4. गुजरात	2	2	—	6	6	4
5. हरियाणा	10	6	6	3	3	2
6. हिमाचल प्रदेश	2	1	—	2	2	2
7. जम्मू और कश्मीर	—	3	—	4	1	3
8. कर्नाटक	4	1	—	3	2	6
9. केरल	3	1	2	6	3	4
10. मध्य प्रदेश	5	7	4	12	12	12

1	2	3	4	5	6	7
11. महाराष्ट्र	4	2	8	7	7	8
12. मणिपुर-त्रिपुरा	2	1	—	6	3	4
13. नागालैंड	1	—	—	—	—	2
14. उड़ीसा	7	7	5	6	7	4
15. राजस्थान	11	6	8	5	5	5
16. पंजाब	5	4	1	5	4	2
17. सिक्किम	—	—	—	2	1	1
18. तमिलनाडु	6	2	3	9	7	7
19. संघ राज्य क्षेत्र	2	3	11	3	6	6
20. उत्तर प्रदेश	13	22	15	12	11	6
21. पश्चिम बंगाल	1	2	2	8	10	7

पंजाब में केन्द्रीय निवेश

9612. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में केन्द्रीय निवेश में वर्ष 1975 की तुलना में वर्ष 1988 में कमी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पंजाब में केन्द्रीय निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ग) पंजाब में शुरू की जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग). केन्द्रीय निवेश के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि छठी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय योजना व्यय और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के राज्यवार आंकड़े अर्थात् 1985-86 (वास्तविक) 1986-87 (आर० ई०) 1987-88 (बी० ई०) मंत्रालयों के परामर्श से आंके गए। पंजाब के सेक्टरों से सम्बन्धित और इन आंकड़ों से प्राप्त ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

तथापि, यह कथनीय है कि केन्द्रीय योजना निवेश पूरे देश के लिए है और निवेश को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के लिए तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम परियोजनाएं राज्य की सरहदों की सीमाओं से पार चले जाते हैं। इन कार्यक्रम/ परियोजनाओं के लाभ भी पूरे देश में फैले हुए हैं।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले के तीन वर्षों के लिए और छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय योजना व्यय के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

राज्य	छठी पंचवर्षीय (1980-85) व्यय	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों का योग
1	2	3	4	5	6
पंजाब	656.67 (1·14)	254.87 (1·58)	326.03 (1·70)	473.79 (2·33)	1054.69 (1·90)
कुल आवंटन योग्य धनराशि (सभी राज्य)	47459.61	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
अन आवंटनीय धनराशि	10204.26	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
कुल योग	57663.87	19108.48(क)	23666.23(ख)	25275.54(ग)	68050.25

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल आवंटन योग्य राशि का प्रतिशत अनुमान दर्शाते हैं।

(क) वास्तविक व्यय आंकड़े (1985-86) ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा आपूर्ति की गयी है।

(ख) संचार के लिए वास्तविक व्यय 1986-87 और (II) "ग्रामीण विकास" पर 1986-87 में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये गये प्रशासनिक व्यय के संशोधित आंकड़े योग में शामिल हैं।

(ग) (1) संचार के लिए संशोधित आंकड़े 1987-88 और (2) "ग्रामीण विकास" पर 1987-88 में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए गये प्रशासनिक व्यय के बजट आंकड़े योग में शामिल हैं।

टिप्पणियां

छठी योजना के आंकड़ों के संबंध में

(1) पेट्रोलियम क्षेत्र में अनाबंटित राशि (10204 करोड़ रुपये) में अपतट और अन्य निवेशों के 5,500 करोड़ रु० शामिल हैं।

(2) छठी योजना के दौरान कुल केन्द्र योजना व्यय 57,800 करोड़ रु० था। विवरण पत्र में प्राप्त ब्यौरे 57664 करोड़ रु० के लिए हैं (अनाबंटित अंश को शामिल करते हुए)

(3) केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार नियोजन और गणना नहीं की जाती, कुछ परिकल्पनायें ब्यौरों को तैयार करते समय की गई हैं।

इस प्रकार के प्रयोग के आधार के लिए ये सर्वोत्तम परिकल्पनायें प्रतीत होती हैं, उनकी वैधता की एक निश्चित सीमा है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(क) नयी लाइनों, गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण पर रेलवे निवेश का विश्लेषण राज्यवार प्रत्येक राज्य में अनुमानित पूरी की गई लम्बाई के आधार पर किया गया है।

(ख) रेलवे योजना का शेष 80 प्रतिशत भाग का आवंटन विभिन्न राज्यों को, प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले रेल मार्गों की लम्बाई के आधार पर किया जाता है।

(ग) प्रत्येक राज्य में उतरने वाले वायुयानों की संख्या के आधार पर वायुयान खरीद व्यय का (नागर विमानन योजना) आवंटन किया गया है।

(घ) उड़ान अधिग्रहण पर एयर इंडिया के व्यय का आवंटन चार अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों को उनके द्वारा संचालित ट्रैफिक के आधार पर किया गया है।

(ङ) नौवहन के सम्बन्ध में राज्यवार आवंटन तटवर्ती राज्य के बड़े पत्तनों द्वारा उपार्जित ट्रैफिक के आधार पर किया गया है।

(4) परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश मुख्यत: उन क्षेत्रों में जहां पर आवश्यक आर्थिक घटकों की अनुकूलतम उपलब्धता है। इन मामलों में प्रादेशिक संतुलन के उद्देश्य सीमित, सुसंगत हैं।

(5) आवास और शहरी विकास में केवल छ: स्कीमों का प्रावधान है। हुडको के लिए कुल योजना परिव्यय 50 करोड़ रुपये था। वास्तविक दी गई धनराशि 70.87 करोड़ रु० थी। यह हुडको के बाजार ऋणों के कारण है।

सातवीं योजना के आंकड़ों के सम्बन्ध में

केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार नियोजन और गणना नहीं की जाती, कुछ परिकल्पनायें ब्यौरों को तैयार करते समय की गई हैं इस प्रकार के प्रयोग के लिए ये सर्वोत्तम परिकल्पनायें प्रतीत होती हैं, इनकी वैधता की एक निश्चित सीमा है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(1) रेलवे के मामले में जहां पर रालिंग स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण भाग है। वितरण आंकलन राज्य विशेष से गुजरने वाले रेलवे मार्ग की लम्बाई के आधार पर किया जाता है।

(2) उसी प्रकार विमानन के मामले में जहां पर विमानों के लिए परिव्यय के एक बड़े भाग की आवश्यकता होती है, वितरण राज्य विशेष के क्षेत्र में उतरने वाले वायुयानों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं में व्यय के ब्यौरों का आंकलन परिमंडल के आधार पर किया जाता है।

परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश मुख्यत: उन क्षेत्रों में जहां पर आवश्यक आर्थिक घटकों की अनुकूलतम उपलब्धता है, इन मामलों में प्रादेशिक संतुलन के उद्देश्य सीमित, सुसंगत हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वर्तमान योजनाओं का पूरा होना

9613. **श्री श्रीकांत नरसिंहराव वाडियर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्तमान अनुसंधान कार्यक्रमों को पूरा करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के वर्तमान अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वर्तमान अनुसंधान कार्यक्रमों को पूरा करने की कोई अवधि सीमा नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां, वर्तमान अनुसंधान कार्यक्रमों को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सलाहकार बोर्डों (टी० ए० बी०), अनुसंधान परिषदों और पीअर रिव्यूज द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ख) से (घ). कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान अनुसंधान कार्यक्रम जिन्हें वर्ष 1990-91 में पूरा किए जाने की योजना है, नीचे दर्शाए गए क्षेत्रों में हैं :

1. पश्च-फसल प्रौद्योगिकी सहित खाद्य और कृषि-संसाधन।

2. कम लागत भवन सामग्री और आवास (हाउसिंग)।

3. जल पूर्वेक्षण के लिए भूभौतिकीय तकनीक का अनुप्रयोग।

4. ऐलकॉक्सी एथानॉल का उपयोग करके जल वाष्पन नियंत्रण।

इनमें से प्रत्येक में कई विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट प्रक्षेपी क्रियाकलाप व समापन की समयबद्धता है।

उत्तर प्रदेश बरेली में क्षेत्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना

[हिन्दी]

9614. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में एक क्षेत्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य के विकास का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित वनों को अनारक्षित करना

[अनुवाद]

9615. **श्री लेदता अब्बासी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरुणाचल प्रदेश सरकार से अपनी किन्हीं आरक्षित वनों को अनारक्षित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अरुणाचल प्रदेश सरकार से फरवरी, 1985 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पूर्वी सियांग जिले के स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए गए गली आरक्षित वन क्षेत्र के 1638.4 हैक्टेयर क्षेत्र को अनारक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई और इसकी सूचना राज्य सरकार को 17-1-86 को दे दी गई थी। अवैध कब्जाधारियों को बसाने के लिए गैर-वन भूमि का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था।

ध्वनि प्रदूषण

9616. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिक असन्तुलन पैदा करने वाले प्रदूषणों में ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है;

(ख) देश में ऐसे कितने नगर हैं, जो निर्धारित "डेसिबल" पार करके ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त हैं;

(ग) इस प्रदूषण से कितने व्यक्ति प्रभावित हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) ध्वनि को एक वायु प्रदूषक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1989 में एक ध्वनि सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर, जयपुर, और बंगलौर के वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानकों से अधिक पाया गया था।

(ग) सरकार द्वारा कोई ऐसे अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(घ) परिवेशी ध्वनि स्तरों के लिए मानक 26 दिसम्बर, 1989 को अधिसूचित किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती

[हिन्दी]

9617. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों से प्राध्यापक विभिन्न विषयों को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ा सकते हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालयों में नए प्राध्यापकों की भर्ती के समय यह प्रावधान रखा जाएगा कि उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो भारतीय भाषाओं को पढ़ा सकेंगे; और

(ग) भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा अध्यापन करने संबंधी प्रावधान बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है।

(ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना, जिसे 22.7.88 को राज्य सरकारों को भेजा गया था, में भी यह निर्धारित किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने लेक्चरर् के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आयोजित की जाने वाली एक विस्तृत परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्यों के परामर्श से परीक्षा आयोजित करने की पद्धतियों को अन्तिम रूप दिया गया था और सहमति व्यक्त की गई थी कि राज्य सरकारें वि० अ० आ० द्वारा अधिकृत पृथक परीक्षाएं आयोजित करने अथवा वि० अ० आ० की राष्ट्रीय परीक्षा को स्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगी। राज्य सरकारें, यदि चाहें तो, अतिरिक्त अर्हता के रूप में स्थानीय भाषा में दक्षता भी निर्धारित कर सकती हैं।

(ग) वि० अ० आ० ने सूचित किया है कि अनेक विश्वविद्यालयों ने उनके द्वारा प्रदत्त निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा माध्यमों के रूप में एक अथवा अधिक क्षेत्रीय भाषाएं उत्तरोत्तर रूप से शुरू करने के उपाय किए हैं।

बिहार में खेल प्रशिक्षण केन्द्र

9618. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) बिहार में ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं अथवा खोले जाने हैं; और

(ग) बिहार में कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया है और उन स्टेडियमों के नाम क्या हैं जिनका उपयोग और प्रबन्ध भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुछ विशिष्ट खेल विषयों में प्रशिक्षण सुविधाओं वाले छः क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं। ये पटियाला (पंजाब), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), बंगलौर (कर्नाटक), इम्फाल (मनीपुर), नई दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश) तथा गांधी नगर (गुजरात) में स्थित हैं।

गांधी नगर एवं इम्फाल क्षेत्रीय केन्द्रों के दो उप-केन्द्र क्रमशः औरंगाबाद (महाराष्ट्र) तथा गुवाहाटी (असम) में स्थापित किये गये हैं।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण ने, चुने हुए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए अपने अपनाये हुए विद्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर लघु प्रशिक्षण सुविधाएं भी स्थापित की हैं।

(ख) सेंट इग्नेशियस हाई स्कूल, गुमला तथा बालिका हाई स्कूल, रांची भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत हॉकी केन्द्र रांची में भी सुविधाएं विकसित करेगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वयं राज्यों में स्टेडियमों का निर्माण नहीं करती; लेकिन बिहार सरकार को राज्य में 12 स्टेडियमों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है। बिहार में किसी भी स्टेडियम का प्रबन्ध एवं उपयोग भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है।

योजना आयोग में प्रतिनिधित्व

[अनुवाद]

9619. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में प्रत्येक राज्य से एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पृथ्वी दिवस

9620. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्य 119 देशों के साथ 22 अप्रैल को इस वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया था और यदि हां, तो पृथ्वी दिवस के आयोजन का क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या इस दिवस के आयोजन के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सकारात्मक परियोजनाएं/कार्यक्रम आयोजित किए गये थे; और

(ग) क्या इस कार्य के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां। पृथ्वी दिवस, 1990 का मुख्य उद्देश्य 1990-2000 को पूरे विश्व में पर्यावरणीय जागरूकता के दशक के रूप में प्रारम्भ करना था जिससे यह प्रतिबिम्बित हो कि मुख्य पर्यावरणीय संकट पूरे विश्व का है।

(ख) मंत्रालय ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बहुत से विभागों, गैर सरकारी संगठनों, व्यावसायिक निकायों, शैक्षिक संस्थानों आदि में देश की जनता में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए 22 अप्रैल, 1990 को वृक्षारोपण, फिल्म शो, सेमिनारों, पदयात्राओं, पोस्टर/चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे उपयुक्त गतिविधियों का आयोजन किया।

(ग) पृथ्वी दिवस पर आयोजित अथवा शुरू की गयी सभी गतिविधियां आगे जारी रहेंगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का रिक्त पद

9621. प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद पिछले दो वर्षों से खाली पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठग में अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). आयुक्त का पद 1-12-1988 को रिक्त हुआ। इस पद को भरने के लिए 27 जून, 1988 को आवेदन आमंत्रित करके कार्रवाई शुरू की गयी थी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर, एक व्यक्ति का चयन किया गया था इस चयन को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि इस पद के लिए यह वांछनीय समझा गया कि इसके भर्ती नियमों के लिए पर्याप्त कानूनी आधार होना चाहिये। अतः इस मामले की विधि तथा न्याय मंत्रालन तथा कार्मिक और प्रशिक्षग विभाग के परामर्श से जांच की गयी। इस परामर्श में कुछ समय लग गया और इन भर्ती नियमों को संगठन के शासी बोर्ड द्वारा संतुति के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा अक्तूबर, 1989 में अनुमोदित किया गया। इन नियमों के आधार पर इस रिक्त को पुनः परिचालित किया गया। 26 फरवरी, 1990 को पांच अधिकारियों के साक्षात्कार आयोजित किये गये और एक अधिकारी को चुन लिया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए ए०सी०सी० संबंधी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने भी चुने गये अधिकारी को मुक्त किये जाने के लिए इस मामले को बिहार सरकार के साथ उठाया है, जहां वे इस समय कार्यरत हैं।

(ग) अधिकारियों की बाकी रिक्तियों को भी भरे जाने के लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

फल वाले वृक्ष लगाना

9622. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनरोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को वन भूमि पर फल वाले वृक्ष लगाने की अनुमति देने के लिए एक योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

ग्रेड "सी" आशुलिपिकों की पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध होना

9623. प्रो० रामगणेश कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के ग्रेड "सी" आशुलिपिकों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 1970 में हुई थी, बीस वर्ष की सेवा के बाद भी अभी तक नियमित आधार पर ग्रेड "बी" आशुलिपिक पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इनकी पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध होने की वर्तमान समस्या को दूर करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1989 की ग्रेड "बी" आशुलिपिकों की वार्षिक-चयन-सूची जारी करने में विलम्ब के कारण क्या हैं और इसे कब तक जारी किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में एक ग्रेड "सी" आशुलिपिक आमतौर पर लगभग 20 वर्ष की सेवा के बाद नियमित आधार पर सविलयित ग्रेड "ए" तथा "बी" में पदोन्नति प्राप्त कर रहा है। निम्न ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उपलब्ध पदों की संख्या के आधार पर की जाती है जो कि कार्यात्मक आधार पर मंजूर होते हैं। आशुलिपिक ग्रेड "सी" के वेतनमान की अवधि 24 वर्ष है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सविलयित ग्रेड "ए" तथा "बी" में पदोन्नति के लिए चयन सूचियों में परिवर्धन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित पदोन्नति के क्षेत्रों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर चुने गये ग्रेड "सी" आशुलिपिकों के आधार पर संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर किये जाते हैं। चयन सूची वर्ष 1988 (1-7-88 से 30-6-89 तक) के लिए पदोन्नति के क्षेत्र उल्लिखित करने वाले आदेश नवम्बर, 1989 में जारी किए गये थे तथा संघ लोक सेवा आयोग की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1988 के परिणामों पर चुने गये ग्रेड "सी" आशुलिपिकों का आबंटन विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों को परिणामों के घोषित होने पर नवम्बर, 1989 में किया गया। चयन सूची वर्ष 1989 (1-7-89 से 30-6-90 तक) के लिए रिक्तियां निर्धारित करने का प्रारम्भिक कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। चयन सूची वर्ष 1989 के लिए पदोन्नति के क्षेत्र उल्लिखित करने वाले आदेश चयन सूची वर्ष 1989 के लिए रिक्तियां निर्धारित होते ही जारी कर दिए जायेंगे।

गैर-सरकारी उद्यमियों को कम वृक्षों वाली वन भूमि देना

9624. **श्री के०एस० राव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी उद्यमियों को कम वृक्ष वाली वन भूमि पर वृक्ष उगाने के लिए इस वन भूमि का कब्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने वन-भूमि दिए जाने का विचार किया गया है और उन पर कितनी किस्मों के वन उगाए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सहायता प्राप्त विद्यालयों में सुविधाएं

[हिन्दी]

9625. **श्री कालका दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सहायता प्राप्त विद्यालयों में भवनों, शौचालयों और पेय जल आपूर्ति की बिगड़ती जा रही स्थिति के संबंध में दिल्ली प्रशासन द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों की प्रबंध समितियां इन स्कूलों से होने वाली आमदनी में से इनके रख-रखाव तथा सुधार पर थोड़ी धनराशि भी खर्च नहीं करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस आशय की हिदायतें दी गयी हैं कि पीने का पानी, शौचालय खंड और फर्नीचर आदि जैसी सभी मूल सुविधायें प्रदान की जायें। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्कूलों द्वारा संचित धन केवल उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जा सकता है जिसके लिए उसे संचित किया गया है। दिल्ली प्रशासन को सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंध समितियों द्वारा रख रखाव द्वारा आय को खर्च न करने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों की आय के नितांत सीमित साधन होते हैं, अतः कभी-कभी वे भवनों का उचित रूप से रख रखाव और सुधार करने की स्थिति में नहीं होते। वे प्रबन्ध समितियां जो स्कूलों के भवनों का रख रखाव करती हैं, ह्रास अनुदान प्राप्त करने की पात्र होती हैं। वर्ष 1989-60 के दौरान दिल्ली निदेशालय ने फर्नीचर का प्रावधान करने के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को 50 लाख रु0 से भी अधिक अनुदान मुक्त किया।

सिविल सेवा परीक्षा नियमों में संशोधन

[अनुवाद]

9626. **श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1987 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और सहबद्ध सेवाओं से संबंधित नियमों में किए गए संशोधनों के अन्तर्गत सहबद्ध सेवाओं के लिए चयनित और नियुक्त उम्मीदवार, को उसके आयु सीमा में रहते तथा उसके लिए परीक्षा में बैठने के शेष अवसरों के रहने के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध के कारण कई होनहार अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में जाने से रह गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सिविल सेवा परीक्षा नियमों में इस प्रकार का संशोधन करने का विचार है, ताकि सहबद्ध सेवाओं में जाने वाले अधिकारियों को अन्य उम्मीदवारों के उक्त परीक्षा के यिये समान अवसर दिये जा सकें ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सिविल सेवा परीक्षा संबंधी नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा, समूह "क" को आबंटित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की अगली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकता है बशर्ते कि वह परिवीक्षा प्रशिक्षण में शामिल न होने की अनुमति प्राप्त कर ले तथा अन्यथा रूप से परीक्षा देने का पात्र भी हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

कलपेटा, केरल में स्टेडियम का निर्माण

9627. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से कलपेटा में निर्माणाधीन स्टेडियम को अत्यंत आधुनिक स्टेडियम के रूप में बनाने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). एस०के०एम०जे० हाई स्कूल, कलपेटा (उत्तर), जिला—वायनाड, केरल में स्टेडियम निर्मित करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें कुछ कमियां थीं और उनके निवारण के लिए राज्य सरकार को सलाह दी थी। चूंकि, जून, 1988 से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को परियोजना के निर्माण का ठेका देना

9628. **श्री अजीत पांजा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व संकाय-फ्लैटों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 4 करोड़ रुपये के मूल्य की परियोजना का ठेका दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, और क्या यह स्थापित मानदंडों के अनुसार थीं;

(ग) यदि नहीं, तो सुस्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्माण कार्य में भारी त्रुटियों के बारे में जानकारी हाल ही में सरकार के ध्यान में लायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 222.5 लाख रु० के मूल्य पर संकाय फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रदान किया था।

(ख) और (ग) संसद के एक अधिनियम द्वारा एक संस्थान के रूप में संस्थापित दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निविदायें प्रदान करने और निर्माण कार्य संबंधी कार्यक्रम की देखभाल करने के सुसस्थापित मानदण्ड हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के अनुसार संस्थापित इसकी भवन तथा निर्माण कार्य समिति द्वारा इसको सलाह दी जाती है। समिति ने अपने सुसंस्थापित मानदण्डों के अनुसरण में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को उस समय प्रचलित मार्किट दरों पर और उपयुक्त आपसी बातचीत के बाद निर्माण कार्य सौंपने का निर्णय किया।

(घ) संस्थान के ध्यान में निर्माण कार्य में कुछ त्रुटियां आयी हैं।

(ङ) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को एक उपयुक्त नोटिस दिया है और इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही कर रहा है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के जल सीमा क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ना

9629. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के जल सीमा क्षेत्रों में कितने विदेशियों को अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए, उनकी मशीन चालित नौकाओं के साथ पकड़ा गया है;

(ख) प्रत्येक घटना में कितनी मत्स्य नौकाएं और व्यक्ति पकड़े गये थे;

(ग) क्या विदेशियों को उनके भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों सहित हिरासत में लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की समुद्री सीमा क्षेत्रों में अनधिकृत/अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए 582 विदेशियों को पकड़ा गया।

(ख) प्रत्येक घटना में पकड़ी गई नौकाओं और व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, हाल में पकड़े गए कुछ मामलों में मगरमच्छों का अवैध रूप से शिकार करते हुए कुछ बर्मी और थाई नागरिक शामिल थे। वे कुछ हथियार और गोलाबारूद ले जा रहे थे और नौसेना द्वारा उनका पीछा किए जाने पर उन्होंने हथियार आदि समुद्र में फेंक दिए। इन द्वीपों के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करने वालों को पकड़ लिया गया और कानूनी कारंवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले को राजनयिक माध्यमों से बर्मा और थाइलैंड की सरकारों के साथ भी उठाया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के समुद्री क्षेत्र में अनधिकृत/अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए पकड़ी गई नौकाओं और व्यक्तियों की संख्या

घटना की तिथि	पकड़ी गई नौकाओं की संख्या	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
1987-88		
01.10.1987	1	16
18.12 1987	1 (लावारिस ट्रालर)	—

1	2	3
28.03.1988	1	4
03.01.1988	1 (लावारिस ट्रालर)	—
1988-89		
28.08.1988	—	3
26.10.1988	1	11
14.11.1988	1	9
15.12.1988	1	7
22.12.1988	1	12
14.01.1989	1	26
14.01.1989	1	26
20.01.1989	1	19
27.01.1989	3	22
08.02.1989	1	10
12.02.1989	1	10
13.02.1989	1	8
13.02.1989	4	34
16.02.1989	1	9
17.02.1989	1	11
06.03.1989	1 (डूब गई)	9
06.03.1989	4	35
1989-90 (12 मई, 1990 तक)		
26.04.1989	1	16
28.04.1989	1	7
07.07.1989	1	2
27.06.1989	1	10
19.12.1989	1	7
22.12.1989	1	9

1	2	3
27.02.1990	4	54
27.02.1990	1	12
27.02.1990	1	11
10.03.1990	3	10
22 03.1990	3	18
23.03.1990	2	11
24.03.1990	2	6
25.03.1990	2	3
27.03.1990	—	1
29.03.1990	1	12
30.03.1990	1	13
01.04.1990	3	1
09.04.1990	—	11
10.04.1990	1	—
12.04.1990	1	3
14.04.1990	3	5
29.04.1990	3	10
07.05.1990	2	30
12.05.1990	2	39
कुल :	69	582

द्वीप विकास प्राधिकरण

9630. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने द्वीप विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन को त्यागने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल से भर्ती किये गये लोगों के बारे में विशेष जांच

9631. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य से केन्द्रीय सेवा में भर्ती किये गये लोगों की पिछले कुछ वर्षों से विशेष जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केरल से भर्ती किये गये लोगों के साथ भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसा अब भी किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सितम्बर, 1986 से केवल केरल राज्य से भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के मामले में कोई अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) और (ग). यह प्रश्न नहीं उठता है।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

[हिन्दी]

9632. **प्रो० रासा सिंह रावत :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का विषयवार और भाषावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुस्तकों के लेखकों को रायल्टी की कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इन पुस्तकों के प्रकाशन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) देश भर के पुस्तकालयों में इन पुस्तकों की सप्लाई के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान विषयवार और भाषावार, अंग्रेजी में और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस अवधि के दौरान, लेखकों को रायल्टी के रूप में 5.4 लाख रुपये दिए गए थे।

(ग) प्रकाशन पर व्यय 293.38 लाख रुपये हुआ।

(घ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें या तो सीधे न्यास द्वारा अथवा प्रकाशन प्रभाग और अन्य पुस्तक विक्रेताओं और वितरकों के माध्यम से ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जन शिक्षण निलायमों को, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों, स्कूलों, कालेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों को सप्लाई की गई थी। न्यास, उनके द्वारा किए गये विभिन्न बिक्री प्रोन्नति प्रयासों तथा रा० पु० नि० के न्यूजलेटर, पुस्तक सूचियां तथा अन्य संवर्धक सामग्री को बड़े पैमाने पर डाक से भेजने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय के पुस्तकालय शामिल हैं, से आर्डर प्राप्त कर सका है। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर भी न्यास के प्रकाशन के लिए मांगें पैदा की गई थीं।

विवरण

1988-89 और 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या

भाषा	बाल साहित्य	युवकों के लिए पुस्तकें	भारतीय सृजनात्म साहित्य का अनुवाद	लोकप्रिय विज्ञान	जीवनी	भारत के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकें	लोक साहित्य	सामान्य प्रकाशन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंग्रेजी	96	1	—	7	21	16	—	5	146
हिंदी	263	1	9	1	50	2	2	10	338
असमी	91	—	11	—	8	1	—	1	112
बंगाली	93	—	11	—	4	1	—	—	109
गुजराती	53	—	1	—	13	2	—	1	70
कन्नड़	37	—	—	—	3	—	1	1	42
मलयालम	40	1	3	—	2	—	—	—	46
मराठी	86	—	50	1	9	2	—	4	152
उड़िया	41	—	1	—	—	—	—	6	48

पंजाबी	104	2	10	—	15	2	1	3	137
तमिल	23	—	1	—	—	—	—	1	25
तेलुगू	37	—	—	—	—	—	—	—	37
उर्दू	33	—	—	—	3	—	—	—	36
कुल	997	5	97	9	128	26	4	32	1298

डिफेंस सिक्योरिटी कोर के कार्मिकों को 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर भूतपूर्व सैनिक मानना

[अनुवाद]

9633. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डिफेंस सिक्योरिटी कोर के कार्मिकों को 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें भूतपूर्व सैनिक मानने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि सेना के इसी प्रकार के अन्य विंगों के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक होने का लाभ दिया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग). रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों को कभी भी भूतपूर्व सैनिक नहीं माना गया है। उन्हें भूतपूर्व सैनिक तभी माना जाता है जब उन्होंने भारत की सशस्त्र सेनाओं में पहले सेवा करके भूतपूर्व सैनिक का दर्जा हासिल किया हो। रक्षा सुरक्षा कोर के ऐसे सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो रक्षा सुरक्षा कोर में अपनी भर्ती से पूर्व भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते थे। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए गठित "उच्च स्तरीय समिति", जिसकी सिफारिश पर नवम्बर, 1986 में "भूतपूर्व सैनिक" की परिभाषा को संशोधित किया गया था, ने भी यह सिफारिश नहीं की थी कि रक्षा सुरक्षा कोर के सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस प्रकार "भूतपूर्व सैनिक" के रूप में माना जाए।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठनों को वित्तीय सहायता

9634. **श्री ए० विजयराघवन :**
श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक एजेंसी अथवा संगठन को कितनी धनराशि की सहायता दी गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में कितने संगठनों को यह वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और क्या इस बारे में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को 1136.22 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) और (ग). केरल में इस परियोजना के अधीन चार स्वैच्छिक एजेंसियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है। केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक एजेंसी नामत: वानिकी बोर्ड—केरल, की कार्य प्रणाली में कुप्रबंध और कदाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में मानदंड

[हिन्दी]

9635. श्री रमेश बैस :
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). जी हां । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष के पदों पदों पर नियुक्तियां भारत सरकार के दिनांक 3-3-1987 के संकल्प संख्या 27(21)-ई०ओ०/86 (ए०सी०सी०) में निर्धारित चयन नीति की शर्तों के अनुसार की जाती है । इस संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-1151/90]

केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों द्वारा बैंकों में दीर्घावधि/अल्पावधि निक्षेपों में निवेश

[अनुवाद]

9636. डा० बंगाली सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी उपक्रम अपने फालतू धन का राष्ट्रीयकृत बैंकों में लम्बी अवधि/अल्पावधि निक्षेपों में निवेश करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकारी उपक्रमों को समुचित मार्गनिर्देश जारी करने का है जिसके आधार पर विशिष्ट उपक्रमों को विशिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ जोड़ा जायेगा जिससे कि उनके द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा और प्रक्रियायें न अपनाई जा सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों में दीर्घावधिक या अल्पावधिक निक्षेपों के सम्बन्ध में निर्णय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उद्यमों के प्रबंधन द्वारा अपनी आवश्यकताओं, अधिशेष, धन की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है । इस सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश जारी करना आवश्यक अथवा व्यवहार्य नहीं समझा गया है क्योंकि यह उद्यम के दिन-प्रति-दिन के कार्यों से सम्बन्धित है ।

रामेश्वरम समुद्र तट से भारतीय मछुआरों का अपहरण

9637. श्री जनार्दन पुजारी :
श्री आर० एन० राकेश :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1990 को रामेश्वरम समुद्र तट से दूर करीब पचास मछुआरों का कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें छोड़ दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय मछुआरों, जिन्हें बार-बार ऐसी विपदाओं का सामना करना पड़ता है, की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में 19.4.90 को मछली पकड़ते हुए, 12 नौकाओं पर सवार, 57 भारतीय मछुआरों का अपहरण कर लिया गया था।

(ख) सभी को 21 अप्रैल, 1990 को छोड़ दिया गया था।

(ग) भारतीय मछुआरों को सलाह दी जा रही है कि मछली पकड़ते हुए वे श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में न जाएं। भारतीय मछुआरों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल के सैनिक भारतीय समुद्री क्षेत्र पर गश्त लगाते रहते हैं। हमारे समुद्री क्षेत्र की हवाई चौकसी भी की जाती है।

हथियारों का निर्यात

9638. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान शस्त्रों और अन्य संबद्ध हथियारों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ). सरकार ने 1989-90 के दौरान रक्षा सामान, जिसमें शस्त्र और सम्बद्ध हथियार शामिल हैं, के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। लेकिन रक्षा उत्पादन यूनिटों ने स्वयं ही अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में निर्यात के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। सीधे और मान लिए गए 69.71 करोड़ रुपए के सामान के निर्यात के लक्ष्य में से 1989-90 के दौरान विविध रक्षा उपस्करों और सामान का निर्यात मूल्य 80.27 करोड़ रुपए रहा।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

9639. **डा० बंगाली सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार राज्यों में कोई भी क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं करती। यद्यपि, भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ में अपना केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि राज्य सरकार उसके लिए अपेक्षित सुविधाओं का योगदान करें।

अन्तर्राज्यीय संवर्ग स्थानान्तरण नीति

[अनुवाद]

9640. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के संबंध में अन्तर्राज्यीय संवर्ग के अन्तरण के बारे में विद्यमान नीति क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी का राज्य सेवा के किसी अधिकारी से विवाह होने की स्थिति में अन्तर्राज्यीय संवर्ग की अन्तरण की अनुमति दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अन्तर्राज्यीय संवर्ग स्थानान्तरण की अनुमति उस स्थिति में दी जाती है जब भिन्न राज्य संवर्गों के दो अधिकारी आपस में विवाह कर लेते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानान्तरण मांगने वाला अधिकारी, इस प्रक्रिया में अपने ही मूल राज्य में तो स्थानान्तरण नहीं करवा लेता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अधिकतर मामलों में यह अपने मूल राज्य में ही स्थानान्तरण मांगना माना जाएगा, जिसकी विद्यमान नीति के अधीन अनुमति नहीं दी जाती है।

मल्हार (मध्य प्रदेश) के देवर मन्दिर की खुदाई

[हिन्दी]

9641. **श्री रमेश बैस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार के देवर मंदिर का मलबा किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में नहीं हटाया गया था और इस कार्य के कार्यान्वयन के दौरान न तो इसके फोटोग्राफ लिए गये और न ही कोई अभिलेख तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस मंदिर के पुनर्निर्माण के समय इसका पर्यवेक्षण किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में प्राचीन कलाकृतियां टूट जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). वर्ष 1979-80 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर की संरचनात्मक विशेषताओं को अनावृत्त करने के लिए भीम कीचक नाम से प्रसिद्ध देवर मंदिर मल्हार, जिला बिलासपुर, (म०प्र०) से मलबा हटाने का काम आरम्भ किया गया था और बाद में संरक्षण कार्य किया गया था। यह कार्य अनुभवी तकनीकी अधिकारी द्वारा एक अनुभवी योग्य वरिष्ठ पुरातत्वविद् के व्यापक निरीक्षणाधीन किया गया था। इस कार्य का समुचित प्रलेखन किया गया और मलबा हटाने के दौरान पुरावस्तुओं और मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया था। इस कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट और फोटोग्राफ भारतीय पुरातत्व: एक समीक्षा 1979-80 में भी प्रकाशित हुए थे।

सिरपुर स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय से मूर्ति की चोरी

9642. **श्री रमेश बैस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय से 1987 में चोरी हुई मूर्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार के पुरातत्वीय विभाग के अधिकारियों को बहुत देर से सूचित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) चोरी होने के बाद पुरातत्वीय मूर्ति शेड, जहां स्थानीय रूप से संग्रहित पुरावशेष रखे जाते हैं और क्योंकि यह संग्रहालय नहीं है इसलिए बंद रखा जाता है, की आवधिक जांच के दौरान सिरपुर प्रतिमा की चोरी का पता लगा था।

(ख) इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और सम्बन्धित पहरा और निगरानी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था।

(ग) चोरी की गई मूर्ति पुलिस द्वारा पकड़ ली गई थी और रायपुर संग्रहालय को सौंप दी गई थी जहां से यह बरामद की गई थी और आवश्यक सुधार के बाद मूर्ति शेड में पुनः रख दी गई थी।

मध्य प्रदेश स्थित कंठी देवल मन्दिर

9643. **श्री रमेश बैस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर के कंठी देवल मंदिर की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मंदिर का नवीकरण करने के लिये कोई विभागीय योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ). नींव के असमतल होने के कारण मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में रतनपुर स्थित कांति देवल मन्दिर टेढ़ा हो गया था और असुरक्षित स्थिति में था; इसलिए इसकी संरचनात्मक इकाइयों को सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से उतारा गया ताकि इसको ठीक-ठीक जोड़कर इसका उपयुक्त संरक्षण किया जा सके। प्रलेखित निर्देशों और उपलब्ध साक्ष्य आधार पर मन्दिर की नींव के सुदृढ़ीकरण और इसके पुनर्निर्माण का प्राक्कलन पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है। इस कार्य को चालू वर्ष के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ङ) और (च). नींव के सुदृढ़ीकरण के जटिल कार्य और विस्तृत प्रलेखन की जांच के लिए अपेक्षित समय के कारण संरक्षण कार्य के निष्पादन में विलम्ब हो गया।

कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र

9644. **श्री दाउ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावतभाटा स्थित कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र की दो इकाइयों में से प्रत्येक इकाई कितनी अवधि तक के लिए बंद रही;

(ख) इसके फलस्वरूप कितने मेगावाट बिजली की उत्पादन-हानि हुई;

(ग) इन इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर क्या प्रयास किए गए तथा इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले;

(घ) यहां पर और अधिक इकाइयां स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए गए और ये इकाइयां वहां पर कब तक स्थापित की जायेंगी;

(ङ) क्या यह देखने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली गई है कि पुरानी इकाइयों में पाए गए दोष स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों में न रहें; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की क्या राय है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला तथा दूसरा यूनिट वित्त वर्ष 1989-90 में क्रमश: 115 और 95 दिन तक ग्रिड से नहीं जुड़े रहे थे। इस अवधि में 57 दिन की वह अवधि, जिसमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट टरबाइन ब्लेड की खराबी को दूर करने और वार्षिक रख-रखाव संबंधी काम के लिए बंद रहा था और 35 दिन की वह अवधि जिसमें बिजलीघर का दूसरा यूनिट योजनानुसार वार्षिक रखरखाव संबंधी काम के लिए बंद रहा था, भी शामिल है।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले तथा दूसरे यूनिट में से प्रत्येक ने 220 मेगावाट की अपनी पूरी निर्धारित क्षमता में से वर्ष 1989-90 में क्रमश: 27% और 65% क्षमता का उपयोग किया था।

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट का कार्य-निष्पादन उस यूनिट के 62.8% के निर्धारित क्षमता गुणक की तुलना में काफी अच्छा रहा है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की क्षमता का उपयोग मुख्यत: इस कारण से कम हो पा रहा है कि उसकी दक्षिणी एण्ड शील्ड से हुए हल्के जल के रिसाव को यांत्रिक विधि से बंद किए जाने के परिणामस्वरूप उस यूनिट को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उसके विद्युत स्तर को रिएक्टर की पूरी विद्युत क्षमता के 50% के स्तर पर सीमित रखा जाता है। स्पष्ट है कि इस कारण से उसका क्षमता गुणक नीचा रहा है।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के जो पहले और दूसरे यूनिट कार्यरत हैं उनके अतिरिक्त, उसके तीसरे और चौथे यूनिट निर्माणाधीन हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट होगी तथा जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमश: मई 1995 और नवम्बर 1995 में क्रांतिक होंगे। सरकार ने उसी स्थल पर चार और यूनिट लगाने का निर्णय लिया है जिनमें से प्रत्येक की

क्षमता 500 मेगावाट होगी। इन चारों यूनिटों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी और परियोजना सम्बन्धी वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

(ङ) और (च). रावतभाटा, राजस्थान में जो एण्ड शील्ड लगाए जा रहे हैं अथवा जिन्हें लगाने का प्रस्ताव है, उनके डिजाइन अलग तरह के हैं और उनके लिए अलग तरह की सामग्री काम में लाई जा रही है। आशा है कि पहले के यूनिट लगाने में जो दिक्कतें पेश आई थीं उनका फिर से सामना नहीं करना पड़ेगा।

विश्वविद्यालयों में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू करना

[अनुवाद]

9645. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री वाई०एस०राजशेखर रेड्डी :
श्री इरा अन्बारासु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने विश्वविद्यालयों में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). अध्यक्ष और सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित अपने दिनांक 6 फरवरी, 1990 के पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिशासन के ढांचे को लोकतन्त्रात्मक बनाने के बारे में कई सुझाव दिए हैं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के शासी निकायों के प्राधिकारियों की कम से कम 50% सदस्यता का चुनाव;

(2) एक ऐसे इलेक्टोरल कालेज द्वारा कुलपति की नियुक्ति, जिसमें कार्यकारी परिषद् तथा अन्य शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों, संबद्ध व्यवसायिकों और सामाजिक वर्गों के सदस्य, जिनका चुनाव विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए किया गया, शामिल है; और

(3) कुलपति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग को सीमित करना जो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और शैक्षिक परिषद के अनुमोदन तथा स्वीकृति पर निर्भर करता है।

सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के उपर्युक्त सुझावों की जांच करेगी।

हरियाणा में परती भूमि का समेकित विकास

9646. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री इरा अन्बारासु :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने परती भूमि के समेकित विकास के लिए लघु स्तरीय योजना हेतु हरियाणा राज्य को लक्ष्य घोषित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). भारत सरकार ने एकीकृत परती भूमि विकास के लिए लघु स्तरीय योजना तैयार करने हेतु आठ राज्यों के आठ जिलों का चयन किया था। तदनन्तर, हरियाणा राज्य के दो और जिलों, नामत: सिरसा और गुड़गांव को हरित हरियाणा कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में वन्यजीव उत्पादों का अवैध व्यापार

9647. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और अन्य महानगरों में वन्यजीव उत्पादों का गुप्त रूप से व्यापार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान दिल्ली तथा अन्य महानगरों में किन-किन जानवरों की खाल जब्त की गई है और उनका मूल्य कितना है; और

(ग) इस प्रकार के गुप्त व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली और कलकत्ता में जिन जानवरों की खालें जब्त की गई उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बम्बई और मद्रास के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वन्यजीवों और उनके उत्पादों के गुप्त व्यापार पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. वन्यजीवों के व्यापार के विभिन्न स्रोतों पर केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों ही एजेंसियों के वन्यजीव कर्मचारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना;

2. चोरी-छिपे शिकार-रोधी उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पुलिस और केन्द्र सरकार के स्तर पर सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, तटरक्षक और सेना के साथ घनिष्ठ सहयोग।

3. वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार करने वालों के बारे में सूचना देने के लिए नकद पुरस्कार।

4. "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत चोरी-छिपे शिकार अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उपायों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

5. वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के तहत पौधों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विवरण

दिल्ली और कलकत्ता में मार्च-अप्रैल, 1990 के दौरान जिन जानवरों की खालें जब्त की गई उनकी सूची

जानवरों का नाम	जब्त की खालों की संख्या	अनुमानित कीमत रुपयों में
दिल्ली		
लाल लोमड़ी	600	99,000
सियार	75	22,500
जंगली बिल्ली	104	1,57,600
कामन फाक्स	3	2,400
	कुल	2,81,500
कलकत्ता		
सांप	1050	30,000
छिपकली	450	
(ब्यौरों की प्रतीक्षा है)		

टिप्पणी : उपर्युक्त कीमतें सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए अनुमानित मूल्यांकन पर आधारित हैं। इन खालों का सही बाजार-मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इनके व्यापार पर प्रतिबंध है।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवास योजना

9648. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिल्ली छावनी बोर्ड कर्मचारियों सहित छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवास योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए "सामूहिक आवास योजना" नहीं है। अतः इस योजना को छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर विश्वविद्यालय राजस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

[हिन्दी]

9649. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अजमेर विश्वविद्यालय राजस्थान को आवर्ती और गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी शर्तों को पूरा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत अजमेर विश्वविद्यालय जैसे नए विश्वविद्यालयों के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार आयोग, पात्र विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास और विशेष योजनाओं के लिए किसी विशिष्ट योजना अवधि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। योजना अवधि की समाप्ति पर आवर्ती घटक से सम्बन्धित जिम्मेदारियां सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राजस्थान में पात्र विश्वविद्यालयों को 7वीं योजना के दौरान आवंटित और जारी किए गए योजना अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	7 वीं योजना के लिए कुल आवंटन	20.2.90 तक जारी किए गए अनुदान
		(रुपये लाखों में)	
1.	जोधपुर विश्वविद्यालय	219.48	119.30
2.	एम०एल० सुखाड़िया	278.30	177.19
3.	राजस्थान विश्वविद्यालय	190.10	112.10
		687.83	408.59

(ख) से (घ). जून, 1972 के बाद स्थापित विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित करना होता है। इसके लिए विश्वविद्यालय के पास अपेक्षित अवस्थापना और सुविधायें, अनेक अध्यापन विभाग और कर्मचारी, प्रबन्ध ढांचा और अन्य बातें, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं, होनी चाहिएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अजमेर विश्वविद्यालय को अभी तक सहायता के लिए पात्र घोषित नहीं किया

गया है और आयोग ने उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में निर्मित की गई सुविधाओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भेजने का निर्णय किया है। आयोग विश्वविद्यालय को तब तक कोई अन्य विशेष सहायता प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि इसे सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित नहीं किया जाता है।

राज्यों में लेजिम और मल्लखंभ खेलों को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

9650. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लेजिम और मल्लखंभ जैसे परम्परागत खेलों की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में इन खेलों को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र को सहायता देने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विमल भाई मेहता) : (क) और (ख)। जी, हां। लेजिम और मल्लखंभ दोनों को भारतीयम, जो भारतीय खेल प्राधिकरण का एक राष्ट्रीय शारीरिक उपयुक्तता कार्यक्रम है, के अंग के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के भाग के रूप में इन दोनों खेलों में प्रदर्शन किए जाते हैं। भारतीयम के भाग के रूप में देश के सभी भागों के अध्यापकों और छात्रों को इन परम्परागत खेलों में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेलों में मल्लखंभ 13 विधाओं में से एक है जिनमें स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं।

(ग) विभाग की योजनागत योजनाओं के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण देशी खेलों और मार्शल कलाओं के संवर्धन की योजना का संचालन करता है और महाराष्ट्र सरकार इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती है। तथापि, इस समय राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा पर खर्च

9651. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसमें से क्रमशः प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर कितने-कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान प्राथमिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विमलभाई मेहता) : (क) और (ख). केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार वर्ष 1988-89 में 12298 करोड़

रुपये शिक्षा के लिए बजट प्रावधान था। प्राइमरी (अपर प्राइमरी सहित) माध्यमिक, (उच्चतर माध्यमिक सहित), उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के लिए क्रमशः 44.1%, 31.5%, 14.8% तथा 5·0% है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्राइमरी शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में वर्ष 1990-91 के दौरान सुधार लाने के लिए उठाये गये उपाय निम्नलिखित हैं।

(क) प्राइमरी शिक्षा

(1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना में वर्ष 1989-90 के दौरान उपलब्ध 202.47 करोड़ रु० के प्रावधान की तुलना में 1990-91 में अनुमोदित परिव्यय 261 करोड़ रु० है। राशि आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(2) प्राइमरी स्कूलों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसे कार्यक्रमों के माध्यमों से स्कूली परिस्थितियों तथा शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए भौतिक सुविधाओं में सुधार तथा जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों तथा गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को शाश्वत सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(3) स्कूल बीच में छोड़ने वाली लड़कियों जो पूर्ण दिवस विद्यालय नहीं जा सकती कामकाजी बच्चे तथा बिना स्कूलों वाली बस्तियों के लिए अंशकालिक गैर औपचारिक शिक्षा का प्रावधान है। गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, का उद्देश्य उनकी सुविधानुसार स्थान और समय पर लगभग 2 घण्टे दिन अथवा रात्रि में चलाये जाने वाले केन्द्रों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के समतुल्य स्तर की शिक्षा प्रदान करना है इस समय 21 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 6 लाख बच्चों के अनुमानित नामांकन के लिए लगभग 2·52 लाख केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं।

(4) सामाजार्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रावधान निःशुल्क वर्दियां, निःशु:ल्क पाठ्यपुस्तकें, लड़कियों के लिए हाजिरी छात्रवृत्ति तथा मध्याह्न भोजन राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई कुछ प्रोत्साहन योजनायें।

(5) बिहार में प्राइमरी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने एक नई परियोजना अर्थात् बिहार शिक्षा परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के लिए शिक्षा सेवाओं के प्रति उत्तरदायित्व तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता के विकेन्द्रीकरण पर मुख्य ध्यान देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं जसी उपेक्षित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया जायेगा। वर्ष 1990-91 के दौरान तीन जिलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

(ख) तकनीकी शिक्षा

वर्तमान दृश्य 1988-89 की स्थिति तथा तकनीकी शिक्षा के विकास के भविष्य तथा इसकी तुलना में राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना (1990-91) में अब

रूप से चल रही अधिकांश योजनाओं को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया है तथा कुछ ऐसी नई योजनायें संस्थापित करने को सुनिश्चित करना है जो तकनीकी शिक्षा के लिए लाभकारी हो सकती हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित आयोजना, समन्वयात्मक विकास तथा विनियमन के लिए ए०आई०सी०टी०ई० को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गये हैं। परिषद को दिए गए अधिकारों में अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, शिक्षण शुल्क, नामांकन तथा सम्बन्धित मामलों और पाठ्यचर्याओं इत्यादि के सम्बन्ध में मानदण्ड, मार्गदर्शी रुपरेखायें तथा स्तर निर्धारित करना सम्मिलित है।

कर्नाटक में आई०ए०एस० अधिकारी

9652. **श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कार्यरत आई०ए०एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक संवर्ग के आई०ए०एस०अधिकारियों में से कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान कर्नाटक को कितने आई०ए०एस० अधिकारी आबंटित किए गए हैं;

(घ) क्या कर्नाटक को आबंटित आई०ए०एस० अधिकारी, राज्य की मांग से अधिक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, कर्नाटक संवर्ग के 208 अधिकारी कर्नाटक राज्य में सेवारत हैं, जिनमें से दो अधिकारी संवर्ग से बाहर दीर्घकालीन प्रशिक्षण पर गए हुए हैं।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग को आबंटित 44 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें एक अधिकारी वह भी शामिल है जो दूसरे राज्य संवर्ग में अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर है।

(ग) सीधी भर्ती के कोटा में वर्ष 1989 के दौरान कर्नाटक संवर्ग को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारी आबंटित किए गए थे।

(घ) जी नहीं। 260 प्राधिकृत संवर्ग पद संख्या की तुलना में सेवारत वास्तविक अधिकारियों की संख्या केवल 252 हैं जिनमें 1989 में आबंटित किए गए 7 अधिकारी भी शामिल हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश

9653. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में कितने छात्रों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी;

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कितने छात्र चुने गए;

(ग) चुने गए छात्रों द्वारा प्रवेश न लिए जाने के कारण कितने स्थान खाली रहे;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में खाली स्थानों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची व्यवस्था शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 72718

(ख) 2065

(ग) 134

(घ) और (ङ). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

9654. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ तथा रत्नगिरि जिलों के पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने तथा उसको प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग). केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कई राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि उद्यमी औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास में योगदान कर सकें । तथापि, विशिष्ट जिलों के लिए विकास योजनाएं संबंधित राज्यों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं ।

जनता की परेशानियों को दूर करने के कार्य से सम्बद्ध स्वयंसेवी संगठन

9655. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जो प्रशासन का ध्यान तत्काल आकर्षित करने वाली जनता की परेशानियों को दूर करने के कार्य से सम्बद्ध हैं;

(ख) क्या प्रमुख संगठनों तथा एसोसिएशन आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, लायर्स, आर्किटेक्ट्स जैसे व्यावसायिक पेशे संबंधी संगठनों और भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और न्यायाधीशों आदि का जनता की परेशानियां दूर करने के कार्य में सहयोग लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के नामों की कोई समेकित सूची नहीं है, जो प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध लोक शिकायतों का निवारण

करने संबंधी कार्य करते हैं। तथापि बहुत से स्वैच्छिक तथा व्यावसायिक संगठन अपने कार्यक्रमों, योजनाओं इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ मिल कर कार्य करते हैं। जहां तक लोक शिकायतों को दूर करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में व्यक्ति तथा विभिन्न प्रकार के संगठन सरकार के उपयुक्त मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों के सहयोग से कार्य करते हैं। जब कभी कोई एसोसिएशन अथवा स्वैच्छिक अभिकरण किसी लोक शिकायत को उठाता है तो उसके निवारण के लिए उस पर आवश्यक कार्रवाई उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सीधे तौर पर लाई गई शिकायतों पर की जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट

9656. **श्री बसंत साठे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख). योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सिफारिशें करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के लिए अनेक कार्यकारी दल गठित किए हैं। योजना आयोग ने सभी वैज्ञानिक विभागों से निविष्टों तथा सामान्य स्वरूप के आम पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एक संचालन समूह भी गठित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए गठित कार्यकारी दल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनेक कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है। ये हैं : अनुसंधान और विकास संवर्धन; प्रौद्योगिकी विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं के लिए मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान अनुसंधान और कार्यक्रम आदि।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (तथा विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के लिए अन्य कार्यकारी दल) और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संचालन समूह के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

महिला कालेजों में छात्रावास

9657. **श्री बसन्त साठे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कालेजों में पर्याप्त संख्या में छात्रावास न होने के कारण बहुत सी छात्राएं कालेज की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार महाराष्ट्र की शिक्षा संस्थाओं द्वारा महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए मांगी गई सहायता तथा उन्हें प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिला-छात्रावास की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 1990-91 में बनाई गई प्रस्तावित योजनाओं एवं परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ). शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि अपर्याप्त छात्रावास सुविधाओं से कालेज शिक्षा की अनेक छात्राएं वंचित रहीं हैं। वि० अ० आ० छात्रावास निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों की सहायता प्रदान कर रहा है। 7वीं योजना के दौरान वि० अ० आ० ने पुरुष छात्रावासों के मामले में 50% की तुलना में महिला छात्रावासों के निर्माण के वास्तविक व्यय का 75% वहन किया। वि० अ० आ० ने यह सभी सूचित किया है कि 8वीं योजना के लिए आयोग ने महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए अपना अंशदान 75% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

वि० अ० आ० ने सूचित किया है कि पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता का आवंटन एक विशेष योजना अवधि के लिए किया जाता है और छात्रावासों सहित भवन परियोजनाओं के लिए अनुदान तभी दिए जाते हैं जब योजनाएं और अनुमानित लागत अनुमोदित कर दी गई हो और सम्बन्धित राज्य सरकार/प्रबन्ध से समान अंशदान वहन करने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है। 7वीं योजना के दौरान वि० अ० आ० ने महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों/कालेजों को, जिन्होंने महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता का अनुरोध किया था, 54.02 लाख रुपये की राशि के अनुदान अनुमोदित किए। इसमें से अब तक 4.6 लाख रुपये की राशि के अनुदान, जो वि० अ० आ० का हिस्सा है, दिए गए हैं।

महाराष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

9658. **श्री बसंत साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के कितने गांवों में जिले-वार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये;

(ख) इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कितने शिक्षक नियुक्त किये गये;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिये महाराष्ट्र की संस्थाओं पर कितना धन व्यय किया गया और कितना दिया गया और कितने दावे लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, दोनों सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा महाराष्ट्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिये गये हैं। प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का प्रबन्ध अनुदेशकों द्वारा किया जाता है।

(ग) 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 621.39 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी और कोई भी दावा लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) महाराष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धि 40% से लेकर 60% तक भिन्न-भिन्न है, जो क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। 1989-90 के दौरान शुरू किया गया प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

विवरण 1

महाराष्ट्र में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना और राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान खोले गए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की जिलेवार संख्या

क्र०सं०	जिला	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या (वर्षवार)		
		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	ग्रेटर बम्बई	620	620	620
2.	पुणे	1030	1030	1030
3.	अहमद नगर	860	860	860
4.	शोलापुर	930	930	930
5.	रिगड	610	610	610
6.	नासिक	1000	1000	1200
7.	थाने	830	830	830
8.	जलगांव	890	890	890
9.	धुले	1050	1050	1050
10.	कोल्हापुर	1010	1010	1010
11.	सतारा	1080	1080	1080
12.	सांगली	940	940	1140
13.	रत्नगिरि	820	820	820
14.	सिन्धु दुर्ग	600	600	600
15.	नागपुर	940	940	1194
16.	वर्धा	460	460	957
17.	भंडारा	890	890	890

1	2	3	4	5
18.	चन्द्रपुर	730	730	730
19.	गदचीरोली	720	720	720
20.	अमरावती	930	930	930
21.	अकोला	690	690	690
22.	बुलधाना	750	750	750
23.	येवतमाल	780	780	780
24.	औरंगाबाद	700	700	700
25.	जालना	800	800	800
26.	परभानी	730	730	730
27.	बीड	910	910	910
28.	नानदेद	860	860	860
29.	उस्मानाबाद	730	730	730
30.	लट्टूर	800	800	800
		24690	24690	26041

विवरण 2

महाराष्ट्र में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान खोले गए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की जिलेवार संख्या

क्र०सं०	जिला	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या (वर्षवार)		
		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	ग्रेटर बम्बई	65	30	60
2.	पुणे	430	60	30
3.	अहमद नगर	125	60	60
4.	शोलापुर	120	60	120
5.	नासिक	35	60	—

1	2	3	4	5
6.	थाने	35	45	—
7.	जलगांव	60	30	—
8.	धुले	—	—	15
9.	कोल्हापुर	60	—	—
10.	सतारा	120	60	—
11.	सांगली	30	—	30
12.	नागपुर	335	170	750
13.	वर्धा	—	30	30
14.	भण्डारा	35	—	—
15.	गढ़ची रोली	—	—	300
16.	अकोला	30	30	15
17.	बुलधाना	60	—	—
18.	येवतमाल	75	90	90
19.	औरंगाबाद	580	305	300
20.	जालना	90	30	90
21.	परभनी	30	150	180
22.	बीड़	100	—	—
23.	नानदेद	—	—	60
24.	उस्मानाबाद	30	—	—
25.	लट्टूर	90	—	30
		2535	1210	2160

"नेशनल राइफल्स" का गठन

9659. श्री समत कुमार मंडल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री आर० एन० राकेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना तथा अर्ध सैनिक संगठनों के बीच एक संपर्कसूत्र के रूप में काम करने के लिये भूतपूर्व सैनिकों के एक नये संगठन "नेशनल राइफल्स" का शीघ्र गठन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नये संगठन/बल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) इसको किस मंत्रालय के अधीन रखे जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख). सरकार ने एक निष्ठावान एवं विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त सेना का गठन किए जाने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। इसमें सेना के सेवारत और/या सेवा निवृत्त सैनिक होंगे जो अन्य कार्यों के अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा तथा विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे।

(ग) इस योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वालों के लिए बेहतर शैक्षिक सुविधाएं

9660. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अनेक छात्र बेहतर शैक्षिक सुविधाएं और उन्नति के बेहतर अवसरों की दृष्टि से अमरीका चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं और उन्नति से बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के औसतन 20 प्रतिशत स्नातक उच्च शिक्षा तथा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं।

(ग) इन छात्रों को देश में वापिस बुलाने के लिए, उन्हें बेहतर अनुसंधान सुविधायें, चुनौती-पूर्ण कार्य पर्यावरण तथा उपयुक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराते हुए आकर्षित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उद्यमी बनने के लिए उनकी सहायता हेतु प्रोत्साहन और सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

जहां तक मेडिकल छात्रों का सम्बन्ध है, उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए जहां इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधायें देश में उपलब्ध हैं, विदेश जाने वाले मेडिकल स्नातकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। दुर्लभ श्रेणियों वाले डाक्टरों को विदेश में रोजगार के लिए प्रायोजित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण भी देने की पेशकश करते हैं ताकि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में निदानालय (क्लिनिक)/नर्सिंग होम की स्थापना कर सकें।

महाराष्ट्र में चीनी मिलों और शराब के कारखानों द्वारा प्रदूषण

9661. **श्री एस० बी० थोरट** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चीनी मिलों और शराब के कारखानों द्वारा नदियों में बहाए जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के कारण फैलने वाली महामारियों तथा मछलियों के मरने की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) इन अपशिष्ट पदार्थों को बहाए जाने से रोकने के हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1990-91 के दौरान अन्य क्या उपाय किए जाने का विचार किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). भारत सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत चीनी मिलों और मद्यनिर्माणशालाओं से होने वाले बहि:स्रावों के लिए मानक निर्धारण किए हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में चीनी मिलों और मद्यनिर्माणशालाओं से होने वाले बहि:स्रावों के शोधन और निपटान के बारे में स्वीकृति की शर्तें निर्धारण की हैं। दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। चीनी मिलों को बहि:स्राव शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करने और सीरे को पक्के अथवा इस्पात के टैंकों में जमा करने के निदेश दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने मद्यनिर्माणशालाओं को 15 जुलाई, 1990 तक बहि:स्रावों के प्राथमिक शोधन का काम पूरा कर लेने की सलाह दी है।

(घ) चीनी मिलों और मद्यनिर्माणशालाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर बहि:स्राव मानकों को पूरा करना होता है।

उदयपुर (राज०) में आहड़ में खुदाई

[हिन्दी]

9662. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर (राज०) में आहड़ में खुदाई के दौरान एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके विकास तथा संरक्षण के लिए आवंटित की गई कुल धनराशि क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इसके महत्व को देखते हुए इस उद्देश्य के लिए और धनराशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) आहर, जिला उदयपुर में खुदाई कार्यों से ताम्र-प्रस्तर युग और लौह युग से सम्बन्धित व्यवसाय के दो कालों का पता लगा है जिनके बीच में अन्तराल है ।

(ख) और (ग). क्योंकि यह स्थल, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित है अत: इस स्थल के संरक्षण और इसके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा निधियां प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैज्ञानिकों को खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करना

[अनुवाद]

9663. **प्रो० के०पी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों और अनुसंधान प्रशिक्षुओं ने खतरनाक कार्यों को करने के लिए अपने लिए सुरक्षा और बीमे का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) से (ग). जी हां। वैज्ञानिक और शोधकर्ता समस्याओं से संबंधित अपने अवगम के बारे में जिनका कि वे सामना करते हैं, समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाते हैं। इनमें कार्य सुरक्षा और जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए बीमा से संबंधित पहलू शामिल हैं। युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं की राष्ट्रीय समिति से हाल ही में प्राप्त ज्ञापन के मामले में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय दल गठित किया गया है।

पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा

[हिन्दी]

9664. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन स्थानों पर शुरू किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का इसे उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उद्देश्यों के अनुसरण में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय

शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है। 1987-89 के दौरान कक्षा I-V के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों/शिक्षक नियमावलियों में पर्यावरण परिरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण स्वच्छता, आदि जैसे उपयुक्त घटक शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित पाठ्यचर्या का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी सम्बद्ध स्कूलों द्वारा पालन किया जाता है। इस पाठ्यचर्या को अपनाने के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने निर्णय स्वयं लेते हैं।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता, परन्तु पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित पाठ सामाजिक विज्ञानों और संबद्ध विषयों के भाग के रूप में होते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में, शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार पुस्तकें तैयार की गई हैं जिन्हें अनुपूरक पठन-सामग्री के रूप में स्कूलों में लागू किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इन पुस्तकों के मुद्रण के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। इन पुस्तकों के मुद्रण और वितरण की संभावित लागत अभी ज्ञात नहीं है।

उत्तर प्रदेश के रानीखेत छावनी क्षेत्र में पेय जल की समस्या

9665. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के रानीखेत छावनी क्षेत्र की गैर-सैनिक जनसंख्या को पेय जल की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में गैर-सैनिक जनसंख्या के लिए पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था करने के लिए एक नई योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के लिए कोई धन-राशि नियत की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) छावनी बोर्ड ने पहले ही इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) धन की कमी होने और विभिन्न छावनी बोर्डों से प्राप्त अन्य मांगों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के कारण चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए सहायता अनुदान मंजूर करना सम्भव नहीं है।

चौड़े पत्तों वाले वृक्षों का लगाया जाना

9666. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के उत्तरी भागों के पहाड़ी क्षेत्रों में चौड़े पत्तों वाले वृक्ष लगाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी वृक्षारोपण गतिविधि का आधार ग्रामसभाएं होंगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे वृक्षारोपण के लिए कार्यवाही योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) केवल चौड़े पत्तों वाली वृक्ष प्रजातियों के पौदरोपण का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि स्थान विशेष की अवस्थाओं पर निर्भर करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न वनीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाली वृक्ष प्रजातियां लगाई जाती हैं।

(ख) व्यवहार्यता को देखते हुए ग्राम सभाओं को भी वृक्षारोपण कार्यकलापों का आधार बनाया जाएगा।

(ग) वृक्षारोपण के लिए कार्य योजनायें प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश

9667. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्र-वार किए गये पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किया गया पूंजी निवेश पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो आठवीं योजना में क्षेत्र-वार केन्द्रीय पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आशेष गोवर्धन) : (क) और (ख). केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर समग्र देश के लिए किया जाता है। ये केन्द्रीय कार्यक्रम/परियोजनायें, अधिकांश मामलों में राज्य सरहदों की सीमाओं को लांघ जाती हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ भी पूरे देश में फैल जाते हैं। योजना आयोग राज्यों के भागों के अनुसार केन्द्रीय निवेश के आंकड़े नहीं रखता है और इसलिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर अधिक संतुलित विकास इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक होने की आशा है।

पंजाब में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

[अनुवाद]

9668. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उसकी क्या-क्या उपलब्धि रही हैं; और

(ग) चालू वर्ष के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, पंजाब सहित सारे देश में वनीकरण वृक्षारोपण कार्यकलाप, जिसमें सामाजिक वानिकी

भी शामिल है, चलाए जा रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

(क्षेत्र है० में)*

	1987-88	1988-89	1989-90
लक्ष्य	22500	25000	20000
उपलब्धि	24776	28730	20951

(*फार्म वानिकी आदि के लिए पौद वितरण से अनुमानतः (नोशनली) लिया गया क्षेत्र भी शामिल है)

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वनीकृत क्षेत्र (है०)	9150
फार्म वानिकी (पौद लाख में)	300

पंजाब सरकार को पुस्तकों के लिए कागज का कोटा

9669. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किताबों और कापियों के लिए रियायती दर पर कागज के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा के क्षेत्र के लिए रियायती दर पर सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति की योजना वर्ष 1989-90 के अंत तक चलती रही है। इस योजना को 1.4.90 से जारी रखने के लिए सरकारी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

कर्नाटक में चन्दन वनों का ह्रास

9670. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में चन्दन वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में चन्दन वनों का ह्रास होने के लिए कौन से मुख्य तत्व उत्तरदायी हैं; और

(ग) इस बहुमूल्य वन सम्पदा को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कर्नाटक में चन्दन के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई और तस्करी हुई है। अब राज्य के वन विभाग और पुलिस विभाग तस्करों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।

कर्नाटक में प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध

9671. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग ने कर्नाटक में प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध के लिए किसी परियोजना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में अब तक पता लगाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रोफेसर एम०जी०के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर०एम०एस०) के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में अंतरिक्ष विभाग ने कर्नाटक में पहले ही विभिन्न सुदूर संवेदन उपयोग संबंधी परियोजनाओं का कार्य किया है और निकट भविष्य में कार्यान्वयन हेतु कुछ परियोजनाओं का निर्धारण किया है। ऐसी निर्धारित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

—मांडया जिले के हिस्सों में पैदावार और फसल के एकड़वार आंकलन के लिए प्रौद्योगिकी अध्ययन।

—राष्ट्रीय परियोजना के भाग के रूप में संपूर्ण कर्नाटक राज्य के लिए दो वर्ष के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 1 : 1 मिलियन पैमाने पर वन क्षेत्र का मानचित्र।

—कर्नाटक के 8 जिलों के लिए 1 : 50,000 के पैमाने पर परती भूमि का मानचित्रण करना। कर्नाटक का वन विभाग संभाव्य क्षेत्रों में वनरोपण के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

—सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य के लिए 1:250,000 के पैमाने पर भू-जल के सम्भाव्य क्षेत्रों का मानचित्रण करना।

—राष्ट्रीय पेय जल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत गुलबर्गा, धारवाड़ और रायचूर जिलों के समस्याग्रस्त गांवों में भू-जल स्रोत का पता लगाना।

—रेशम उत्पादन के विकास के लिए कर्नाटक में मैसूर, बंगलौर और कोलार जिलों के भागों में शहतूत की खेती वाले क्षेत्रों का निर्धारण करना।

—तुंगभद्रा नहर कमाण्ड क्षेत्र के भागों में सिंचाई की कार्यकुशलता का अध्ययन करना।

—सम्पूर्ण राज्य के लिए 1:250,000 के पैमाने पर कृषि-जलवायु क्षेत्र की आयोजना के लिए भूमि प्रयोग/भूमि-आवरण संबंधी मानचित्र।

—कोलार और बीजापुर जिलों में सूखे का मुकाबला करने के लिए एकीकृत संसाधनों का सर्वेक्षण करना।

—खरीफ ऋतु के दौरान सम्पूर्ण राज्य के लिए कृषि सूखे का आंकलन और मानीटरन करना।

—येलापुर संरक्षित वन में वन मानचित्रण और क्षति का पता लगाना।

—तटवर्ती पर्यावरण और नग भूमि का मानचित्रण।

—बंगलौर शहर के चारों ओर विशिष्ट भू-भागों में रिंग रोड का संरेखण-एक सुदूर संवेदन आधारित हल।

अन्तरिक्ष विभाग उपर्युक्त परियोजनाओं के अनुसरण में केन्द्र और राज्य स्तर पर अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों तथा कर्नाटक राज्य सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र के साथ भी सक्रिय सहयोग कर रहा है।

वैज्ञानिक-तकनीकी कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन

9672. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान क्या-क्या नये वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य शुरू किए जायेंगे; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान विज्ञान और तकनीक के विकास के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों के लिए 1590.91 करोड़ रु० तथा का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में, उत्पादन और रोजगार में तेजी से वृद्धि, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए तथा साथ ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत प्रबंधन जैसी राष्ट्रीय विकास के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के आदानों को सोद्देश्यपूर्ण रूप से जुटाने तथा उनके अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान नए वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों की संक्षिप्त रूपरेखा

वर्ष 1990-91 के दौरान नए क्रियाकलापों में प्रस्तावित सामान्य क्षेत्रों में से कुछ निम्नलिखित हैं;

नाभिकीय भौतिकी साधन-व्यवस्था; सुपर कण्डक्टिंग साइक्लोट्रान; परमाणु खनिज डिवीजन के लिए नई प्रयोगशाला सुविधायें; तकनीकी क्षमताओं को मजबूत बनाने तथा विभिन्न कदमों के द्वारा जैसे कम्पनी एक्विजिसन तटीय क्षेत्र प्रबंध अन्तर्राष्ट्रीय जियोस्फेयर, बायोस्फेयर कार्यक्रमों के द्वारा नई तकनीकें ग्रहण करने के लिए विशेष तकनीकी परियोजनाएं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोजना; नीति तथा भावी अध्ययन, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निगम के तहत बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम; प्राकृतिक विपदा न्यूनीकरण, पार्वत्य प्रौद्योगिकी, उन्नत कुम्भकार कला, रोबाटिक्स, विशिष्ट उद्देश्यीय वायुयान, एक नई निम्न/उच्च गति हवा सुरंग, संघटक एकत्रीकरण

मूल्यांकन कार्यक्रम, कच्चे माल के उन्नयन के लिए लोहे और इस्पात पर बुनियादी अनुसंधान, इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकीयों का विकास, डिजिटल दूरदर्शन की तरह नयी टी०वी० पद्धतियां ध्वनि पद्धति और टी०वी० प्रसारण की सूक्ष्म जांच कृषीय इलेक्ट्रानिक्स में फोटोनिक्स और आर० एंड डी०, फलों और सब्जियां के क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण और उपयुक्त आर० एंड डी०, एस०टी०डी० भोपाल में दूसरा शार्ट सर्किट अल्टरनेटर, सिल्ट के कारण जल विद्युत टरबाइन्स के कटाव की समस्या, ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकीयों गैस का नए तरीके से विकास, ल्यूब निष्कर्ण और ग्रामीण एवं विकास प्रयोगशाला के लिए पाइलट प्लाट, एकीकृत कम्प्यूटर निर्माण, अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए मानकपोतों का आरेखण और पूर्वानुमान सूचना निर्धारण तकनीकी परिषद (टी०आई०एफ०ए०सी०) कार्यकलाप।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा सौरभयुक्त एवं औषधीय पौधों की खेती

9673. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का सौरभयुक्त एवं औषधीय पौधों की खेती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका खेतों में भी प्रयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) की कई प्रयोगशालाएं औषधीय व सगंध पौधों की खेती व प्रक्रमण से सम्बन्धित कृषि-प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की तरह ही अनुसंधान तथा विकास में पिछले कई वर्षों से लगी हुई है। वे वाणिज्यिक खेती स्वयं नहीं कर रही है। प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में विस्तार कार्य व फील्ड स्तरीय परीक्षण शामिल होते है। जिन औषधीय व सगंध पौधों को वाणिज्यिक स्तर पर उगाया व प्रक्रमित (संसाधित) किया जाता है, वे है मिन्ट्स, जावा सिट्रोनेला, पामरोजा, लेमन ग्रास (नीबू घास), अरगॉट जिरेनिअम। वर्ष 1989-90 में निकाले गए सगंध तेलों व उगाए गए औषधीय पौधों का मूल्य मोटे तौर पर 30 करोड़ रुपए है।

भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यकरण के बारे में जांच

9674. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यकरण के विरुद्ध हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ये शिकायतें निम्नलिखित प्रकार की थी :

(1) महानिदेशक के रूप में वर्तमान पदधारी की नियुक्ति में अनियमितताएं;

(2) प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग इत्यादि;

(3) मुख्यालय के भवन-निर्माण में विलम्ब;

(4) परामर्शदाता और संपादक पद पर नियुक्तियों में अनियमितता;

(5) मानवविज्ञान पार्क के लिए भूखंड अस्वीकार करना;

(6) फील्ड स्टेशनों की स्थापना में कमियां;

(7) मुख्यालय को कलकत्ता में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव;

(8) चालू शोध परियोजनाओं को छोड़ देना;

(9) स्थानांतरण दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से स्थानांतरण करना;

(10) 30.8.1989 को 'भारत बन्द' के दिन एक दिन के वेतन की कटौती करना;

(11) कर्मचारी संघ के दो पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र;

(12) कम्प्यूटरों की अनुचित स्थापना;

(13) प्राइवेट प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशन कार्यक्रम;

(14) शोधार्थियों की नियुक्ति में अनियमितता;

(15) गोपनीय रिपोर्टों के मामले में हेर-फेर;

(16) सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति में अनियमितताएं; और

(17) 'भारत के लोग' परियोजना पर संसाधनों का अपव्यय।

शिकायतों की जांच की गई है और उन्हें निराधार तथा दुर्भावनापूर्ण पाया गया है। अतः कोई कारंवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के परिव्यय में कटौती

9675. **श्री के० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए परिव्यय में और विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कमी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). योजना आयोग का विचार है कि आठवीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के प्रति अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इस समय चल रही अनेक ऐसी स्कीमों

की इस दृष्टि से संवीक्षा की जा रही है कि किन्हें कतई जारी रखा जाना आवश्यक है, किन्हें संसाधनों के साथ राज्यों को अंतरित कर दिया जाए और किन्हें जारी रखा जाना अपेक्षित है।

तेजाब-वर्षा के कारण समुद्रीय जीवन को खतरा

9676. **श्री भवानी शंकर होटा :**
श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तेजाब-वर्षा के कारण समुद्रीय जीवन को खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समुद्रीय जीवन को तेजाब से होने वाले खतरे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) तटीय निगरानी से पता चला है कि वर्षा से समुद्री जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में पेट्रोल और डीजल की खपत

9677. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **प्रधान मंत्री** सशस्त्र सेना मुख्यालयों में पेट्रोल और डीजल की खपत के बारे में 23 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु और नौसेना मुख्यालयों में पेट्रोल और डीजल की खपत में भारी कटौती करने तथा व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करने के लिए वायु सेना तथा नौ सेना मुख्यालय उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) पुराने और ईंधन की अधिक खपत वाले वाहनों के स्थान पर ईंधन की कम खपत वाले वाहनों को शामिल करना।

(2) एम०टी० वाहनों में ईंधन की कम खपत हो, इसके लिए उनका नियमित रूप से रख-रखाव करना।

(3) वाहनों का पूल बनाकर इस्तेमाल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों को कम से कम आना जाना पड़े।

(4) ईंधन की अधिकतम बचत करने के लिए वाहनों की प्रति लीटर यात्रा पर नजर रखना।

(5) ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ करना।

(6) विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए प्रति लीटर निर्धारित यात्रा की सीमा का सख्ती से अनुपालन करना और ईंधन की समग्र खपत को नियन्त्रित करना।

नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

[हिन्दी]

9678. **कुमारी उमा भारती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या है ;

(ख) यदि शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों है, तो हिन्दी और अंग्रेजी में कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं; और

(ग) शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को वरीयता दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) नवोदय विद्यालयों में कक्षा VI से VIII तक छात्रों की मातृ भाषा/क्षेत्रीय भाषा शिक्षण का माध्यम है। कक्षा IX तथा इससे आगे सभी नवोदय विद्यालयों में हिन्दी/अंग्रेजी एक समान माध्यम है।

(ख) सामाजिक अध्ययन तथा मानविकी हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जाता है जबकि विज्ञान और गणित अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, अंग्रेजी ही कुछ विषयों के लिए शिक्षण का सह-माध्यम है। यह केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली के अनुरूप भी है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार

9679. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बारे में हाल ही में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग). कुछ समय पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तकनीकी स्टाफ संघ के अध्यक्ष ने इस विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके साथ कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए गए मांग-पत्र की एक प्रति संलग्न थी। इस मांग-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को उनकी आवश्यक अर्हताओं तथा अनुभव पर विचार किए बिना नियुक्तियां और पदोन्नतियां प्रदान की हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, तकनीकी स्टाफ संघ के मांग-पत्र में उल्लिखित नियुक्तियों को अनियमित नहीं माना जा सकता क्योंकि नियुक्त किए गए व्यक्ति उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त हैं और उन्हें पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है। प्रवरण समिति द्वारा केवल एक मामले में निर्धारित अर्हताओं में आंशिक छूट दी गई है।

रंगीन टेलीविजन का आंखों पर प्रभाव

9680. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन देखने से आंखों को नुकसान पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान पहुंचता है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग). समुचित सावधानियां बरतने पर, रंगीन दूरदर्शन देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है । दूरदर्शन देखने की दूरी पिक्चर-ट्यूब की ऊंचाई से छः गुनी अधिक होनी चाहिए (51 से० मी० आकार के रंगीन दूरदर्शन सैटों के लिए 1.85 मीटर से अधिक होनी चाहिए); दूरदर्शन के आसपास रोशनी होनी चाहिए; एक ही बार में लगातार काफी लम्बे समय तक टी० वी० नहीं देखना चाहिए । सावधानियां न बरतने से, आंखों में थकान आ सकती है । दूरदर्शन के विनिर्माताओं द्वारा सैटों के साथ टी० वी० चलाने के सम्बन्ध में दी गई नियम-पुस्तिका में आमतौर पर इन सावधानियों का उल्लेख होता है ।

कालेज शिक्षकों के लिये पुरस्कार

9681. **प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हर वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर केवल स्कूल-शिक्षकों को ही पुरस्कृत करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कालेज-शिक्षकों को भी पुरस्कृत करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण

[अनुवाद]

9682. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के संरक्षण के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे स्थलों के संरक्षण और सुधार के लिये कोई विकास योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). जी, हां । केन्द्रीय संरक्षणाधीन 24 स्मारक/स्थल हैं जिनकी देखभाल और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है । इनमें, किले, बारादरी, मकबरे, पुल, सराय, तोरणद्वार, और पुरातत्वीय स्थल शामिल हैं, जिनका 1989-90 से बचाव और संरक्षण किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). निम्नलिखित स्मारक परिरक्षण और सुधार के लिए 1990-91 के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं :

(1) अमृतसर की पुरानी सराय का तोरणद्वार,

(2) भटिंडा का किला,

(3) नूरमहल और दखनी स्थित तोरणद्वार सहित सराय,

(4) नकोदर (जिला जालन्धर) स्थित मुहम्मद मोमिन और हाजी जमाल के मकबरे।

(5) शमशेर खां का मकबरा, और

(6) बटाला (जिला गुरदासपुर) स्थित बारादरी।

"मूल आवश्यकता कार्यक्रमों" के अन्तर्गत पंजाब के लिए धनराशि का आवंटन

9683. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मूल आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत पंजाब के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और कार्यक्रम की मदवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मदवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत पंजाब की राज्य योजना में मदवार और वर्षवार किये गये आबंटन के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान पंजाब सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र में उपयोग में लायी गयी धनराशि संलग्न विवरण-2 में दर्शायी गयी है।

(ग) पंजाब को वर्ष 1990-91 के लिए राज्य योजना में आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि 3515.05 लाख रु० अनंतिम है।

विवरण 1

"मूल आवश्यकता" कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए पंजाब योजना परिव्यय (केवल राज्य क्षेत्र)

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	मूल आवश्यकता कार्यक्रम संघटक	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	प्रारंभिक शिक्षा	470	634	463
2.	प्रौढ़ शिक्षा	10	25	60
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	400	450	700

1	2	3	4	5
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति	1104	1500	1600
5.	ग्रामीण सड़कें	—	—	—
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण	—	—	—
7.	ग्रामीण आवास	70	55	55
8.	शहरी मलिन बस्तियों के लिए पर्यावरणी सुधार	62	150	100
9.	पोषाहार	593	279	275
10.	ग्रामीण घरेलू कुकिंग ऊर्जा			
	(1) उन्नत चूल्हें	—	—	—
	(2) ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम	100	110	95
11.	ग्रामीण स्वच्छता	5	5	100
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	—	—	—
	योग :	2814	3209	3449

विवरण 2

पंजाब में मूल आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए व्यय
(राज्य योजना क्षेत्र)

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	मूल आवश्यकता कार्यक्रम संघटक	1987-88	1988-89	1989-90*
1	2	3	4	5
1.	प्रारंभिक शिक्षा	332.00	499.00	482.00
2.	प्रौढ़ शिक्षा	9.00	12.00	23.00
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	296.00	366.00	637.00
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति	1148.00	1253.90	1400.00
5.	ग्रामीण सड़कें	—	—	—
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण	—	—	—

1	2	3	4	5
7.	ग्रामीण आवास	63.37	66.37	53.11
8.	शहरी गन्दी बस्तियों के लिए पर्यावरणीय सुधार	62.00	62.00	62.00
9.	पोषाहार	239.00	279.00	275.00
10.	ग्रामीण घरेलू कुकिंग ऊर्जा			
	(1) उन्नत चूल्हे	—	—	—
	(2) ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम	135.50	90.00	95.00
11.	ग्रामीण स्वच्छता	55.00	175.00	100.00
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	—	1.00	1.00
	योग :	2337.87	2804.27	3128.11

*प्रत्याशित

वन-चरागाह का विकास

9684. श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने 1200 हैक्टेयर भूमि पर वन-चरागाह विकसित करने हेतु पायलट-परियोजना शुरू करने के कर्नाटक वन विकास निगम का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावित परियोजना में केन्द्रीय सरकार का कितना हिस्सा है;

(घ) क्या योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रायोजना की अनुमानित लागत 129.44 लाख रु० है जिसमें से केन्द्रीय सरकार का भाग 64.77 लाख रु० है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में हसन में सैनिक स्कूल खोलना

9685. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार सैनिक स्कूल कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या मलंड क्षेत्र के बच्चों के लिए कर्नाटक में हसन में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सैनिक स्कूलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). सैनिक स्कूल, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर खोला जाता है क्योंकि स्कूल का समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना होता है। कर्नाटक सरकार से "हसन" में सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम सं०	सैनिक स्कूल का नाम	राज्य
1	2	3
1.	अमरावती नगर	तमिलनाडु
2.	बालचड़ी	गुजरात
3.	बीजापुर	कर्नाटक
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
6.	घोड़ाखाल	उत्तर प्रदेश
7.	गोलपाड़ा	असम
8.	इम्फाल	मणिपुर
9.	कपूरथला	पंजाब
10.	कझाकूटम	केरल
11.	कोरुकोण्डा	आन्ध्र प्रदेश
12.	कुंजपुरा	हरियाणा

1	2	3
13.	नगरोटा	जम्मू-कश्मीर
14.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
15.	रीवा	मध्य प्रदेश
16.	सतारा	महाराष्ट्र
17.	सुजानपुर तिहरा	हिमाचल प्रदेश
18.	तिल्लैया	बिहार

हिन्दी अकादमी द्वारा हिन्दी केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

9686. **श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हिन्दी अकादमी, दिल्ली का विचार अनुसूचित जाति की कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों में अनुसूचित जाति के तथा अन्य छात्रों को पुस्तकें आदि मुफ्त दी जाएंगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश भर में ऐसे केन्द्र खोलने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) निरक्षर व्यक्तियों को हिन्दी का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए तथा पुस्तकालय और वाचनालय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, हिन्दी अकादमी, दिल्ली की हिन्दी टंकण और आशुलिपि का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभिक स्तर पर 20 हिन्दी केन्द्र गठित करने की योजना है। अकादमी ने पहले से ही रंगपुरी पहाड़, महीपालपुर गांव, दिल्ली में (साक्षरता के लिए) एक हिन्दी केन्द्र गठित किया है जहां 25 व्यक्तियों को हिन्दी का प्रारम्भिक ज्ञान दिया जा रहा है। हिन्दी टंकण और आशुलिपि का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए दो अन्य केन्द्र, गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, राजघाट, नई दिल्ली और इन्दरलोक में आरम्भ किए गए हैं जो पुस्तकालय और वाचनालयों की भी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार (शिक्षा विभाग) की ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, हिन्दी शिक्षण केन्द्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों; हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि केन्द्रों, हिन्दी पुस्तकालयों तथा सामान्य रूप से पूरे भारत में वाचनालयों और विशेष रूप से अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत लगभग 175 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वाहनों के कारण प्रदूषण

9688. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेट्रोल में सीसे की मात्रा होने के कारण भी वायु में प्रदूषण होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वैज्ञानिकों का यह मत है कि धुंए के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में जामुन और कनेर के वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) संशोधित मोटर (वाहन) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दिनांक 2.6.1989 को पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए अनेक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं तथा इन मानकों को 1 मार्च 1990 से लागू किया गया है। व्यापक उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित किए गए हैं तथा ये मानक (पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए) अप्रैल, 1991 तथा (डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए) अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।

(2) जन जागरूकता अभियान तथा मुकदमें चलाए गए हैं।

(3) पेट्रोलियम उद्योग से कहा गया है कि पैट्रोल में सीसे की मात्रा को कम किया जाये तथा अप्रैल, 1993 तक इसकी मात्रा प्रति लीटर 0.15 ग्राम तक कम कर दी जाए।

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय से कहा है कि वह सभी वाहन निर्माताओं को निर्देश जारी करें जिसके अनुसार वाहन निर्माता इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा निर्मित वाहनों का उत्सर्जन व्यापक उत्सर्जन मानकों की निर्धारित सीमा के अन्दर है और निर्धारित व्यापक उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वाहनों के डिजाइन में आवश्यक परिवर्तन किए जायें। यह सुझाव भी दिया गया है कि भारी यातायात वाले क्षेत्रों में 2-स्ट्रोक इन्जनों वाले वाहनों (स्कूटर, मोटर-साइकिल, मोपेड) की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

(घ) वैज्ञानिक इस तरह के किसी निश्चित निष्कर्षों पर नहीं पहुंचे हैं कि 'जामुन' और कनेर के वृक्ष वाहन प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। फिर भी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने इन दो प्रजातियों को सड़कों के किनारे पौधरोपण के अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है।

राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण

[अनुवाद]

9689. **श्री के० एस० राव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदियों का उपयोग नियमित करने और इनका दुरुपयोग रोकने के लिए एक "राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के बारे में एक संकल्पना पत्रक तैयार कर लिया गया है ।

(ख) योजना में कार्य क्षेत्र, कार्य, संगठनात्मक ढांचा, कार्यान्वयन के तरीके आदि जैसे विभिन्न घटकों की व्यापक रूपरेखा दी गई है।

शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप

[हिन्दी]

9690. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** :
श्री नाथू सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1990 के "हिन्दुस्तान" में "शिक्षा अधिकारियों के कार्यकलापों की जांच हो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध यमुना पार क्षेत्र, लक्ष्मी नगर के अभिभावक शिक्षक संघ से कितनी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग). सरकार को "शिक्षण अधिकारियों के कार्यकलापों की जांच हो" नामक शीर्षक के अन्तर्गत समाचार-पत्र में छपे इस समाचार की जानकारी है । इस समाचार पत्र के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के पूर्वी जिला के दो शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध दो आरोप लगाये गये हैं । ये आरोप जनता को तंग करने तथा उन्हें शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य करने से सम्बन्धित हैं । शिक्षा अधिकारियों पर भाई-भतीजावाद का भी तथाकथित आरोप है ।

(2) लक्ष्मी नगर के अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा एक और शिकायत की गई है तथा इसे दिल्ली के उप-राज्यपाल को सम्बोधित किया गया है । इस शिकायत में स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध इसी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं । इसके अलावा, निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में भी आरोप लगाये गये हैं । यह मांग की गई है कि अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जाये ।

(3) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जाली प्रमाण-पत्रों पर किए गये दाखिलों की जांच करने के लिए स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्रों पर शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किये

गये प्रति हस्ताक्षर भी अत्यन्त आवश्यक हैं। जहां तक निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित आरोपों का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने एक व्यापक प्रपत्र निर्धारित किया है जिसमें निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न शर्तें निहित हैं और प्रस्तावों को पूरी तरह से सम्पूरित पाये जाने पर ही मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, निजी स्कूलों को मान्यता का अनुमोदन देने के लिए शिक्षा निदेशक ही अन्ततः सक्षम है।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों से शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का कोई मामला नहीं है। वैयक्तिक अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त विशिष्ट शिकायतों पर उपयुक्त कार्यवाही करना दिल्ली प्रशासन का काम है।

केरल में वेमबानाड झील का पुनरवापण

[अनुवाद]

9691. श्री के०एस० राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वेमबानात् क्याल संरक्षण समिति ने वेमबानाड झील के पुनरवापण का विरोध करते हुए झील परियोजना को समाप्त करने हेतु सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन का ब्योरा क्या है और इस परियोजना को समाप्त करने के लिए क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) समिति की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन के अनुसार परियोजना अवैज्ञानिक, अनैतिक और अव्यवहार्य है और इससे गम्भीर और लंबे समय तक पर्यावरणीय असंतुलन होगा। तीन हजार से भी अधिक परिवारों के दस हजार श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। इस स्कीम से केन्द्रीय सरकार के 1958 के इस आशय के आदेश का उल्लंघन होता है कि वेमबानाड झील की चौड़ाई को किसी भी कारण से रद्दोबदल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, कोचीन के क्षेत्रीय केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन का भी उसमें उल्लेख किया गया है।

(ग) राज्य सरकार से इस बांध पर आगे की कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देने का अनुरोध किया गया है जब तक कि इसके विभिन्न परिणामों की सावधानीपूर्वक जांच न कर ली जाए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती नीति

9692. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में कर्मचारियों की भर्ती, उन्हें स्थायी करने, पदोन्नति तथा सेवा से सम्बन्धित अन्य मामलों की नीति समान है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख). सभी पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 और उसके अन्तर्गत बनायी गई सांविधियों द्वारा अभिशासित होते हैं। और इन्हीं प्रावधानों के अन्दर व्यापक रूप से एक समान भर्ती नीति स्थायीकरण, पदोन्नति और अन्य सम्बन्धित सेवा मामलों का अनुसरण करते हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली

9693. **श्री केशरी लाल** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली का गठन वर्ष 1980-81 में शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत किया गया था;

(ख) क्या पिछली परिषद के अस्तित्व में रहते हुए वर्ष 1988 में सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत एक दूसरी राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद पंजीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन दोनों राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों के कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1988 में पंजीकृत राज्य शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के सभी अधिकारी शिक्षा विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारी थे; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सरकार के स्थायी परामर्शदाताओं और प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति

9694. **श्री मदन लाल खुराना** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सरकार के स्थायी परामर्शदाताओं और प्रशासनिक सदस्यों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान निर्धारित मानदंड के आधार पर नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं और प्रशासनिक सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली स्थित मुख्य खंडपीठ में प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य खंडपीठ में अभी नियुक्त किये गये नये प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकारी स्थायी वकीलों के चयन से सम्बन्धित मामलों में पात्रता शर्तों/मानदंड के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के स्थायी वकीलों की नियुक्ति, वकालत कर रहे उन अधिवक्ताओं से की जाती है जो सेवा सम्बन्धी मामलों में अनुभवी/सक्षम बताये जाते हैं।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 6 (3क) में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में सदस्य (प्रशासनिक) की नियुक्ति के लिए योग्यताएं/पात्रता शर्तें दी गई है। सदस्य (प्रशासनिक)

की नियुक्ति अपेक्षित योग्यता रखने वाले/पात्रता शर्तें पूरी करने वाले अधिकारियों में से की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 6(7) में, सदस्य (प्रशासनिक) की नियुक्ति के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का प्रावधान है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 3क, 4 तथा 7 के अंश संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठ में जो वकील तथा नौ सदस्य (प्रशासनिक) नियुक्त किए गए हैं। सूची संलग्न विवरण 2 में दी गई है।

(ग) से (ङ). नई दिल्ली स्थित प्रधान न्यायपीठ में प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई पृथक मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। पात्रता की शर्तें वही हैं जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सभी न्यायपीठों में प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए लागू होती हैं।

विवरण 1

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा(6) की उप-धारा (3क), (4) तथा (7) का सार

3(क) किसी सदस्य को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने :

(क) कम से कम दो वर्ष तक, भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उस वेतनमान वाले अन्य किसी पद पर जो भारत सरकार के अपर सचिव के पद से कम वेतनमान में न हो कार्य न किया हो; अथवा

(ख) कम से कम तीन वर्ष तक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन उस वेतनमान वाले पद पर जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम वेतनमान में न हो कार्य न किया हो; तथा किसी भी स्थिति में जिसे पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो।

(4) उप-धारा (7) के प्रावधानों के अधीन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के पद के लिए इस धारा में निर्धारित योग्यताएं रखने वाले किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।

विवरण-2

क्रम संख्या	नाम	न्यायपीठ
वकील		
1.	श्री के० वेंकटसुब्बा राजू	मद्रास
2.	श्री के० जी० सावन्त	नई बम्बई
सदस्य (प्रशासनिक)		
1.	श्री हबीब मोहम्मद	पटना
2.	श्री एम० एम० माथुर	प्रारम्भ में जोधपुर अब चंडीगढ़ न्यायपीठ में

3.	श्री पी० सी० जैन	दिल्ली (प्रधान न्यायपीठ)
4.	श्री आर० बालासुब्रामणियन	प्रारम्भ में कलकत्ता में अब हैदराबाद न्यायपीठ में।
5.	श्री सी० एस० पाण्डेय	पटना न्यायपीठ
6.	श्री एम० एम० सिंह	अहमदाबाद न्यायपीठ
7.	श्री के० ओबय्या	इलाहाबाद न्यायपीठ
8.	सुश्री उषा सावरा	प्रारम्भ में जोधपुर में अब चंडीगढ़ में।
9.	श्री आई० के० रसगोत्रा	दिल्ली (प्रधान न्यायपीठ)

सुन्दरवन, पश्चिमी बंगाल के बाघ

9696. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित सुन्दर वन क्षेत्र में बाघों की गिनती करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या वर्ष 1984 के बाद से सुन्दर वन में बाघों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है; यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या सरकारी बाघों की गणना के अनुसार वहां बाघ आहार और स्थान की कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बाघों के लिए पर्याप्त आहार और स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाघ अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कोई दीर्घावधिक योजना तैयार कर रही है; यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त स्थिति का किस प्रकार सामना करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सुन्दर वन बाघ रिजर्व में 1984 में बाघों की संख्या 264 थी जो बढ़कर 1989 में 269 हो गई।

(ग) ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संस्थानों में अध्यापक-विद्यार्थी का अनुपात

9697. **श्री यशवन्तराव पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में इस समय अध्यापक-विद्यार्थी का क्या अनुपात है;

(ख) यदि कोई विभिन्नता है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों संस्थानों में समान अनुपात लागू करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (भा० प्रौ० सं०) और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों (क्षे० इं० का०) में शिक्षक-छात्रों का वर्तमान अनुपात इस प्रकार है :

भा० प्रौ० सं०	1 : 8
क्षे० इं० का०	1 : 10

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में, कक्षा-संख्या कम है और पाठ्यक्रमों तथा वैकल्पिक विषयों की संख्या ज्यादा है तथा स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान पर बल दिया जाता है।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अनुपात उस स्वरूप तथा उन कार्यकलापों के प्रकारों पर निर्भर करता है जो संस्थाओं के दो प्रकारों में एक समान नहीं हैं।

भारत-भूटान सीमा पर वन कटाई

9698. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-भूटान सीमा पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और उन्हें नष्ट किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल-भूटान; असम-भूटान, सिक्किम-भूटान और अरुणाचल-भूटान सीमाओं के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनों की आगे कटाई रोकने हेतु की गई अथवा प्रस्तावित कटाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य

9699. **श्री एम०एम० पल्लम राजू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिकी एककों को अन्तरित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से किये गये उत्पादों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया था;

(ग) गैर-सरकारी कम्पनियों को लाइसेंस जारी करने से पहले, सरकारी क्षेत्र के एककों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए औसतन कितना समय (लीड टाइम) दिया गया है;

(घ) क्या सरकार प्रौद्योगिकी अंतरणों के माध्यम से किये गये उत्पादों में से किसी उत्पाद का निर्यात कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 में सार्वजनिक क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को प्रौद्योगिकी के अंतरण के सम्बन्ध में दिए गए अनुमोदनों के बारे में उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयों ने प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए प्राप्त उत्पादों पर अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य उत्पादों में अधिकाधिक मात्रा में स्वदेशी कल-पुर्जे लगाना, उत्पादों को किफायती लागत पर प्राप्त करना तथा क्षेत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर दोषों को दूर करना है।

(ग) सरकार की ऐसी कोई विशिष्ट नीति नहीं है कि आयातित प्रौद्योगिकी को केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आत्मसात करने के बाद ही, उसे निजी क्षेत्र की इकाइयों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। किन्तु, मेनफ्रेम कम्प्यूटर प्रणालियों के मामले में, निजी क्षेत्र की कम्पनियों को लाइसेंस जारी करने से पहले प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (ई० सी० आई० एल०) को दो वर्ष का समय दिया गया था।

(घ) और (ङ). प्रौद्योगिकी का अन्तरण मुख्यत: आयात प्रतिस्थापन के लिए किया गया है। प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए प्राप्त उत्पादों के निर्यात उद्योग को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों (1987, 88, 89) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पक्ष में अनुमोदित प्रौद्योगिकी अन्तरण के समझौते

क्र०सं०	इकाई का नाम	वस्तु	वर्ष 1987 विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
1	2	3	4
(क)	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां**		
1.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० बंगलौर	(क) 100 वाट परा उच्च आवृत्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	मै० माइक्रोवेव लि०, ग्रेट ब्रिटेन
		(ख) अंकीय माइक्रोवेव प्रणालियां (6 तथा 13 गीगाहर्ट्ज)	मै० एन० ई० सी० लि०, जापान
		(ग) वाक परिपथ तथा एकीकृत परिपथ	मै० रिफा एबी, स्वीडन
		(घ) सिरेमिक सम्प्रेषण ट्यूब	मै० एन० ई० सी०, जापान

1	2	3	4
2.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, हैदराबाद	(क) एफ० एन० एन्टेना	मै० सिरा एस० आर० एल० सिस्टम्स, इटली
		(ख) वी०एच०एफ०/ यू०एच०एफ० रिसीवर	मै० रैकल कम्यूनिकेशन
		(ग) आइसोटोप थिकनेस गोज	मै० फैग करगेलफिशेल
3.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, बंगलौर	(क) अंकीय कोएक्सियल उपस्कर	मै० ए० टी० एण्ड टी० फिलिप्स लि०, नीदरलैण्ड्स
		(ख) अंकीय माइक्रोवेव उपस्कर (6 तथा 13 गीगा हर्ट्स)	मै० एन०ई०सी० लि०, जापान
		(ग) अंकीय माइक्रोवेव उपस्कर (2 गीगा हर्ट्ज)	मै० अल्काटैल थॉमसन, फ्रांस
(ख)	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां		
1.	गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी लि०, बड़ौदा	(क) वीडियोटेप रिकार्डर	मै० बी०टी०सए०, पश्चिम जर्मनी
		(ख) ईको कैंसेलर	मै० एम० ए० कॉम० टेलीकॉम लि०, संयुक्त राज्य अमेरिका
		(ग) कम क्षमता वाले कम कीमत के उपग्रह संचार टर्मिनल	मै० स्काइस्विच लि०, संयुक्त राज्य अमेरिका
2.	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स पंजाब लि०, चंडीगढ़	(क) कम्पोजिशन एनालाइजार	मै० ट्रेवर इण्डस्ट्रीज, संयुक्त राज्य अमेरिका
		(ख) मोडेम	मै० रैकल मिलगो, संयुक्त राज्य अमेरिका
3.	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	हार्ड वेराइट	मै० प्रमैट, चैकोस्लोवाकिया
4.	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	मिनी कम्प्यूटर/ माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां	मै० इलेक्ट्रॉनिक्स सर्ज, फ्रांस

1	2	3	4
5.	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, भोपाल	प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियां	मै० फुजित्सु तथा मैसर्स फुरूकावा, जापान
6.	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, चंडीगढ़	डॉट मैट्रिक्स मुद्रक	मै० ऑलिवेटी, इटली
7.	अप्ट्रॉन इण्डिया लि०, लखनऊ	(क) स्थिर केन्द्र संसूचक	मै० सीगर लि०, ग्रेट ब्रिटेन
		(ख) सुपर माइक्रो कम्प्यूटर	मै० कन्वर्जेन्ट टैक० इनकारपोरेटिड
8.	वेबैल इलेक्ट्रो सिरेमिक लि०, कलकत्ता	सॉफ्ट फेराइट	मै० यूनिट्रा पौल्फर, पोलैण्ड
	वर्ष 1988		
(क)	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां**		
1.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	प्रकाशिक तंतु केबल	मै० इनकेटी इलेक्ट्रानिक्स, डेनमार्क
2.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, बंगलौर	प्रकाशिक तंतु संचार उपस्कर	मै० एनकेटी इलेक्ट्रानिक्स, डेनमार्क
3.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, हैदराबाद	(क) बिन्दु से बहुबिन्दु तथा बिन्दु प्रति बिन्दु संचार उपस्कर	मै० हैरिस फरिनॉन लि०, कनाडा
		(ख) साइबर-930 कम्प्यूटर प्रणाली	
4.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०, बंगलौर	मिनी मैग्नेट्रान	मै० एम०ओ० वैल्यू कं० लि०, ग्रेट ब्रिटेन
5.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा	(क) अबाधित विद्युत आपूर्ति	मै० फुजी इलेक्ट्रिक कं०, जापान
		(ख) माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित रिकार्डर तथा नियंत्रक	मै० केन्ट इंडस्ट्रीज लि०, ग्रेट ब्रिटेन
		(ग) रेलवे संकेतन प्रणालियां	मै० क्योसन इलेक्ट्रिक कं०, जापान

1	2	3	4
		(घ) वितरित अंकीय नियंत्रण प्रणालियां	मै० टोशिबा कारपोरेशन, जापान
6.	सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि०, मोहाली	एच०सी०एम०ओ०एस० सिरीज युक्तियां	मै० एलकैप, हांगकांग
(ख)	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां		
1.	गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रानिकी लि०, बड़ौदा	(क) परा उच्च आवृत्ति बिन्दु प्रति बिन्दु तथा बिन्दु से बहु बिन्दु संचार उपस्कर	मै० गैंजर एसोसिएट्स इन्कॉर्पोरेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका
		(ख) दूरी परिमान उपस्कर	मै० ए०डब्ल्यू०ए० आस्ट्रेलिया
		(ग) ओमेगा वायुदिशा सूचक प्रणाली	मै० वैशाला, फिनलैंड
2.	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, चंडीगढ़	इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर	मै० हास्लर लि०, स्विट्जरलैंड
3.	वेबैल इलेक्ट्रानिकी तथा संचार लि०, कलकत्ता	इलेक्ट्रानिक लाइन	मै० स्फेलर लि०, स्विट्जरलैंड
4.	पश्चिम बंगाल फिलामेंट्स एण्ड लैम्प्स लि०, कलकत्ता	(क) 18/23 मोगा हर्ट्ज माइक्रोवेव संचार प्रणालियां	मै० डिजिटल माइक्रोवेव कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
		(ख) ड्राप-इनसर्ट मल्टीप्लेक्स उपस्कर	मै० ए० ई० जी० बेली इन्कार्पोरेटिड, कनाडा
5.	कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम, बंगलौर	तार विहीन टेलीफोन	मै० एल्कॉम कारपोरेशन, जापान
	वर्ष 1989		
(क)	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां		
1.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, हैदराबाद	(क) माइक्रोवेव एन्टेना	मै० कबेल मेटल, पश्चिम जर्मनी
		(ख) इलेक्ट्रानिक ट्यूनर	मै० सोम्यो इलेक्ट्रिक्स कं० लि०, जापान

1	2	3	4
2.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, बंगलौर	अंकीय माइक्रोवेव प्रणालियां (7 गीगा हर्ट्ज)	मैं० एन०ई०सी० लि०, जापान
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०, बंगलौर	(क) विद्युत ट्रांजिस्टर	मैं० डिगेट्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
		(ख) एकीकृत परिपथ	मैं० आर० सी० ए०/जी० ई०, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	इंस्ट्रुमेंटेशन लि०, कोटा	टैंक स्तर मापन उपस्कर	मैं० टोकियो कीसो कं० लि०, जापान
(ख)	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां		
1.	गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रानिकी लि०, बड़ोदा	(क) परा उच्च आवृत्ति संचार उपस्कर	मैं० ए० डब्ल्यू० ए० लि०, आस्ट्रेलिया
		(ख) संश्लेषित एच०एफ० रिसीवर	मैं० हेगनक, जर्मन, संघीय गणराज्य
		(ग) टी०वी० डिमोल्डर	मैं० बार्की वीडियो एण्ड कम्यूनिकेशन्स, बेल्जियम
2.	पंजाब संचार लि०, मोहाली	अंकीय माइक्रोवेव प्रणालियां	मैं० अल्काटेल थॉमसन, फ्रांस
3.	केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	जहाजों के लिए इलेक्ट्रानिक नियंत्रण	मैं० ब्राउन ब्रदर्स एण्ड कं० लि०,
4.	इलेक्ट्रानिक सिस्टम्स पंजाब लि०, चंडीगढ़	मिनीकम्प्यूटर/माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां	मैं० हैरिस कम्यूनिकेशन संयुक्त राज्य अमेरिका
5.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, बम्बई	नौवहन तथा टैक्टिकल प्लाटिंग टेबल	मैं० डिफेन्स इक्विपमैंट एण्ड सिस्टम्स, ग्रेट ब्रिटेन
6.	पंजाब अंकीय औद्योगिक प्रणाली लि०, मोहाली	सबस्क्राइबर कैरियर सिस्टम्स	मैं० एस०टी०सी० टैलीकॉम, ग्रेट ब्रिटेन
7.	पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिक उद्योग विकास निगम, कलकत्ता	तंतु प्रकाशिक उपकरण	मैं० एप्लाइड फाइबर ऑप्टिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका

फर, खाल आदि के लिए मारे गये जंगली जानवर

9700. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान फर, खाल आदि के लिए जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर वध करने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जंगली जानवरों के वध को रोकने के लिए और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान दुर्लभ प्रजाति के अनुमानतः कितने वन्यजीव मारे गए ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन

9701. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा किए गए मुख्य अध्ययनों/अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान की वर्ष 1989-90 की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महासागर विज्ञान में अनुसंधान के लिए लक्षद्वीप और केरल में कोई यूनिट स्थापित किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एन०आई०ओ), गोवा द्वारा शुरू किए गए नवीनतम प्रमुख अध्ययन/अनुसंधान अन्टार्कटिक जलों के समुद्र-विज्ञानी अध्ययनों, बहुधात्विक माड्यूलों के लिए सर्वेक्षण और निष्कर्षण तथा भारत के एक्सक्ल्यूसिव इकोनामिक जोन (ई०ई०सी०) के स्रोतों व अन्य पैरामीटरों की मैपिंग (मान चित्रण) के क्षेत्रों में रहे हैं।

(ख) वर्ष 1989-90 की इस संस्थान की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(1) सेन्ट्रल इण्डियन ओशन (मध्य हिन्द महासागर) से बहुधात्विक माड्यूलों के निष्कर्षण से सम्बन्धित कार्य का जारी रहना;

(2) अन्टार्कटिक अभियानों में सतत् भागीदारी;

(3) ग्रीष्म-मानसून के सम्बन्ध में हिन्द महासागर के वाष्पन अभिलक्षणों का अन्वेषण;

(4) हवा, तापमान तथा आर्द्रता की ऊर्ध्वाधर संरचनाओं की भविष्यवाणी सुनिश्चित करने के लिए समुद्री वायुमंडलीय परिसीमा स्तर के विमीय प्रतिरूप का विकास;

(5) इन्सेट-1 बी, द इन्डियन डेली वेदर रिपोर्ट से आंकड़ों का उपयोग करके वर्ष 1987 की ग्रीष्म मानसून ऋतु में अरब सागर के ऊपर जल वाष्पन फलक्स अपसरण और भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के किनारे-किनारे मानसून वर्षा के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित किए गए।

(6) भारत के तटीय समुद्री क्षेत्रों से पृष्ठीय तलछटों में कार्बोक्लोरीन नाशकमारों के अवशेषों का अध्ययन किया गया और उनके मानचित्र बनाए गये।

(7) अरब सागर में फलक्सों के निवेश (इनपुट) और बहिर्वेश (आउट पुट) के आधार पर कार्बन और नाइट्रोजन बजटों की संगणना की जा चुकी है।

(8) बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम को इलेक्ट्रानिक बैथिथर्मोग्राफ की तकनीकी जानकारी का विमोचन।

(ग) और (घ). वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करते हुए लक्षद्वीप के चारों ओर महासागर विकास के क्षेत्र में अनुसन्धान किया जा रहा है। एन०आई०ओ० का एक क्षेत्रीय केन्द्र कोच्चि (केरल) में है, अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान (आई०आई०ओ०ई०) के भारतीय कार्यक्रम के भाग के रूप में हिन्द महासागर जैव केन्द्र की अनुसन्धान गतिविधियों के लिए 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में, 1966 में यह एन०आई०ओ० का एकक बन गया। लक्षद्वीप में कोई एकक स्थापित नहीं है, न ही केरल या लक्षद्वीप में, संप्रति, नये एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ह्वेल, डाल्फिन मछलियों के सम्बन्ध में अध्ययन

9702. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट स्थित सेण्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इन्सटीट्यूट, ने ह्वेल और डाल्फिन मछलियों के परिरक्षण और संरक्षण के बारे में कोई अनुसन्धान किया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का कालीकट में अथवा केरल में किसी अन्य स्थान पर डाल्फिन मछलियों को पालने के लिए एक "एक्यूरियम" स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड का केन्द्रीयकरण

9703. **श्री केसरी लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 से पहले केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के अनुभाग अधिकारियों का ग्रेड केन्द्रीयकृत था;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 अक्तूबर, 1962 तक अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की एक ही वरिष्ठता सूची थी और उसी के आधार पर 1972 तक अवर सचिव के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति दी जाती थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1972 के पश्चात भी अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के अगले उच्च ग्रेड में में पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की अखिल सचिवालय वरिष्ठता सूची के आधार पर ही की जाती थी; और

(घ) क्या इस ग्रेड की कोई समान वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी०एस० एस०) (समूह 'ख' राजपत्रित) का अनुभाग अधिकारी ग्रेड 30.9.62 तक केन्द्रीयकृत था और 1.10 62 से इसे विकेन्द्रीकृत कर दिया गया। चयन ग्रेड, ग्रेड-1 तथा सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड से सम्बन्धित अधिकारियों की 1 अक्तूबर 1962 की स्थिति अनुसार एक सिविल सूची प्रकाशित की गई थी और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में पदोन्नति के लिए, उक्त सिविल सूची में दिए अनुसार, अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड से सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर, चयन सूचियां तैयार की गई थीं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-1 में पदोन्नति और चयन ग्रेड) विनियमावली 1964 के लागू हो जाने पर, सेवा के ग्रेड-1 में पदोन्नति से सम्बन्धित चयन सूचियां, उक्त विनियमावली में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार ही तैयार की गई हैं। इसके विनियम 5 के अनुसार, विभिन्न संवर्गों से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (जिसे पहले चयन ग्रेड कहा जाता था) के ग्रेड-'क' के सभी पात्र अधिकारियों के नामों को उपर्युक्त विनियम में निर्धारित तरीके से एक ही पात्रता सूची दर्शाया जाना होता है।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-1 में पदोन्नति तथा चयन ग्रेड) विनियमावली 1964 के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड से सम्बन्धित अधिकारियों की समान वरिष्ठता सूची तैयार करने तथा रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: इस ग्रेड की कोई समान वरिष्ठता सूची तैयार अथवा प्रकाशित नहीं की गई है।

अरावली पर्वत शृंखलाओं में पत्थरों का उत्खनन

9704. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन दिए गए हैं कि हरियाणा में अरावली पर्वत-शृंखला में पत्थरों के उत्खनन से विध्वंस हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां। दिल्ली पर्वतारोहण संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के गुड़गांव जिले के नुह कस्बे के पास बड़ी मात्रा में पत्थर उत्खनन के कारण अरावली शृंखलाओं के हिस्से में अवक्रमण हो रहा है।

(ख) चूंकि हरियाणा में पत्थर उत्खनन हरियाणा लघु खनिज रियायत नियमावली के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिये राज्य सरकार से मूल्यांकन करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

औषधीय पौधे

9705. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श पर कुछ राज्यों में औषधीय पौधे उगाने का कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में कौन-कौन से पौधे लगाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में औषधीय पौधों के विकास की काफी संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख). औषधीय पौधे लगाने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, लघु वन उत्पाद लगाने के लिए एक स्कीम है जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं। इसके अन्तर्गत उड़ीसा, असम, तमिलनाडु और मणिपुर में औषधीय पौधे लगाने का कार्य शुरू किया गया है। पौधों की प्रजातियों के कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). इस संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है फिर भी, उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 14.80 लाख रुपये के परिव्यय से 1989-90 के दौरान 148 हैक्टेयर में उड़ीसा सरकार द्वारा औषधीय पौधे लगाने का कार्य शुरू किया गया है। 5.00 लाख रुपए के परिव्यय सहित 1990-91 के दौरान 200 हैक्टेयर भूमि पर प्रारम्भिक कार्य को मंजूरी दे दी गई है।

सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसलों का संकलन

9706. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले संकलित कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालयों/विभागों के उपयोग के लिए सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसलों का एक बुलेटिन प्रकाशित करने और न्यायालय/न्यायाधिकरण के फैसलों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले उच्चतम न्यायालय रिपोर्टर, अखिल भारतीय सेवा विधि पत्रिका, प्रशासनिक अधिकरण रिपोर्टर आदि में

नियमित रूप से संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं । ये प्रकाशन, इन फैसलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त फैसलों की प्रतियां संबंधित पक्षों को रजिस्ट्री द्वारा भेजी जाती हैं ।

रेलगाड़ियों में भेजे जा रहे मिलिटरी सामान की रक्षा कर रहे सैनिकों को सुविधाएं

9707. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए रेलगाड़ियों में भेजे जाने वाले मिलिटरी सामान की रक्षा के लिए मिलिट्री कर्मचारी तैनात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में वर्षवार कितने कर्मचारियों को इस प्रकार की ड्यूटी पर लगाया गया और किस-किस प्रकार का सामान रेल द्वारा भेजा गया;

(ग) क्या उनके भोजन और आराम के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां । जिन सैन्य परेषणों (कन्साइनमेंटों) के लिए अधिक सुरक्षा अपेक्षित होती है उनके लिए सैनिक गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में वन संरक्षण और आदिवासी हितों की सुरक्षा

9708. **श्री के० बी० के० देव बर्मन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करते हुए वन संसाधन के संरक्षण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का और इसके संचालन के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का कितना-कितना योगदान होगा; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग). त्रिपुरा राज्य में वनों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) **झूम खेती पर नियंत्रण**—इसमें भूमि विकास, सिंचाई और स्थाई खेती के लिए निवेशों की आपूर्ति के द्वारा विकासात्मक कार्यक्रमों के जरिए झूमियों को स्थाई रूप से बसाने की संकल्पना की गई है । यह स्कीम शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है । वर्ष 1989-90 के लिए इसका परिव्यय 150 लाख रु० था और वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित अनन्तिम परिव्यय 175 लाख रु० है ।

(2) **लघु वन उत्पाद पौधरोपण**—इसका उद्देश्य बांस, बेंत, तिलहन, फलदार-प्रजातियां, औषधीय पौधे आदि जैसे लघु वन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है । यह स्कीम शत-

प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है। वर्ष 1989-90 के दौरान इसके लिए 5.92 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई। वर्ष 1990-91 के लिए अनन्तिम रूप से 10 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(3) **आपरेशन सॉयल वाच**—इस स्कीम का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के राज्यों में अभिनिर्धारित आवाह क्षेत्रों का सुधार करना है। यह स्कीम शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रयोजित है। वर्ष 1989-90 के दौरान इसके लिए 21 लाख रु० की राशि रिलीज की गई। इस कार्यक्रम को समेकित परती भूमि विकास स्कीम में मिला देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 के दौरान अनन्तिम रूप से 40 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

(4) **ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की स्कीम**—यह एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम है इसमें राज्यों को 50 प्रतिशत और केन्द्रशासित प्रदेशों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य ईंधन की लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाना और उसको स्थानीय गरीब लोगों को उनकी बस्तियों के निकट उपलब्ध कराना है। वर्ष 1989-90 के लिए त्रिपुरा को 47.07 लाख रु० रिलीज किए गए। वर्ष 1990-91 के लिए इस स्कीम को ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम में मिला दिया गया है जिसमें वर्ष 1990-91 के लिए 22 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में से त्रिपुरा के लिए प्रस्तावित परिव्यय 22 लाख रु० है।

आदिवासियों को स्थाई रूप से बसाना

9709. **श्री के०वी०के० देव बर्मन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** संरक्षित वनों में रह रहे आदिवासियों के बारे से 30 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अधिनियम को संशोधित करने के विचाराधीन प्रस्ताव का आशय सुरक्षित वन और आरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को स्थायी रूप से बसाना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन के अन्य वास्तविक उद्देश्य क्या हैं तथा इन वनों में आदिवासियों के कितने लोगों को बसाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) वन भूमि पर आदिवासियों को स्थाई तौर पर बसाने के लिए व्यवस्था करने के बारे में भारतीय वन अधिनियम 1927 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम का योजनागत परिव्यय

9710. **श्री वी०एन० रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम को वर्ष 1990-91 की इसकी वार्षिक योजना राशि कम करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीय गोवर्धन) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए 21.23 करोड़ रु0 के परिव्यय के राज्य सरकार के प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

पतकाई क्रिश्चियन कालेज को स्वायत्तशासी कालेज में बदलना

9711. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पतकाई क्रिश्चियन कालेज, नागालैंड, को एक स्वायत्तशासी कालेज में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि उनको पतकाई क्रिश्चयन कालेज, नागालैंड को स्वायत्त स्तर प्रदान करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कालेज/संस्थायें निर्धारित करने के वास्ते अपनाये गये मानदंडों में कालेज/संस्था की शैक्षिक ख्याति तथा पूर्व निष्पादन; इसके शैक्षिक सहपाठ्यचर्या कार्यकलाप; संकाय की शैक्षिक उपलब्धियां, अध्यापकों और छात्रों के चयन की पद्धतियां भौतिक सुविधाएं, संस्थागत प्रबंध वित्तीय संसाधन आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त जिन कालेजों की अच्छी ख्याति है और क्षमता तथा उदीयमान दिखते हैं, वे भी स्वायत्त स्तर के लिए पात्र हैं।

योजना-भिन्न बजट सहायता पर सरकारी क्षेत्र की निर्भरता

9712. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को सरकारी-क्षेत्र के उद्यमों के योजना-भिन्न बजट सहायता पर निरंतर रूप से निर्भर रहने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की उक्त सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीय गोवर्धन) : (क) और (ख). सरकार को गैर-योजनागत बजटीय सहायता पर निरन्तर निर्भरता की जानकारी है। उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबन्ध पद्धति, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि जैसे विभिन्न उपायों के द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता एवं लाभकारिता में वृद्धि कर ऐसी निर्भरता को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा योजना

9713. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा योजना के अन्तर्गत कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया;

(ख) इनमें से केरल से वर्ष-वार कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया;

(घ) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) से (ङ). संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में एन०सी०ई०आर० टी० द्वारा वर्ष 1963 में 10 छात्र-वृत्तियों वाली एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा योजना आरम्भ की गई थी। यह वर्ष 1964 में सम्पूर्ण देश में लागू की गई थी और छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाकर 350 कर दी गई। प्रारम्भ में इस योजना का उद्देश्य केवल मूल विज्ञान में ही प्रतिभा का पता लगाना था। 1977 में इस योजना का नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना रखा गया और इसे सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य सहित), इंजीनियरी और औषध विज्ञान के क्षेत्रों में बढ़ाया गया जबकि अन्य विषयों में छात्रवृत्तियां पी०एच०डी० स्तर तक दी जाती हैं किन्तु इंजीनियरी और औषध विज्ञान में ये डिग्री के द्वितीय स्तर तक हो जाती है। यह संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है और 1980 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित-जनजाति के लिए 50 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की गई। 1983 में इसकी संख्या बढ़ाकर 750 कर दी गई थी (680 सामान्य श्रेणी 70 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए)। यह योजना अभी चल रही है और शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा चलाई जा रही है। विस्तृत संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

[हिन्दी]

9714. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन प्रमुख और लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो स्वीकृति हेतु योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) 5.0 करोड़ रु० और उससे ऊपर की लागत की सभी राज्य परियोजनाओं को पहले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत विभाग से और 5.0 करोड़ रुपये से कम लागत की परियोजनाओं को राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होती है। मध्य प्रदेश की कोई स्वीकृत जल-विद्युत परियोजना निवेश अनुमोदन के लिए योजना आयोग में लंबित नहीं है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात खनिज विकास निगम का विस्तार

[अनुवाद]

9715. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कच्छ (गुजरात) में पनान्धरों में गुजरात खनिज विकास निगम के विस्तार को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) कच्छ, गुजरात में पनांधरों लिग्नाइट परियोजना के विस्तार की स्कीम को उसी रूप में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि परियोजना को गुजरात खनिज विकास निगम (राज्य सरकार का एक उपक्रम) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। इसे गुजरात राज्य की सातवीं योजना के निवेश प्रस्तावों में शामिल किया गया था जिसे योजना आयोग द्वारा राज्य के कुल योजना आवटनों के अंश के रूप में अनुमोदित किया गया था।

(ख) इस परियोजना से 8 से 16 लाख टन प्रतिवर्ष लिग्नाइट उत्पादन क्षमता विस्तार की परिकल्पना की गई थी। परियोजना पर आई कुल लागत अर्थात् 99.3 करोड़ रुपये में से 25.25 करोड़ रुपया गुजरात राज्य सरकार द्वारा और 15.24 करोड़ रु० गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में 20-सूत्री कार्यक्रम

9716. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम समीक्षा के अनुसार केरल में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यक्रम में प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). वर्ष 1989-90 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चयन की गई 25 मदों, जिनका प्रबोधन इस मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है, के कार्यान्वयन में केरल द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस अवधि के दौरान राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में केरल ने 15वां स्थान प्राप्त किया है।

विवरण

केरल वर्ष 1989-90 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

सूत्र संख्या	मद का नाम	इकाई	लक्ष्य 89-90	उपलब्धि 89-90	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
01क.	ए. ग्रा०वि० कार्यक्रम	परिवार	728443	72698	100
01ख.	जवाहर रो० योजना	श्रमदिवस	21418000	13632999	64
01 ग.	लघु उद्योग इकाइयां	सं०	8000	8310	104
05.	फालतू भूमि का विवरण	एकड़	5000	705	14
07	सुलझायी गई पेयजल की समस्या (गांव)	सं०	285	357	125
08 क.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं०	25	25	100
08 ख.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	सं०	241	164	60
08 ग.	उपकेन्द्र	सं०	720	720	100
08 घ.	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो तथा बीसीजी)	सं०	515000	643956	125
09 क.	परि० नियो० नसबंदी	सं०	180000	17564	95
09 ख.	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी तथा ओ०पी०	सं०	57222	59389	104
09 ग.	ए० बा० वि० सेवा खंड परिचालन—(संचयी)	सं०	75	77	103
09 घ.	आंगनवाड़ी (संचयी)	सं०	8784	8215	102
11 क.	सहायता प्राप्त अनु० जा० परिवार	सं०	50000	51958	104
11 ख.	सहायता प्राप्त अनु० जन० जा० परिवार	सं०	4500	9870	219
14 क.	आवंटित आवास स्थल	सं०	5000	3351	67
14 ख.	दी गई निर्माण सहायता	सं०	21500	8376	39

1	2	3	4	5	6
14 ग.	अनु० जा०/अनु० जन० जा० के लिए इंदिरा आवास यो०	सं०	3093	13431	434
14 घ.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान	सं०	1010	5672	56
14 ङ.	अल्पआय वर्ग को मकान	सं०	2500	4727	189
15.	गंदी बस्तियों का सुधार (जन सं०)	सं०	25000	19336	77
16.	वृक्षारोपण	सं०	50000000	45487000	91
19 ख.	शक्ति चालित पम्पसेट	सं०	10000	15025	150
10 ग.	सुधरे चूल्हे	सं०	50000	65784	132
19 घ.	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	सं०	2500	2503	100

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के विकास हेतु कार्य दल

[हिन्दी]

9717. **श्री राम सजीवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड और पूर्वी क्षेत्र का तेजी से विकास करने के लिए योजना आयोग के अन्तर्गत किसी कार्यदल का गठन किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यदल ने इन क्षेत्रों की आसन्न समस्याओं के समाधान हेतु कोई अन्तरिम सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ). राज्य सरकार से, एक कार्यदल गठित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। उक्त सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

[अनुवाद]

9718. **डा० किरोड़ी लाल मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड-चार से ग्रेड-तीन में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के कितने उम्मीदवारों को ग्रेड-चार से ग्रेड-तीन में पदोन्नत किया गया है और आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित उम्मीदवारों को पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान ग्रेड-तीन में नियुक्ति के लिए तैयार किए गए पैनल में अभी कितने उम्मीदवार बाकी हैं और सांख्यिकीय विभाग के मौजूदा पैनल के सभी उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रेड-तीन में आरक्षित पदों पर योग्य उम्मीदवार नियुक्त करके आरक्षण सम्बन्धी पिछली बकाया कमी को पूरा कर दिया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (घ). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-चार से ग्रेड-तीन की पदोन्नतियों में आरक्षण दिया गया था, इसका आदेश 1989 में दिया गया था। इसमें पिछला बकाया भी शामिल है।

ग्रेड-चार से ग्रेड-तीन में पदोन्नति सम्बन्धी 1989 पैनल में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित 6 अधिकारी तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित 2 अधिकारी शामिल हैं। इनमें से, अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित 2 अधिकारियों तथा सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित 48 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए। शेष अधिकारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सका, पहले ने मई 1936 में परिचालित वरिष्ठता सूची के संशोधन का निदेश दिया तथा दूसरे ने इस मामले में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का निदेश दिया।

उत्तर बंगाल में केन्द्रीय परियोजनाएं

9719. **श्री ए०के० राय** : क्या प्रधान मंत्री उत्तर बंगाल में केन्द्रीय निवेश के बारे में 7 मई, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल में केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है और ये परियोजनाएं कब से कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या उत्तर बंगाल आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल के पांचों जिलों को पिछड़ा क्षेत्र माना गया है।

(ग) विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अलावा, वर्ष 1973-74 से ही राज्य की वार्षिक योजना में सड़कों पुलों, जल-निकासी तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए विशेषकर उत्तरी बंगाल के पांच पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैलोशिप

9720. **श्री ए० विजय राघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितने शोध छात्रों को फैलोशिप दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दी गई फैलोशिप का वर्षवार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने तथा और अधिक शोध छात्रों को प्रवेश देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियों की योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। शिक्षावृत्तियां उन उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए वि० अ० आ० द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रत्येक विश्वविद्यालय को शिक्षावृत्तियों का एक निर्धारित कोटा आवंटित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों से इस कोटे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निर्धारित कोटे के विश्वविद्यालय-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आयोग ने सूचित किया है कि निर्धारित कोटे के अलावा, फालतू उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए, जिन्होंने उस वर्ष के लिए राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षावृत्तियां भी प्रदान की जातो हैं।

(ग) और (घ). वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छात्रवृत्ति की संख्या और राशि बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	विश्वविद्यालय/संस्थानों के नाम	प्रत्येक वर्ष का निश्चित कोटा
1	2	3
1.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	54
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	90
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	78
4.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	90
5.	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	46
6.	अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास	10
7.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	13
8.	अवध विश्वविद्यालय	शून्य

1	2	3
9.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	110
10.	बंगलौर विश्वविद्यालय	42
11.	बरहमपुर विश्वविद्यालय बरहमपुर	16
12.	भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	19
13.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	6
14.	भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल	16
15.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	15
16.	भारतीदसन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली	20
17.	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	25
18.	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	74
19.	बर्द्धमान विश्वविद्यालय, बर्द्धमान	49
20.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	शून्य
21.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	120
22.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	16
23.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर	शून्य
24.	कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन	16
25.	डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय, डिबरूगढ़	25
26.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	110
27.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहटी	43
28.	गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)	15
29.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	25
30.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	46
31.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुलबर्ग जामनगर	शून्य
32.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग	12
33.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	16
34.	जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	शून्य

1	2	3
35.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	16
36.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	50
37.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	शून्य
38.	इन्दौर विश्वविद्यालय, (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय) इन्दौर	32
39.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागौर	10
40.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	24
41.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	33
42.	जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) जबलपुर	43
43.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	37
44.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	शून्य
45.	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर	25
45.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	15
47.	के०एस० दरभंगा विश्वविद्यालय, दरभंगा	14
48.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	25
49.	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	25
50.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवार	58
51.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	24
52.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	66
53.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	16
54.	कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल	25
55.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	34
56.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	74
57.	एल०एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	15
58.	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	110
56.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	38
60.	मगध विश्वविद्यालय, बौद्ध गया	21

1	2	3
61.	एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा	63
62.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	15
63.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	5
64.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	15
65.	मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	40
66.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	शून्य
67.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	35
68.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडकनाल	2
69.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	38
70.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	70
71.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	52
72.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गूंटूर	15
73.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	25
74.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	19
75.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	70
76.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	90
77.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,	शून्य
78.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	62
79.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	10
80.	पूना विश्वविद्यालय, पूना	62
81.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	33
82.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	90
83.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, रांची	16
84.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	34
85.	रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	24
86.	रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	4

1	2	3
87.	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	37
88.	संबलपुर विश्वविद्यालय, ज्योतिविहार, संबलपुर	16
89.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	16
90.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर	46
91.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	21
92.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	38
93.	एस०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई	16
94.	डा०एच०एस० गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	72
95.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	16
96.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	—
97.	श्री कृष्णदेवाचार्य विश्वविद्यालय, तिरुपति	15
98.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	50
99.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर	—
100.	तेलगू विश्वविद्यालय	—
101.	उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर	38
102.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	—
103.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	40
104.	विश्वभारती शान्ति निकेतन	32
105.	बिड़ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी	40
106.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	16
107.	गांधी ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	—
108.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	19
109.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	13
110.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	50
111.	भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	16
112.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	16

1	2	3
113.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई	19
114.	पी०जी० केन्द्र, अगरतला	7
115.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा	10
116.	बनस्थली विश्वविद्यालय	—
117.	आईआईटी, खड़गपुर	—
118.	भारतीय कृषि एवं विज्ञान संघ, जादवपुर	—
119.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दिल्ली	—
120.	पी०जी०आई०एम०ई०आर०, चंडीगढ़	—
121.	सी०एफ०टी०आर०आई०, मैसूर	—
122.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	—
123.	टी०बी० अनुसंधान केन्द्र, मद्रास	—
124.	राष्ट्रीय विशाणु विज्ञान संस्थान, पुणे	—
125.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	—
126.	श्री सी०टी० चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	—
127.	क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर	—
128.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास	—
129.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई	—
130.	आई०एस०आई०, दिल्ली	—
131.	भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, इजतनगर	—
132.	आई०आई०टी०, मद्रास	—
133.	कैंसर संस्थान, मद्रास	—
134.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे	—
135.	भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता	—
136.	आई०एस०आई०, कलकत्ता	—
137.	इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पक्कम	—
138.	एन०आई०एच०ए०एम०ए०एन०एस०, बंगलौर	—
139.	राष्ट्रीय हैजा एवं इनरटिक रोग संस्थान, कलकत्ता	—

1	2	3
140.	गुहा जीवभौतिकी संस्थान, कलकत्ता	—
141.	आई०एस०आई, कलकत्ता	—
142.	बोस संस्थान, कलकत्ता	—
143.	भारतीय रसायन जीवविज्ञान संस्थान, कलकत्ता	—
		कुल 3595

विकास दर और रोजगार के अवसर

9721. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर तथा रोजगार के अवसरों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ). सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान जी० डी० पी० की औसत वार्षिक संवृद्धि दर 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। सातवीं योजना के दौरान रोजगार सृजन का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार तथा बेरोजगारों के बारे में किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करने तथा भविष्य की सम्भाव्यता का जायजा लेने के कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के अंग के रूप में किया गया। इस कार्य के अनुसार रोजगार संवृद्धि का अन्तिम रूप से 1983 से 1987-88 के दौरान 1.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष आंकलन किया गया। रोजगार में वृद्धि करने के लिए इस कार्य के निष्कर्षों को आठवीं योजना तैयार करते समय उपयोग किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिव्यय

9722. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश योग्य सभी संसाधनों का आधा भाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटित करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई प्रयास आरंभ किया है कि सरकारी क्षेत्र में कितने परिव्यय से ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने केन्द्र और राज्यों के लिए उनके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्रों के योजना परिव्ययों का अनुपात निर्धारित करने के लिए क्या आधार तैयार किया है; और

(ग) योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था में ग्रामीण/शहरी पूंजी निवेश के वितरण के सम्बन्ध में सांख्यिकी आधार किस प्रकार तैयार किया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मूल्यांकन में अपनाये गये दृष्टिकोण का आशय केन्द्र तथा राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय कार्यक्रमों की पहचान करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लोगों की उत्पादन प्रक्रिया या खपत को सीधे समर्थन प्रदान करते हैं। ग्रामीण संघटक का निर्धारण करने की दृष्टि से विभिन्न ग्रामीण विकास शीर्षों और उपशीर्षों के अन्तर्गत कार्यक्रमों को दो वर्गों में रखा जाता है; अर्थात

(1) अवस्थित और लाभ के आधार पर सीधे अभिनिर्धारण योग्य ग्रामीण परिव्यय, और

(2) अवस्थिति और/अथवा लाभ के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को अभिभाजनीय परिव्यय

वर्ग (1) में आने वाले कार्यक्रमों पर परिव्ययों पूर्णतः ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग (2) के कार्यक्रम परिव्यय के ग्रामीण संघटक निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाले इस कार्यक्रम के लाभों के अनुपात में किया गया है। केन्द्र और राज्यों के वार्षिक विकास योजनाएं और मिलने वाले लाभों से सम्बन्धित क्षेत्रकीय सूचना आंकड़ों के मुख्य स्रोत हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को धनराशि का आवंटन

9723. **श्री बासव पुन्नय्या लिंगम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान गांवों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान इस राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना क्षेत्र में कुल परिव्यय क्रमशः 670.29 करोड़ रुपए, 716.32 करोड़ रुपए और 771.12 करोड़ रुपए था । इसके मुकाबले वर्ष 1987-88 में 641.34 करोड़ रुपये और 1988-89 में 787.25 करोड़ रुपए की धनराशि उपयोग में लाई गई । वर्ष 1989-90 के दौरान उपयोग में लाई गई धनराशि के ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) भारत सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में कोई पुनरीक्षा नहीं की जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च). आंध्र प्रदेश को वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक योजना के क्षेत्रीय परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रंगीन टेलीविजन का निर्माण करने वाली कम्पनियां

9724. **श्री रामदास सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में रंगीन टेलीविजनों के प्रमुख एक सौ निर्माताओं के नाम और पते क्या क्या हैं और प्रत्येक द्वारा किन-किन ब्रांड नामों का उपयोग किया गया तथा प्रत्येक निर्माता ने रंगीन टेलीविजन के कितने सैट निर्मित किये; और

(ख) क्या उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने वाले किसी संगठन द्वारा रंगीन टेलीविजन सैटों की तुलनात्मक जांच करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो यह जांच का काम कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) रंगीन दूरदर्शन सैटों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के नाम तथा पते और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ब्रांड नाम तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1988 के दौरान प्रत्येक इकाई द्वारा विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन सैटों की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1152]

(ख) रंगीन दूरदर्शन सैटों के तुलनात्मक परीक्षण में सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में एक उपभोक्ता संगठन से प्राप्त प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है । भारत में रंगीन दूरदर्शन सैटों का तुलनात्मक परीक्षण आरम्भ करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

विवरण

वर्ष 1989 के दौरान रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माताओं की सूची

क०सं०	पार्टी का नाम	ब्रांड	मात्रा (नगों में)
1	2	3	4
1.	अंटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि० भूपेन्द्र रोड, राजकोट-360001	अटेक	150

1	2	3	4
2.	असम इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० जी० एन० बी० रोड, गुवाहाटी क्लब टी० सी० गर्ल्स हायर सैं० स्कूल के सामने गुवाहाटी-781003	अप्ट्रान	1,836
3.	अटारी (इंडिया) इलेक्ट्रॉनिक्स 3, वुड बर्न पार्क, पहली मंजिल कलकत्ता-700020	अटारी	471
4.	बी० एण्ड बी० इलेक्ट्रॉनिक्स लि० सी-13, सेक्टर-3, नोएडा-201301	हाइटेक	351
5.	बेल्टेक इंडिया लि० ए-65, सेक्टर-5, नोएडा-201301	बेल्टेक	14,139
6.	वेस्टाविजन इलेक्ट्रॉनिक्स लि० डी-188, सेक्टर-10, नोएडा-201301	टेक्सला	8,224
7.	वेस्टाविजन इलेक्ट्रॉनिक्स लि० पटना	टेक्सला	1,478
8.	बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि० बी-58, साइट-4, इंडस्ट्रीयल एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010	बीनाटोन	15,219
9.	बी०पी०एल० इंडिया लि० पोस्ट बॉक्स सं० 5194, चर्च स्ट्रीट, बंगलोर 590001	बी०पी०एल० इंडिया	83,394
10.	बी०पी०एल० इंडिया लि० गुड़गांव	बी०पी०एल० इंडिया	22,492
11.	बी०पी०एल० इंडिया लि० बी०पी०एल० वर्क्स, पालघाट-678C07	बी०पी०एल० इंडिया	27,326
12.	बुश इंडिया लि० पी०ओ० बॉक्स 7961, जेनिथ बिल्डिंग रेसकोर्स रोड, बम्बई-400034	बुश	17,784

1	2	3	4
13.	केलकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लि० बी-23/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली-110052	केलकॉम	4,528
14.	कलकत्ता प्रीमियर टी०वी० प्रा० लि० 30-बी लेक रोड, कलकत्ता-700029	—	1,100
15.	केलन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लि० डी० एस० आई० डी० सी० कॉम्प्लेक्स नं०-1, इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू वजीरपुर, नई दिल्ली-110052	केलन	211
16.	कावेरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि० 302, सुख सागर एन०एस० पत्कर मार्ग, बम्बई	बुश	6,888
17.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज 20/15, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली-110008	—	150
18.	सेन्ट्रल इलेक्टॉनिक्स लि० 4, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद-201010	सी०ई०एल०	900
19.	कॉस्मिक इलेक्ट्रानिक्स 504/2, जी० आई० डी० सी०, मकरपुरा, बड़ोदरा-390010	कॉस्मिक	24
20.	कॉस्मिक रेडियो 23-सी, महाकाली इंडस्ट्रियल स्टेट, महाकाली केव्ज रोड, बम्बई-400093	—	158
21.	क्रिएटिव इलेक्ट्रानिक्स (क्रिएटिव हैण्डीक्राफ्ट्स) सी-45 सेक्टर-10, नोएडा-201301	च्वाइस	5,036
22.	दामोदर इलेक्ट्रानिक्स एंड कन्ट्रोल्स वैशाली, 237/4, कुरीकेड रोड कोचीन-68312	न्यू चीप	307

1	2	3	4
23.	डेल्टा, हेप्लिन लि० सी-120, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110028	डेल्टा	417
24.	डायमंड इलेक्ट्रानिक्स डी-38/18, थर्ड क्रास स्ट्रीट महाराजा नगर, त्रिरुनेलवेली-627011		25
25.	डायना टेलीविजन प्राईवेट लि० 1, न्यू पालीसिया इंदौर-452001		63
26.	डिस्ट्री इलेक्ट्रानिक्स लि० ए/83, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, नई दिल्ली-110020	टेली	1,416
27.	डोमबेल इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि० कोचीन	वीडियो कॉन	2,914
28.	डोमबेल इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि० नोएडा	वीडियो कॉन	45,903
29.	डायनाविजन लि० डॉ० वी० एस० इंस्ट्रोनिक्स एस्टेट कोटीवक्कम् विलेज, त्रिवंमयूर मद्रास-6	डायनोरा	29,697
30.	ई० सी० पी० लि० 5 माइलस्टोन मुरादाबाद रोड काशीपुर	सलोरा	4,461
31.	ई० सी० पी० लि० डी-13/4, ओखला, इंडस्ट्रि० एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020	सलोरा	21,348
32.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, इंडस्ट्रि० डेवलपमेंट एरिया चेरापल्ली, हैदराबाद-500762	ई०सी०आई०एल	21,010

1	2	3	4
33.	एम्पायर ट्रेडिंग कम्पनी 3778, अवतार भवन नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-110002	एम्पायर	26
34.	एन्फील्ड इलेक्ट्रानिक्स लि० पोस्ट बाक्स नं० 802, 4, वेंक्टेश्वर नगर, 11 स्ट्रीट, अडयार, मद्रास-600020	एन्फील्ड	1,214
35.	एक्युासन्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० 28/421, आयुर्वेद होस्पीटल रोड नये बस स्टैंड के पास पोस्ट बॉक्स 520, त्रिचूर-680020	टेस्ट्रोनिक्स	4,361
36.	फारवर्ड टेलीविजन्स लि० 86 सी, मित्तल कोर्ट, नरीमान प्वाइंट, बम्बई-400021	मिझकाडी	2,850
37.	फ्यूजवेस इलेक्ट्रो० लि० 16, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली-110065	हॉट लाइन	12,949
38.	गोवा इलेक्ट्रानिक्स लि० मपुसा इंडिस्ट्रयल एस्टेट मपुसा-403525	जी०ई०एल०/ ई०सी	1,091
39.	ग्रिप स्टिम्स प्रा० लि० प्लाट 00423/1, एन० आर० स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नारोदा रोड अहमदाबाद-380025		12,448
40.	हेंवेज इलेक्ट्रानिक्स लि० टी० बी० प्रोजेक्ट, इंडि० डेव० एरिया, काम्ञी कोड, वेस्ट, पालघाट-678623	हेंवेज	2,395

1	2	3	4
41.	हिमविजन इलेक्ट्रानिक्स बेलीवीव, विलेज, कामली एडज्वानिंग सेक्टर-1, सोलन		794
42.	हॉलीहाक इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि० कलकत्ता	वीडियोकॉन	11,884
43.	इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज 49/2, गुरजायपाल नगर, जालंधर	डिप्लोमेट	50
44.	इनफिनी इलेक्ट्रानिक्स 4-1-1236/5, किंग कोटी रोड हैदराबाद-500001	ई०टी० एण्ड टी०	42
45.	इपीट्रान टाइम्स लि० 123, मंचेश्वर इंडि० एस्टेट भुवनेश्वर-751010	इपीट्रान	330
46.	जॉली टेलीविजनास प्रा० लि० पोस्ट बॉक्स 53, विलेज पंवारिया ए० आई० आर० ट्रांसमीटर के पास रामपुरा-244901	स्टार ट्रेक	6,430
47.	ज्यूपीटर रेडियोज (रजि०) विलेज पावा, जी० टी० रोड लुधियाना	टेक्सला	20,278
48.	ज्यूपीटर रेडियोज (रजि०) सी/46, ओखला इंडि० एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020	टेक्सला	9,895
49.	कल्याणी शॉप इंडिया लि० जी०ए०टी० नं०953/4, कोरेगांव भीमा तालुका सिरूर पूणे-412207	ओप्टोनिका	39,307
50.	केजारीवाल इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० पी-118, सी० आई० टी० रोड, स्कीम बी० आई० एम०, कलकत्ता-700054	भास्कर	4,487

1	2	3	4
51.	कैयोनिक्स वीडियो लि० 30, रेसक्रोस रोड, एम्लिन हेवन, बंगलौर-560001	क्योनिक	1,652
52.	केरला स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव० कारपो० लि० केल्ट्रोन हाउस, वेलयमबलम, त्रिवेन्द्रम-695037	केल्ट्रॉन	5,230
53.	किंग्स्टन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० ए-21, सेक्टर-9, नोएडा-201301	किंग्स्टॉन	132
54.	किलच इलेक्ट्रानिक 104, रायापेटा हाई रोड मद्रास-600014		23
55.	कोणार्क टेलीविजन लि० बी-1, 2 एण्ड 3, इंडि० स्टेट भुवनेश्वर-751010	कोणार्क	8,492
56.	कुमायूं टेलीविजन प्रा० लि० टेलीट्रोनिक्स इंडि० स्टेट भीमताल-263136	अप्ट्रॉन	813
57.	लारी इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० एफ-30, सेक्टर-6, नोएडा गाजियाबाद-201301	सिल्वाना	24
58.	लोटस टेलीविजन प्रा० लि० 410, अरुण चैम्बर्स, टार्डियो रोड, बम्बई-400034		212
59.	एम० पी० एस० ई० डी० सी० लि० 139, जोन-II, महाराणाप्रताप नगर भोपाल-462011	आप्टेल	3,866
60.	मणीपुर इलेक्ट्रानिक्स डेव० कारपो० लि० डी-14, टाकियलपट इंडि० स्टेट इम्फाल-795001		2,000

1	2	3	4	5
61.	मारवा इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इक्विपमेंट प्रा० लि०, ए-17, डिफेंस कालोनी नई दिल्ली-110024		ओ०ई०एम०	56
62.	मास्टर इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी प्रा० लि० 12, साइट-ए, कौडिक्स गार्डन गोल्फलिंग रोड, त्रिवेन्द्रम-695003			100
63.	मेक (इंडिया) प्रा० लि० कंचनजंगा बिल्डिंग 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001		मेक	2,394
64.	मर्क इलेक्ट्रानिक्स लि० जी-1, एम०आई०डी०सी० महाकाली रोड, बम्बई-400093		ओनिडा	81,812
65.	मीरा इलेक्ट्रानिक्स (नासिक) प्रा० लि०, ई-12, एम०आई०डी०सी० अमदम, नासिक-422010		मीराट्रोन	265
66.	मॉड्रन टेलीविजन कम्पनी प्रा० लि०, 9, गनेश चन्द्रा एवेन्यू, कलकत्ता-700013			49
67.	मोनिका इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, जी०ए०-2, बी-1, ई० एक्स० टी० एन०, मोहन कापरेटिव आई० एण्ड डी० एस्टेट, बदरपुर, नई दिल्ली		ओनिडा	46,324
68.	एम० वी० एच० इंडस्ट्रीज (इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन) धनधुसां रोड जनकपुरी सोसाइटी के पीछे जूनगढ़-362001		अर्चना	2
69.	नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक्स कं० लि०, महाकाली रोड, चाकला अंधेरी (एस्टेट), बम्बई-400093		नेल्को	30,449

1	2	3	4
70.	न्यू वीडियो लिमिटेड 3, जमरूधपुर, कम्यूनिटी सेन्टर कैलाश कालोनी एक्टेंशन, नई दिल्ली-110048	एन०वी०एल०	9
71.	एन० आई० सी० सोपी 5, नार्थ मैदा स्ट्रीट मेलापुरी, मद्रास-600004		2,216
72.	नोहन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० 209/210 आरकेडियानीरमान प्वाइंट, बम्बई-400021	सोनी	3,271
73.	एन०आई०पी०ए० इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, 66/2, दमदम रोड, कलकत्ता-700074	एन०आई०पी०ए०जेड०	6
74.	एन०टी०टी०एफ० इलेक्ट्रानिक्स सेन्टर पोस्ट बॉक्स 25, 23/24, फेज II, प्रिया इंडस्ट्रीयल एरिया, बंगलौर-560058		301
75.	ओल्ड विलेज इंडस्ट्रीज ए-35/2 साइट, आई०एन०डी०एल० एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद		2
76.	ओरियन्ट विजन लि० 139, कोडाबाकॉम हाई रोड, मद्रास-600034	ओरियन्ट	9,206
77.	ओरिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लि० 209/210, आरकेडिया, नीरमान प्वाइंट, बम्बई-400021	सोनी	2,732
78.	पैनोरामा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, 8/1-बी, चौरंगी लेन, कलकत्ता-700016	पैनोरामा	1,742
79.	पिको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, 7, जस्टीस चन्द्रा मेदत रोड, कलकत्ता-700020	फिलिप्स	14,600

1	2	3	4
80.	पिकोन इलैक्ट्रानिक्स लि०, 3-सी, इलेक्ट्रानिक्स सेन्टर, 1/1-ए ग्रिसीप स्ट्रीट, कलकत्ता-700072	पिकोन	419
81.	पोलीमेर इंडिया 5/31, आर०ई०डी०डी०आई० पेठी, सेलम-636004		4,500
82.	प्रिस्टीज टेली वीडियो प्रा० लि० 30-जोरा कम्पौण्डस, इन्दौर-452001	सी०एच०एच०ए०वी०आई०	948
83.	क्वाइसर इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० बी-20, 21, नन्दज्योति आई०एन०डी० एस्टेट अंधेरी, कुरला रोड बम्बई-400072	ब्लू डेमी	3,912
84.	आर०ए०-०विलट्रोनिक्स 5, नार्थ मेदा स्ट्रीट मेलापुरी, मद्रास-600004	शक्ति	2,216
85.	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स लि० टी०वी० प्रोजेक्ट, एफ०ई०/2, मेलाविया इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302017	रीको	331
86.	राजू इंजीनियर्स सी-1 एंड सी-2 आई०एन०डी०एल० एस्टेट, बेदिकी रोड, चोदागढ़, फतेहपुर		129
87.	रेली इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड पोस्ट बाक्स नं० 2219, 77 राजाजी नगर इंडस्ट्रीयल सुबूरब, यशवन्तपुर, बंगलौर-5	बुश	32,144
88.	रीना इलेक्ट्रानिक्स 43, हिल्स रोड, कालीपाक, मद्रास-600010	रीमा	74

1	2	3	4
89.	रूचीका इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड 35, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002	रूचीका	1,731
90.	शका इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड जी ए-1, बी-1 ई०एक्स०टी०एन० मोहन सी०ओ०-ओ०पी० आई० एन० डी० एस्टेट एस० एस० सूरी मार्ग, बदरपुर, नई दिल्ली-110044	ओनिडा	17,832
91.	शिवक इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० एफ-166, मालचा मार्ग, नई दिल्ली-110021	ओनिडा	19,632
92.	शेरस इलेक्ट्रानिक्स लि० 123-ए/3, लेटिस ब्रिज रोड, प्रथम तल तिरुमनमयूर, मद्रास-600041	शेरस/ एल०सी०ओ०टी०	2,026
93.	श्री रामाकृष्णा इलेक्ट्रानिक्स भोपाल	वीडियोकॉन	11,372
94.	सिद्धकिल टेलीविजन लि० 12/100, कालीकट रोड, पोस्ट बाक्स नं० 31, मनजारी-676121	केल्ट्रोन	259
95.	सीजिमा इंजीनियर्स ए-9/10, ए-ब्लाक, एम० आई० डी० सी० इंडस्ट्रीयल एरिया, (इंजीनियरिंग डिवीजन) पूना	सीजिमा	15
96.	सिनकालरी टेलीविजन प्रा० लि० 5-9-22/1/4/बी एण्ड सी, धमायन्ती चैम्बर्स, रीजू होटल आर०डी०, अदर्श नगर, हैदराबाद-500463	सिक्रोमा	1,585
97.	शिवगंगा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० 26, गोखली हिल स्ट्रीट, शिवगंगा-623560	प्रियादर्शनी	5

1	2	3	4
98.	स्कैन्ट्रान्स प्रा० लि० ग्रांडले सिनेमा बिल्डिंग, कम्यूनिटी सेन्टर न्यू, नई दिल्ली-110065	स्कन्ट्रांस	48
99.	सोलेडरी इंडिया लि० 12, प्रथम मेन रोड, गांधी नगर अघयार, मद्रास-600020	सोलीडेरी	44,109
100.	सोनाडायन टेलीविजन कं० प्रा० लि० 98, एन बी ब्लाक ई, न्यू एलीपोरी, कलकत्ता-700053	सोनाडायन	3,219
101.	सोनोविजन लिमिटेड बी-29, आई०एन०डी०एल० काम्प्लेक्स फेज-II, नोएडा-201301		30
102.	स्टेलार इलेक्ट्रानिक्स कं० प्रा०लि० 8, श्रीनाथ इंडस्ट्रीयल एस्टेट महाकाली कब्जे रोड, अंधेरी(ई), बम्बई-40009	स्टेलार	2,177
103.	सुदर्शन इलेक्ट्रानिक्स एंड टी०वी० लि०, बी-23/24, उद्योग सदन नं० 2, एम०आई०डी०सी० मेरोल आई०एन०डी० एरिया, महाकाली रोड, बम्बई	चीनीविस्टा	3,363
104.	सुदर्शन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० सर्किल एच०एस०ई०, किंगस सर्किल, बम्बई-400019		134
105.	सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्रा० लि० ए-289, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-I, नई दिल्ली-110020		50,000

1	2	3	4
106.	सूर्या उद्योग लि० पोस्ट बाक्स नं० 3, जी०पी०ओ०, भुवनेश्वर-761001	सूर्या	227
107.	सिनलेन फब्रेक्स लि० हैदराबाद	वीडियोकॉन	15,339
108.	सिनलेन फब्रेक्स लि० मद्रास	वीडियोकॉन	12,101
109.	टेलीराम (इंडिया) लि० 11, सुटरकिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-600035	टेलीराम	2,902
110.	टेलीविजय प्रा० लि० 1, नन्दराम एक्सटेंशन, प्रथम स्ट्रीट चैम्बर्स रोड, मद्रास-600035	टेलीविजय	55
111.	टेलीविजन एंड कम्पूनेंटस प्रा० लि० प्लाट नं० 57, जी०आई०डी०सी०, आई०एन०डी० टाउनसिप, नंरौदा-382330	क्राउन	43,043
112.	टेलीस्टार कम्यूनिकेशन सिस्टम्स प्रा० लि०, टेलीस्टार हाउस, थाना, कम्नानोरी-000012	टेलीस्टार	1,122
113.	टेरेस इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० ई/119, जी०आई०डी०सी० इलेक्ट्रानिक्स एस्टेट, अहमदाबाद-380028	वीडियोकॉन	22,400
114.	ट्राइडेंट इलेक्ट्रानिक्स 6, मदन स्ट्रीट, कलकत्ता-700072	ट्राइडेंट	60
115.	ट्राइडेंट टेलीविजन प्रा० लि० 96/4, ग्रिन राय रोड एस्टेट, कलकत्ता-700041	ट्राइडेन्ट	380

1	2	3	4
116.	अप्ट्रान इंडिया लि० 10, अशोक मार्ग, पोस्ट बाक्स नं० 313, लखनऊ-223001	अप्ट्रान	25,154
117.	अप्ट्रान इण्डिया लि० इलेक्ट्रानिक्स फ्रैक्टरी बन्दाबाक, जौनपुर-222129	अप्ट्रान	6,401
118.	बी०ई०ई० जी०ई०ई० इलेक्ट्रानिक्स टी०वी० डिवीजन, बी-16, फेज-II, नौएडा-201301	टी-सिरीज	4,393
119.	वीडियो इलेक्ट्रानिक्स लि० प्लाट नं० 8/2, साइट नं० 4, आई०एन०डी० एरिया, साहिबाबाद	क्राउन	11,806
120.	वीडियो टेकनिक प्रा० लि० ए-54, 11 एटेज, पीनिया आई०एन०डी० एस्टेट, बंगलौर-560058	ओमेक्स	792
121.	वीडियोकॉन इंडिया 2275, एडीएटी बाजार, गंगापारवाला अहमादानगर-414001	वीडियोकॉन	75,730
123.	वीडियोकॉन इन्टरनेशनल लि० आटो कारस, अदालत रोड, औरंगाबाद-431001	वीडियोकॉन	24,813
124.	वीडियोकॉन ई-45/7, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020	क्राउन	247
125.	वीयूट्रान इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० 303-304, रत्तना ज्योति 18, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008	वीयूट्रान	357
126.	विजय इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० प्लाट नं० 28, आई०एन०डी० डेवलपमेंट एरिया बलानगर, हैदराबाद-500037	फेन्टासी	187

1	2	3	4
127.	वेबेल एन०आई०सी०सी०ओ० इलेक्ट्रानिक्स लि० ब्लाक-बी ए, सेक्टर 5, सल्ट लेक सिटी कलकत्ता-700091	वेबेलनिको	2,102
128.	वेस्टन कम्प्यूनेट्स लि० एक्स-3, ओखला आई०एन०डी०एल० एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020	वेस्टन	5,592
129.	वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स लि० 43-ए, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली-110020	वेस्टन	30,153

महाराष्ट्र में केन्द्रीय योजनाएं

[हिन्दी]

9725. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के लिए अन्य राज्यों हेतु मंजूर की गई कई योजनाओं की तुलना में कम योजनाएं मंजूर की गईं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लिए कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग). केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर पूरे देश के लिए किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये केन्द्रीय कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को लांघ जाती हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ भी पूरे देश में फैल जाते हैं। इसलिए इन स्कीमों को राज्यवार तैयार नहीं किया जाता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्येतावृत्ति न पाने वालों को आकस्मिकता अनुदान

[अनुवाद]

9726. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्येतावृत्ति न पाने वाले पी० एच०डी० छात्रों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि शोध कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें आकस्मिकता अनुदान के रूप में 5000/-रु० से 7000/-रु० तक की धनराशि दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बालूसेरी, केरल में संस्कृत विद्यापीठ

9727. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कोझिकोड जिले के बालूसेरी में स्थित आदर्श विद्यापीठ से पास होने के बाद छात्रों को समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बालूसेरी आदर्श संस्कृत विद्यापीठ के लिए भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्कृत परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है, 1987 तक, कंपार्टमेंटल परीक्षा से संबंधित 16 मामलों को छोड़कर, सभी छात्रों को प्रमाणपत्र जारी किए हैं संस्थान ने सभी लंबित पड़े प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) भूमि सौंपने के प्रश्न पर केरल सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

निर्माण प्रबंधन सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

9728. **श्री जी०एस० बासवराज :**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, बम्बई तथा योजना आयोग ने हाल ही में निर्माण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी :

1. स्वदेशी निर्माण उद्योग को सुदृढ़ बनाना।

2. निर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबंधन।

3. निर्माण परियोजना निर्यात।

4. निर्माण और विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण।

5. मानक निर्माण दस्तावेजों को तैयार करना ।

6. निर्माण उद्योगों के लिए श्रम नीति ।

7. निर्माण उद्योग का संस्थागत ढांचा ।

8. ग्रामीण विकास के लिए निर्माण ।

9. प्रबन्धन विकास और कौशल निर्माण ।

10. निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी नीति ।

11. निर्माण के लिए सामग्री ।

12. कराधान और निर्माण के लिए प्रोत्साहन ।

निम्नलिखित सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों और संस्तुतियों में से ये :

1. पहले से शुरू की गई आधार संरचना संबंधी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना ।

2. गुणवत्ता, सुरक्षा और परियोजनाओं में पर्यावरण के सुधार की ओर अधिक ध्यान देना ।

3. विलंब और नियतावधियों में वृद्धि को न्यूनतम करके लागत को घटाना । निर्माण कार्य में लगे कामगारों में प्रबन्ध क्षमताओं और तकनीकी कार्यकुशलताओं का विकास करना ।

4. आवास (ग्रामीण और शहरी दोनों) पेय-जल, सफाई और नागरिक आधार संरचना को उच्च प्राथमिकता देना ।

5. कृषीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट का प्रयोग करके भवन निर्माण सामग्री तैयार करने और ऊर्जा संरक्षण के विशेष उपाय/प्रोत्साहन ।

6. निर्माण उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना ।

7. निर्माण तथा भवनों के स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, निर्माण कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन अधिनियम का और निर्माण कर्मचारियों के कल्याण का प्रवर्तन ।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभाव

9729. **श्री के० वोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). जी, हां । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने दो बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का, अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी० पी०) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०), मूल्यांकन अध्ययन किया है । इन कार्यक्रमों

में ग्रामीण लोगों के जीवन पर प्रभाव से संबंधित मुख्य निष्कर्ष, जिनका उल्लेख एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूल्यांकन रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मूल्यांकन रिपोर्ट में किया गया है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जैसा कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चलता है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ग्रामीण लोगों के जीवन पर प्रभाव के मुख्य परिणाम

I. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० का०)

1. 16 राज्यों में फैले 1163 चुनींदा "हाउस होल्ड" जहां अध्ययन किया गया, 90.7 प्रतिशत लोगों ने विचार व्यक्त किया कि ए० गा० वि० का० के परिणामस्वरूप उनके परिवार के रोजगार में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि 8.9 प्रतिशत ने बताया कि उनकी रोजगार स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. लगभग 88 प्रतिशत चुनींदा "हाउस होल्ड" ने गताया कि ए० ग्रा० वि० का० के अन्तर्गत आने से उनकी वृद्धि हुई, जबकि 10.6 प्रतिशत ने महसूस किया कि इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

3. इसी प्रकार लगभग 37 प्रतिशत चुनींदा "हाउस होल्ड" का विचार था कि ए० ग्रा० वि० का० के अन्तर्गत आने से उनकी पारिवारिक संपत्ति में कुछ वृद्धि हुई है।

4. खपत स्तर के बारे में, लगभग 77 प्रतिशत चुनींदा "हाउस होल्ड" ने आगे बताया कि वह महसूस करते हैं कि ए० ग्रा० वि० का० के लाभ से उनके खपत के स्तर में वृद्धि हुई है।

5. लगभग 64 प्रतिशत चुनींदा "हाउस होल्ड" ने आगे बताया कि वह महसूस करते हैं कि ए० ग्रा० वि० का० के अन्तर्गत आने से ग्रामीण समाज में इनकी स्थिति में उन्नयन हुआ है।

II. राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी)

1. 984 चुनींदा लाभकारी घरेलू के 11 राज्यों द्वारा जहां अध्ययन संचालित किया गया था 44 प्रतिशत कृषि मजदूर, 29 प्रतिशत गैर कृषि मजदूर, 8 प्रतिशत लघु कृषक, 6 प्रतिशत सीमांत कृषक, शेष 13 प्रतिशत अन्य व्यवसायों में लगे हुए थे। पुनः घरेलू प्रतिशत के जोड़ में 49 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 21 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों से और 30 प्रतिशत उनसे संबंधित थे जो कि अन्य वर्गों के थे। कुल लाभग्राहियों की गणना में 17 प्रतिशत महिलाएं थीं। इस प्रकार लाभग्राहियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से पता लगता है कि कार्यक्रम का लाभ उन वर्गों को हो रहा था जिनके लिए कार्यक्रम अभिप्रेत था।

2. चुनींदा लाभग्राहियों के 87 प्रतिशत को अपने गांवों में काम मिला और 9 प्रतिशत को गांव और गांव से बाहर। तथापि, 4 प्रतिशत लाभग्राहियों ने सूचित किया कि उन्हें गांव से बाहर काम मिला और उनमें से कुछ को 4 से 5 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती थी।

3. 1982-83 के दौरान एन आर ई पी के अन्तर्गत रोजगार कुल घरेलू लाभग्राहियों में 21.6 प्रतिशत की भागेदारी रही। एन आर ई पी के तहत रोजगार मुख्यत: वर्ष के लीप माह में जबकि ग्रामीण घरेलू को अन्यथा थोड़ा कार्य था, प्रदान किया गया था।

4. 1982-83 के दौरान एन आर ई पी के तहत कुल रोजगार का 80 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों जिनमें कुल प्रतिदर्श लाभग्राहियों का लगभग 70 प्रतिशत का संगठन किया गया, की हिस्सेदारी रही।

5. सभी राज्यों में जहां अध्ययन संचालित किया गया था वहां पिछले वर्ष एन आर ई पी की तुलना में कुल लाभग्राहियों की आय में वृद्धि हुई।

आंध्र प्रदेश को पिछड़े जिलों के विकास हेतु सहायता राशि

9730. **श्री वी०एन० रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश के पिछड़ा घोषित जिलों के विकास के लिए कितनी सहायता राशि दी गयी थी; और

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान इसकी क्या उपलब्धियां रहीं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी।

युवा कल्याण

9731. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को युवा संगठनों से युवाओं के उत्थान हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें किन-किन मुख्य मुद्दों को उठाया गया है;

(ग) इन मुद्दों पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) रोजगार नीति, बेरोजगारी भत्ता, काम का अधिकार, शिक्षा नीति, प्रौढ़ साक्षरता, खेल और सांस्कृतिक सुविधाओं जैसे मुद्दों को उठाया गया है।

(ग) और (घ). विस्तृत राष्ट्रीय युवा नीति और युवाओं के लिए कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने हेतु युवा नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 18-20 मई, 1990 तक दिल्ली में आयोजित किया गया है।

नेहरू तारामण्डल के निर्माण हेतु भूमि

9732. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन मूर्ति परिसर के भीतर नेहरू तारामंडल के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं; और

(ख) नेहरू तारामंडल का स्वामित्वाधिकार किसे सौंपा गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

टेलीविजन निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक

9733. **श्री रामदास सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन तथा ब्लैक एण्ड ह्वाइट टेलीविजन सैटों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र के एककों के नाम क्या हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एकक ने कितने रंगीन टेलीविजन और कितने ब्लैक एण्ड ह्वाइट टेलीविजन सैट निर्मित किए;

(ग) क्या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को रंगीन टेलीविजनों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है और यदि हां, तो किस कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है और लाइसेंस किन शर्तों पर दिया गया है; और

(घ) क्या ऐसी कोई नीति है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस व्यापार में अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) और (ख). रंगीन और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सैटों का विनिर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम तथा उनके स्थापना-स्थल और इलैक्ट्रानिकी विभाग को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1988 तथा 1989 के दौरान उनके द्वारा विनिर्मित दूरदर्शन सैटों की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ). वर्तमान नीति के अनुसार, ऐसी विदेशी कम्पनियों को रंगीन दूरदर्शन सैटों के विनिर्माण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है जिनकी विदेशी साम्यापूंजी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है । इन कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादन का कार्य आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक लघु क्षेत्र के उद्योगों को अपने उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत भाग किटों के रूप में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ।

रंगीन दूरदर्शन सैटों के विनिर्माण तथा उनकी बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड-नामों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती है । विदेशी साम्यापूंजी वाली निम्नलिखित कम्पनियां रंगीन दूरदर्शन सैटों का विनिर्माण कर रही हैं :—

1. मैसर्स कल्याणी, शार्प इंडिया लि०,
   कोरेगांव, भीमा, पुणे ।

2. मैसर्स पीको इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स
   कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्रों में दूरदर्शन सैटों का उत्पादन

क्रम सं०	निर्माता का नाम	उत्पादन 1988	मात्रा 1989
1	2	3	4
	श्याम/श्वेत दूरदर्शन रिसीवर		
1.	असम इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, गुवाहाटी	2,267	2,473
2.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, पटना	3,027	अनुपलब्ध
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० हैदराबाद	37,231	13,515
4.	गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, मापुसा	10,851	5,511
5.	इपीट्रान टाइम्स लि०, भुवनेश्वर	21,178	6,760
6.	केल्ट्रान इन्टरटेन्मेंट सिस्टम्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम	716	अनुपलब्ध
7.	केयोनिक्स वीडियो लि०, बंगलौर	2,885	1,060
8.	केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, कालीकट	7,640	5,051
9.	कोणार्क टेलीविजन लि०, भुवनेश्वर	62,073	44,484
10.	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, भोपाल	7,497	5,296
11.	मणीपुर इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, इम्फाल	1,340	अनुपलब्ध
12.	राजस्थान इलेक्ट्रानिकी लि०, जयपुर	2,278	862
*13.	टेलीविजन फैक्टरी, सोलन	5,602	1,570
14.	अपट्रान इंडिया लि०, इलाहाबाद	32,382	31,653
15.	अपट्रान इंडिया लि०, जौनपुर	24,784	39,142
16.	अपट्रान इंडिया लि० लखनऊ	75,846	10,137
17.	गुजरात नर्मदा वेली (घाटी) फर्टिलाइजर लि०, नर्मदा नगर, गुजरात	—	—
18.	हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम लि०, शिमला	—	—
19.	आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० हैदराबाद	—	—
	रंगीन दूरदर्शन रिसीवर		
1.	असम इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, गुवाहाटी	1,008	1,836

1	2	3	4
2.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास लि०, पटना	1,000	अनुपलब्ध
3.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०, साहिबाबाद	1,600	900
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, हैदराबाद	39,446	21,010
5.	गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, मापुसा	1,114	1,091
6.	इपीट्राम टाइम्स लि०, भुवनेश्वर	76	330
7.	केयोनिक्स वीडियो लि०, बंगलौर	507	1,652
8.	केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, त्रिवेन्द्रम	14,179	5,230
9.	कोणार्क टेलीविजन लि०, भुवनेश्वर	11,598	8,492
10.	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, भोपाल	1,666	3,866
11.	मणीपुर इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० इम्फाल	1,300	अनुपलब्ध
12.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, जयपुर	1,166	331
13.	अपट्रान इंडिया लि०, जौनपुर	अनुपलब्ध	6,401
14.	अपट्रान इंडिया लि०, लखनऊ	47,690	25,154
15.	गुजरात नर्मदा घाटी फर्टिलाइजर निगम लि०, नर्मदा नगर, गुजरात	—	—
16.	हरियाणा टेलीविजन लि०	—	—

टिप्पणी : 1. *छोटे पैमाने/सीपज यूनिटों को दर्शाता है।

2. जहां कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, वहां मात्रा संख्या में दी गई है।

खिलाड़ियों द्वारा हथियारों का आयात

9734. श्री केशरी लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खिलाड़ियों द्वारा हथियार आयात के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) क्या स्तर के "शूटरों" को लक्ष्य भेदन अभ्यास के लिए विदेशों से हथियार के आयात की अनुमति न दिए जाने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो युवा कार्य और खेल विभाग में खिलाड़ियों द्वारा हथियारों के आयात हेतु कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(घ) सरकार ने राज्य स्तर के "शूटरों" को हथियारों के आयात की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) वर्तमान आयात और निर्यात संवर्धन नीति के अनुसार उन खिलाड़ियों, जिन्हें प्रस्तावित हथियारों के आयात से तत्काल पूर्व आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप प्रतियोगिता (एन०एस०सी०सी०) में प्रथम दस स्थानों में आने के कारण भारतीय राईफल एसोसिएशन द्वारा "विख्यात निशानेबाज" प्रमाणित किया गया है, के आवेदनों की जांच विभाग द्वारा की जाती है और आयात लाइसेंस जारी करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को सिफारिश की जाती है।

(ख) उपर्युक्त आयात और निर्यात संवर्धन नीति में, लक्ष्य भेदन अभ्यास के लिए खेल हथियारों के आयात हेतु राईफल क्लबों/एसोसिएशनों (केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) या उनके सदस्यों अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण से आवेदन आमंत्रित करने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय निशानेबाज अपने संबंधित राईफल क्लबों/एसोसिएशनों के हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। अतः उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) के विचार से केन्द्रीय सरकार के पास संचित पड़े राज्य स्तरीय निशानेबाजों के आवेदनों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद निजाम के जवाहारातों की बिक्री

9735. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के समाचार-पत्रों में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं जिनमें हैदराबाद के निजाम के 173 जवाहारातों के संग्रह की बिक्री करने की पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख). जी, हां। निजाम के जवाहारात से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा रही है।

विधि अधिकारियों की नियुक्ति

9736. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विभागों में केवल विभागीय जांच करने हेतु और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, मामलों की पैरवी करने हेतु विधि अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए उचित धनराशि दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों के ब्यौरे सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). विधि अधिकारियों को विभागीय जांच/पैरवी करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण

तथा अपील) नियमावली, 1965 में विभागीय जांच करने के लिए किसी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई जांच अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था विद्यमान है। ऐसे अनुदेश विद्यमान हैं जिनमें विभाग सभी विभागीय जांचों के प्रयोजन के लिए, कार्यभार के आधार पर, किसी ऐसे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक उपयुक्त स्तर के विभागीय अधिकारी को नामित कर सकते हैं जिसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक/मानदेय नहीं दिया जाता। जहां कहीं अनुशासनिक मामले संचालित करने के लिए पूर्णकालिक जांच अधिकारी नहीं मिल पाता है अथवा मौजूदा स्टाफ में कोई उपयुक्त अधिकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में विभाग प्रमाणित सत्यनिष्ठा वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों अथवा किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को एक निश्चित मानदेय पर अलग-अलग मामलों में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सम्मुख सेवा सबंधी मामलों में सरकारी पक्ष का बचाव करने के लिए जाने-माने अनुभवी और सक्षम कार्यरत वकीलों में से वकीलों का एक पैनल तैयार किया गया है और इसे विभिन्न विभागों में परिचालित कर दिया गया है। उनका शुल्क विधि तथा न्याय मंत्रालय के निदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। विभाग इस पैनल के किसी वकील को चुन सकते हैं और साथ ही वे प्रशासनिक विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसे किसी वकील को भी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है जो उक्त पैनल में शामिल न हो।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनता द्वारा पूंजी निवेश के लिए नए मानदंड

9737. **श्री के०एस० राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चेयरमैन की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित कार्यदल ने आठवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनता द्वारा पूंजी निवेश के लिए नए मानदंडों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना तैयार करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही के अंग के रूप में सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध के बारे में एक कार्यदल गठित किया गया था। इस कार्यदल के अध्यक्ष स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वी० कृष्णमूर्ति थे। अपनी रिपोर्ट में कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ नए सार्वजनिक निवेशे के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों की सिफारिश की है :

(1) कि इस प्रकार का निवेश नीति अथवा कार्यनीति के आधार पर सचमुच आवश्यक है;

(2) कि सरकार के बजट पर भार न्यूनतम रहे;

(3) कि आय की आंतरिक दर मात्र सीमांतक न होकर अच्छी है। जहां न्यून आय निवेश का अनुमोदन किया जाता है वहां संगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक कीमत को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की जानी चाहिए;

(4) कि सार्वजनिक निवेश का अर्थ सरकार की समूची मलकियत नहीं होना चाहिए ; तथा

(5) कि आयात प्रतिस्थापन की लागत के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में "निर्माण अथवा खरीद" संबंधी प्रश्न की जांच की जानी चाहिए परन्तु इनमें से किसी भी विकल्प के लिए पूरे आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ग) आठवीं योजना में निवेश से संबंधित कार्यनीतियां तैयार की जा रही हैं। इस कार्यदल की सिफारिशों को योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश

[हिन्दी]

9738. **श्री हरिभाउ शंकर महाले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुमानतः कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इन उद्यमों ने कितना लाभ अर्जित किया अथवा कितना घाटा हुआ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख). 31-3-1989 तक महाराष्ट्र राज्य के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसंपत्ति के रूप में 16,127.06 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था तथा वर्ष 1988-89 के दौरान उन उद्यमों द्वारा जिनके पंजीकृत कार्यालय इस राज्य में हैं, 898.79 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया गया था।

सकल परिसंपत्ति के रूप में किए गए पूंजीनिवेश की धनराशि तथा वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ अथवा उठाई गयी हानि का ब्यौरा इस वर्ष के अन्त के आस-पास केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे का संकलन प्राप्त होने के पश्चात उपलब्ध हो सकेगा।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभकारिता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे —उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबन्ध पद्धति, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

9739. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का राज्यवार ब्यौरा दिनांक 15-3-1990 को सभा पटल

पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 (खंड-I) की पृष्ठ संख्या 335 से 338 तक में दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के लिए दिशा-निर्देश

[अनुवाद]

9740. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण पर नियंत्रण करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आशीष गोबर्धन) : (क) और (ख). सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गनिर्देशों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का सूत्रपात्र मितव्ययता, दक्षता, उत्पादकता एवं निर्यात आयोग की अनुशंसाओं पर अगस्त, 1987 में किया गया था। आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गयी थी कि उन थोड़े से मामलों को छोड़कर जिनमें सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को सरकार के पूर्व अनुमोदन को आवश्यकता होती है, शेष में निर्णय सरकारी उपक्रम के निदेशक मंडल पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

सरलीकरण की प्रक्रिया में केवल न्यूनतम आदेशात्मक मार्गनिर्देश रखे जाएंगे ताकि मितव्ययिता, दक्षता, उत्पादकता एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायत्तता का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

नई प्रौद्योगिकी का विकास

9741. **श्री इरा अन्बारासू** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई व्यावहारिक समन्वय योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) और (ख). अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी नवीनता का मुख्य आधार है और नवीन प्रौद्योगिकियों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में अनुभव की गई आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास निवेशों की आशा बढ़ाने के उद्देश्य से देशी प्रौद्योगिकी का विकास और आयातित प्रौद्योगिकियों को कुशलता से अपनाने और अनुकूलित करने के लिए व्यावहारिक योजना विकसित करना आवश्यक है। इन दोनों दृष्टिकोणों को और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान और सांस्कृतिक व्यवहारों को उपयुक्त रूप से मिलाया जाना है। इस प्रकार के रचना कौशल में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं : पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी नवीकरणों का सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग किया गया है; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीन अनुप्रयोगों के माध्यम से वर्तमान परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बढ़ाना;

प्राथमिकता के क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व की समन्वित अंत:विषयक और अंत:अभिकरणीय परियोजनाओंको प्रारम्भ करना, विकसित अनुसंधान और विकास कार्य के लिए राष्ट्रीय सुविधाओं का सृजन करना; उन प्रधात क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना जहां नवीन दृष्टिकोणों को चाहा गया है (अनुभव किया गया है) और नए संस्थानों, यूनिटों या केन्द्रों को स्थापित किया जाना है और दीर्घकालीन आधार पर समर्थन प्रदान किया जाना है; विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और उत्पादन और सेवा (कार्य) क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों के मध्य अंत: संबंधों (कड़ी) सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नीति निर्धारण करना, और राजस्व, औद्योगिक, आयात और अन्य राष्ट्रीय नीतियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का एकीकरण करना। ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी, रोजगार के बढ़े हुए अवसर, अधिकाधिक कार्य कुशलता और पर्यावरण के प्रति खतरे में कमी, भविष्य के संबंध में इस प्रकार की रणनीति (कार्य योजना) के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

पटियाला में विदेशी विमान चालक का उतरना

9742. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 या 16 अप्रैल, 1990 को एक विदेशी विमान-चालक अपने एक साथी के साथ कराची से दिल्ली के स्वीकृत मार्ग से विचलित होकर पटियाला में उतर गया;

(ख) क्या वे जानबूझकर संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर से होकर उड़े थे और उन्होंने अपने मार्ग में परिवर्तन किया था;

(ग) क्या इस बारे में कोई पूछताछ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ङ). एक अमरीकी नागरिक और उसकी पत्नी अनुमोदित उड़ान कार्यक्रम के अनुसार 15-4-1990 को दिल्ली हवाई अड्डे से कलकत्ता के लिए अपने विमान पर रवाना हुए। उड़ान भरने के पश्चात विमान-चालक ने रेडियो द्वारा दिल्ली हवाई यातायात नियंत्रण को कुछ लैंडिंग गेयर समस्याओं के बारे में बताया और यह अनुमति मांगी कि कलकत्ता की बजाय उन्हें विमान, उसकी खराबियों को ठीक करने के लिए पटियाला ले जाने दिया जाए। इसके लिए अनुमति नहीं दी गई और विमान-चालक को निर्देश दिया गया कि वह वापस दिल्ली लौट जाए। संकट में होने का बहाने विमान-चालक विमान को आगे ले गया और उसे पटियाला में उतार दिया। विमान में सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई और विमान की भी तलाशी ली गई लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। विमान को 22-4-1990 को भारत से जाने की अनुमति दे दी गई थी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के लिए सीटों को भरना

9743. **श्री सी०एम० नेगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में सभी स्थान नहीं भरे गए हैं;

(ख) क्या कुछ उम्मीदवारों ने प्रीमेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किन्तु उनका नाम अभी भी प्रतीक्षा सूची में है;

(ग) यदि हां, तो योग्यता सूची में जिन उम्मीदवारों का नाम दर्ज है, उनसे इन सीटों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये खाली सीटें कब तक भरी जाएंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ). अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ० मु० वि०) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा कालेज, अ० मु० वि० द्वारा प्रदान किए जा रहे एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में एक वर्ष में 100 छात्रों को दाखिल करने की क्षमता है। शैक्षिक सत्र 1989-90 में इस पाठ्यक्रम में दाखिले विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किए गए थे। तीन उम्मीदवार जो परीक्षा में पास हुए थे, दाखिले के लिए नहीं आए और इसके बाद चार उम्मीदवारों को उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के कारण सूची से हटा दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा यह सात रिक्तियां पूर्व चिकित्सा परीक्षा में योग्यता के आधार पर प्रतीक्षा सूची से विश्वविद्यालय द्वारा भरी गई थीं। चालू शैक्षिक सत्र के लिए एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में दाखिला 30-12-1989 को अंतिम रूप से बंद कर दिया गया था। दो अन्य उम्मीदवारों के नाम उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के कारण फरवरी, 1990 में सूची से हटा दिए गए थे। तथापि, विश्वविद्यालय सत्र के मध्य में इन दो रिक्तियों के स्थान पर नये दाखिले करने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविन्द नेताम.........

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही मैंने श्री अरविन्द नेताम को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या श्रीमती सुखबंस कौर यहां उपस्थित हैं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले तो आप सभी बैठ जाएं और तब मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

12.05 म० प०

हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के लिए मांग के बारे में—(जारी)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, आज सुबह 10 बजे से पहले मैंने नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया था और मैंने प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए नियम 388 के अन्तर्गत भी नोटिस दिया था। अब महोदय .....(**व्यवधान**) महोदय प्रश्न काल के दौरान आपने बताया कि नियम 388 के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं मिला है और आप प्रश्न काल स्थगित करने नहीं जा रहे हैं। अब हमारी मांग थी कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाना चाहिए। आज एक महत्वपूर्ण विषय यह उठाया गया था कि लोकतन्त्र खतरे में है, लोकतन्त्र का गला घोंटा गया है .....(**व्यवधान**)। अब आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए और विधान सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए और वहां राष्ट्रपति का शासन होना चाहिए। आपने अपने विवेक से बताया कि प्रश्न काल स्थगित किए जाने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला है। आप कृपया इसका पता लगाइए। नोटिस कार्यालय में, आपके अधिकारी ने मेरा पत्र देखा, उन्होंने दस बजे से पहले इसे पढ़ा, जबकि आपके कार्यालय ने यह कहा है कि मैंने नियम 388 के अधीन कोई नोटिस नहीं दिया है, जोकि एक गलत बात है। आपका कार्यालय ऐसा नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक मुद्दा उठाया है। मैं देखूंगा कि क्या नोटिस प्राप्त हुआ था।

(**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : विधान सभा को भंग किए जाने की मांग थी।......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आप सभी की बात सुनूंगा। सबसे पहले श्री शरद यादव को अपनी बात कहने दीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि श्री शरद यादव क्या कहने जा रहे हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.12 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.01 म०प०

लोक सभा 2.01 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, कश्मीर में आतंकवादियों ने श्री मौलाना

फारूक की हत्या कर दी है। सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : श्री गोस्वामी मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में किसी बात की घोषणा करने के लिए आ रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हरियाणा के अन्दर लोकतन्त्र की हत्या की गई है, वहां के मुख्य मंत्री के द्वारा, हमारे पास इस बात के अलावा कोई चारा नहीं है, हम हाउस को चलने नहीं देंगे जब तक हरियाणा की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय की घोषणा करने के लिए आ रहे हैं। **(व्यवधान)** प्रधान मंत्री ने सुबह कहा था कि वह मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सभा में आयेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रि-मंडल की बैठक समाप्त हो गयी है और हम निर्णय जानना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : हमको दो लाइन का डिसीजन चाहिए। यदि डिसीजन नहीं होता तो हम हाउस को चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या को सहन नहीं कर सकती। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जब तक यहां आकर प्रधान मंत्री ये घोषणा नहीं करते कि उन्होंने हरियाणा विधान सभा भंग कर दी है तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकार को इस बारे में क्या कहना है ?

(व्यवधान)

जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में

श्री पी० चिदम्बरम (शिव गंगा) : हमारे आस-पास अफवाहें उड़ रही हैं। क्या गृह मंत्री जी को इस पर कुछ कहना है कि कश्मीर के बारे में लोग क्या कहते हैं ? क्या उन्हें इस विषय पर कुछ कहना है—मौलवी फारूक की हत्या के बारे में, क्या उन्हें इस पर कुछ कहना है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कश्मीर में मौलवी फारूक को गोली मार दी गई है। हम चाहते हैं कि उसके बारे में गृह मंत्री बयान दें और बतायें कि वहां क्या स्थिति है।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : आज हाउस एडजोर्न होने के बाद श्रीनगर से यह खबर मिली है कि मोलवी फारूख के घर में जाकर तीन-चार मिलीटेंट्स ने उनको गोली मारी और उनको सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले जाया गया जहां उनका इन्तकाल हो गया। यह बहुत ही दु:ख की बात है। मौलवी फारूख के बारे में और उनके खानदान के बारे में सब जानते हैं कि कश्मीर में उनका कितना अहम् रोल रहा है और उनकी पूरे कश्मीर क्या दुनिया में बहुत इज्जत है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह सूचना किसने दी है ?

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरी राज्यपाल से बात हुई है, मुझे आफिशियली सूचना मिली है कि कुछ मिलीटेंट्स ने उनको गोली मारी और सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ने में लगे हैं। मैं चार बजे पूरा विवरण प्राप्त कर सदन में वस्तुस्थिति को रखूंगा। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : क्या आप मौलवी फारूख के बारे में कुछ कहेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : आप इस्तीफा देकर चले क्यों नहीं जाते। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, गत कुछ सप्ताहों से, हम यह कहते आ रहे हैं कि यह सरकार कश्मीर को पूर्ण संकट के रास्ते पर ले जा रही है। तथापि, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और अन्य बार-बार साहसी वक्तव्य देते रहे हैं कि कश्मीर में सरकार का शासन स्थापित कर दिया गया है, आतंकवादी और उग्रवादी बचते फिर रहे हैं और सरकार अब जम्मू से श्रीनगर पहुंच गई है। ये सभी साहसिक घोषणाएं यह दिखाने के लिए की गई हैं कि कानून और व्यवस्था नियंत्रण में है। लेकिन यह आतंकवादियों का ग्रुप है जोकि बिना किसी भय की कार्यवाही करते हैं और वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर के लोग अलग-अलग हो गए हैं। यह राज्यपाल वहां वह स्थिति बहाल नहीं कर सकते जो वहां पहले थी। वे कश्मीर को संकट के रास्ते पर ले जा रहे हैं। महोदय हमें अत्यधिक अफसोस है कि वहां इस प्रकार से नृशंस हत्या की गई है, हम इस हत्या की भर्त्सना करते हैं। इस हत्या की भर्त्सना करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। आतंकवादियों और उग्रवादियों को कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने और उनसे निपटने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह कश्मीर में स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से असमर्थ है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मौलवी फारूख की जो हत्या हुई थी, उसकी सब निन्दा करते हैं। लोंगोवाल की हत्या हुई थी, उसे आप बचा नहीं सके उस समय। अब आप क्या बातें करते हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, मौलवी फारूख की बात तो दूसरी है। आपकी सरकार तो अपने प्रधान मंत्री की रक्षा भी नहीं कर सकी। **(व्यवधान)**

उस समय जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सारी सी०आई०डी०, सारी पुलिस और सारी सरकार ही फेल हो गई थी और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे कहने दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए। उसके बाद, आप खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, आपने उन्हें जो अवसर दिया है वह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : महोदय, वह हत्या को सही ठहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री एम०जे० अकबर (किशनगंज) : ये हिन्दुस्तान को भूनकर रख देंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह संसदीय परम्परा के बिलकुल विपरीत है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात चिदम्बरम साहब ने यहां उठायी है। उसके संबंध में शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उनको कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों के विचारों में कोई मतभेद नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह शोक का मामला है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या वे हमें यह बतायेंगे कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा ? सभा में इस प्रकार मनमानी नहीं की जा सकती। क्या हम केवल तभी बोल सकते हैं जब वे हमें बोलने की अनुमति देंगे ? क्या यह आपका निर्णय है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, स्थिति को जटिल न बनाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिये तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : उपाध्यक्ष महोदय, आपने खुराना साहब को बोलने की अनुमति दी है, ये बीच में कहां से खड़े हो रहे हैं। अगर ये ऐसे ही बीच-बीच में उठकर बोलते रहेंगे तो इस तरह

सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। आप इन्हें रोकिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट के लिए बैठिए, मैंने कहा है क्योंकि इनका प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : पहले आप खुराना जी की बात तो पूरी होने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ये प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मौलवी फारूख साहब की वहां जिस ढंग से हत्या हुई है, उससे हम भी दुःखी हैं और सारा सदन दुःखी है। उसके बारे में गृह मंत्री जी ने हाउस को जो जानकारी देनी थी, वह जानकारी दे दी है। **(व्यवधान)** बाकी, इन्होंने बताया कि गृह मंत्री जी 4 बजे अपना स्टेटमैंट देंगे। जिस तरह इन्होंने कहा, जानकारी देने की बात, ऐसी प्रथा हाउस की कभी नहीं रही, कभी ऐसा नहीं हुआ···**(व्यवधान)**···मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो मसला सबसे बड़ा हमारे सामने है···**(व्यवधान)**···वह केवल हत्या का ही मसला नहीं है, वह मसला डेमोक्रेसी की हत्या का है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है। हमें उसकी तरफ भी देखना है। उस हरियाणा के मसले के अलावा हम कोई दूसरा मसला हाउस में चलने नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

आपसे हमारा निवेदन है कि यदि कोई दूसरा मसला उठाने की कोशिश करेगा तो वह गलत बात है, हम उस बात को चलने नहीं देंगे क्योंकि उससे गलत वातावरण का निर्माण होगा, उससे डेमोक्रेसी की हत्या होगी। हमने हमेशा इस देश में प्रजातन्त्र को बचाने के लिए काम किया है, हमें अब भी प्रजातन्त्र को बचाना है। ये देश में डेमोक्रेसी का नारा देते हैं, करते कुछ नहीं। अगर इस देश में प्रजातन्त्र नहीं रहेगा तो यह देश भी नहीं रहेगा, देश टूट जाएगा। **(व्यवधान)**

हरियाणा में उस आदमी को घर पर जाकर मारा गया है, इससे बड़ी प्रजातन्त्र की हत्या कोई और नहीं हो सकती। इससे सारे मुल्क के हालात खराब होंगे। हम उसे कन्डेम करते हैं। आज हरियाणा के हालात पंजाब से भी बदतर हो गये हैं। पहले हम पंजाब को ही कहा करते थे। आज हरियाणा में उससे भी ज्यादा कत्ल होने लग गये हैं। इसलिए हम हरियाणा के अलावा कोई दूसरा मसला यहां चलने नहीं देंगे। अब आप लोग खड़े हो जाइए। इस तरह से नहीं चलने दिया जायेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब तक यह सरकार सदन में यह घोषणा नहीं करेगी कि हरियाणा में राष्ट्रपति राज लागू कर दिया गया है, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको समय दे सकता हूं। लेकिन आपको मेरी बात भी सुननी होगी।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम यह जानना चाहते हैं कि विधान सभा को भंग करने के बारे में मंत्रिमण्डल का निर्णय क्या है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में परिस्थितियों को देखते हुए, यह सभा कल 11.00 म० पू० पर पुन : समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 22 मई, 1990/1 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867, चीरा खाना, दिल्ली-110006